खण्ड-248, अंक-3
सोमवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1886
(23 मार्च, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 248 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २३ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३३३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंह नारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री

बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री

रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरजप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बिचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, 'प्रणव' श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्त सिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदखां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृहमंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

सोमवार, २३ मार्च, १९६४

सदन की वैधानिकता पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान की धारा १६४ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन कर दूं कि प्रश्नों का समय समाप्त हो जाय उसके पश्चात् शौक से बातचीत कीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा निवेदन है कि इस समय सदन की कोई संवैधानिक मर्यादा नहीं है और आप कोई कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें। मेरा यह आदेश है कि जो कुछ आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाना हो, उसे आप प्रश्नों के समय के पश्चात् उठायें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इस समय न यह सदन है और न आप स्पीकर हैं। लिहाजा इस विधान सभा को भंग किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मुझे व्यवस्था देने का अधिकार है और मैं व्यवस्था देता हूं कि यह सुव्यवस्थित और कांस्टीट्यूटेड सदन है। आपको आदेश दिया जाता है कि आप खामोश रहें और कार्यवाही चलने दें और जो कुछ आपको कहना है वह प्रश्नों के समय के पश्चात् कहें।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

सदन ने जो कुछ निर्णय किया था परसों उसे कार्यान्वित करने के लिये आपने क्या कदम उठाया?

श्री अध्यक्ष—

इस समय प्रश्न होंगे और कोई सवाल नहीं होगा।

९ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न १३ के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—

छपी हुई संलग्न तालिका को पढ़ा हुआ माना जाय, उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

[९ मार्च, १९६४ को सर्वश्री कल्पनाथ सिंह तथा कैलाश द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में संशोधन ।]

	मूल प्रश्न	मूल उत्तर
श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री कैलाश सिंह कुशवाहा ।	१३—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में गत तीन महीनों में खाद्यान्नों एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमत किस आधार पर और किस अनुपात में बढ़ी है तथा वह गत छः माही से कितने प्रतिशत अधिक बढ़ी है ?	वांछित सूचना तालिका में उपलब्ध है । खाद्य (अरबन मिडिल क्लास कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स इन उत्तर प्रदेश/ग्रुप इन्डेक्स—(बेस १९४८ = १००) ।

क्र० सं०	कमोडिटी ग्रुप्स	परसेन्टेज—वैरिएशन जनवरी, १९६४ ओवर अक्तूबर, १९६३	परसेन्टेज वैरिएशन जनवरी, १९६४ ओवर अक्तूबर, १९६३
१	फूड	+६.१	+५.९
२	सीरियल्स	+१६.४	+२२.८
३	पलसेज	+९.४	+१२.६
४	वेजिटेबुल और फ्रूट	+१४.९	+१२.२
५	मिल्क और फैट्स	−०.३	−३.५
६	अदर फूड	−०.९	−१.३
७	फ्यूज और लाइट	−०.२	+१.२
८	क्लोदिंग और फूट वेयर	+०.५	+१.९
९	हाउसिंग	०.०	०.०
१०	एजूकेशन	०.०	−०.८
११	अदर्स	+१.०	+१.४
	आल ग्रुप्स	+३.३	+३.६

[ ] माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन में पढ़ा हुआ माना गया ।

संशोधित उत्तर

उक्त तालिका के अन्तिम कालम में परसेन्टेज वैरिएशन, जनवरी, १९६४ ओवर अक्तूबर, १९६३ लिखा है, वह गलत है । सही उत्तर निम्न प्रकार है :

अरबन मिडिल क्लास कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स इन उत्तर प्रदेश ग्रुप इन्डेक्स–(बेस१९४८=१००) ।

क्रम संख्या	कमोडिटी ग्रुप	परसेन्टेज वैरिएशन जनवरी, १९६४ ओवर अक्तूबर, १९६३	परसेन्टेज वैरिएशन जनवरी, १९६४ ओवर जुलाई, १९६३
१	फूड	+६.१	+५.९
२	सीरियल्स	+१६४	+२२.८
३	पलसेज	+९.४	+१२.६
४	वेजिटेबुल्स और फ्रूट	+१४.९	+१२.२
५	मिल्क और फैट्स	–०.३	–३.५
६	अदर फूट	–०.९	–१.३
७	फ्यूज और लाइट	–०.२	+१.२
८	क्लोदिंग और फूट वियर	+०.५	+१.९
९	हाउसिंग	०.०	०.०
१०	एजूकेशन	०.०	–०.८
११	अदर्स	+१.०	+१.४
	आल ग्रुप्स :	३.३	+३.६]

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)––

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि खाद्यान्नों और जीवनोपयोगी वस्तुओं की प्राइस इंडेक्स ४८ बराबर १०० के मान कर जो वेरियेशन हुआ है उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)––

उसका मुख्य कारण यह है कि कुछ रेलवे का फ्रेट बढ़ा है, कुछ टैक्सेज में बढ़ा है, कुछ पिछले साल जो कम पैदावार हुई है उसके कारण है, जो प्राकृतिक आपदायें आई हैं कुछ उसका कारण है । ये सब मिल जुल कर कारण हैं और कुछ साइकोलाजिकल भी है ।

श्री कल्पनाथसिंह---

क्या यह भी एक कारण है कि ग्रेन डीलर्स ने काफी स्टाक होर्ड कर रखा है और मार्केट में ग्रेन वह आने नहीं देते हैं जिससे प्राइसेज बढ़ी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी-

जहां तक मंडियों का प्रश्न है यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने होर्ड कर रखा है, यह हो सकता है कि देहात में खरीद कर रखे हुये हों।

श्री कल्पनाथसिंह---

श्रीमन्, यह जो वैजीटेबिल, फ्रूट्स और मिल्क, फैट्स एंड अदर फूड का जो इंडेक्स दिया है उसकी बढ़ोत्तरी के कारण क्या हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

वह तो, श्रीमन्, एक चीज है कि सिन्थेटिक तरीके से थोड़ी बहुत सभी बढ़ती हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, मंत्री जी किस आधार पर कहते हैं कि मंडियों में दबा हुआ अनाज नहीं है बल्कि गांवों में है जबकि किसी भी मात्रा में बढ़ी हुई कीमत पर अनाज जितना चाहें उतना मिल सकता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह मैंने नहीं कहा। मैंने तो यह कहा कि ज्यादा मात्रा में वहां हो सकता है और शहर में से जहां से डीलर्स देते हैं, उससे अनुमान लगाते हैं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी साफ करेंगे कि जो उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक कारणों से प्रभाव पड़ा तो उन कारणों को दर करने के लिये आपने क्या क्या प्रयत्न किये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैंने इसलिये कहा कि उन्होंने अनुमान लगाया कि इस साल पाला पड़ा है तो अगले साल उसका असर होना चाहिये था। मगर इसी समय उन्होंने छिपाना शुरू किया जिसकी वजह से तेजी आई और चारों तरफ हवा फैली और बात का बतंगड़ बन गया और उसका असर पड़ा। लेकिन आपके प्रयत्न करने पर अब मामला ठीक होता जा रहा है।

श्री कल्पनाथसिंह---

श्रीमन्, मंत्री जी ने पाले का भी जिक्र कर दिया जबकि यह सवाल जनवरी, ६४ तक ही सीमित है। मैं जानना चाहता हूं कि पाला इस प्रदेश की खाद्यान्नों की फसल पर जनवरी के बाद पड़ा, लेकिन उसके पहले ही जुलाई और जनवरी के बीच में जो वैरियेशन्स हुये उसके कारण क्या हुये और जो साइकोलोजीकल असर पड़ा उसको दूर करने के लिये क्या किया और जो फूड एंड क्लोदिंग में बढ़ोत्तरी हुई उसकी वजह से मारकेट में जो प्रोड्यूसर्स हैं वे सब के सब ज्यादा कीमत लेने के लिये तैयार हैं और खरीदारों की लूट की जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

श्रीमन्, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पिछले साल दो लाख टन कम पैदावार हुई। उसका भी असर था और पिछली बाढ़ का भी असर था।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मथुरा जिले में गुड़ व शकर के तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी

*१—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में गत दो माह में गुड़ व शक्कर के कितने तस्कर व्यापारियों को पकड़ा गया और पकड़ी गयी ट्रक गाड़ियों, साइकिल, ऊंट, गधों व सिर पर माल ले जाने वालों की संख्या अलग–अलग क्या है तथा कितना माल सरकार के कब्जे में आया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

गत दो माह मथुरा जिले में २७५ तस्कर व्यापारियों को पकड़ा गया। पकड़े गये वाहनों का विवरण इस प्रकार है :

ट्रक ६, गाड़ियां १२५, साइकिलें २९, ऊंट २८, गधे २७ और सिर पर माल ले जाने वाले ४९।

कुल १२२६ क्वीन्टल, १७ किलोग्राम, १०० ग्राम माल सरकार के कब्जे में आया।

*२—श्री लखीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ नवम्बर, १९६३ से ३१ दिसम्बर, १९६३ ई० तक मंडी कोसीकलां में कितना गुड़ व शक्कर बिका तथा कितना माल अन्य जिलों से ट्रकों द्वारा मंडी में बिकने आया और क्या सरकार ने भी गुड़-शक्कर खरीदा है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

१.११.६३ से ३१.१२.६३ तक मंडी कोसी कलां में गुड़ व शक्कर निम्नलिखित मात्रा में बिका:

	क्वीन्टल	कि० ग्राम	ग्राम
गुड़	९४४०	७७	५००
शक्कर	४१२१	८४	३५०

उक्त अवधि में गुड़ व शक्कर निम्नलिखित मात्रा में ट्रकों द्वारा अन्य जिलों से मंडी कोसी कलां में बिकने आया।

१—गुड़	१६९९४४	६५	६७५
२—चीनी	५९६५	६४	०००

सरकार ने कोई गुड़ व शक्कर नहीं खरीदा।

श्री लखीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ६ ट्रकें पकड़ी गईं यह किस थाने की पुलिस ने पकड़ी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

व्योरे के लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मथुरा जिले से मिला हुआ जो दिल्ली का एरिया है वहां हजारों ट्रकें रोजाना सहारनपुर और मुजफ्फरनगर को एरिया से जो कि गुड प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहां से जाकर बिकती रही हैं और तस्कर व्यापार के जरिये दिल्ली में जाकर यह गुड़ मिलता रहा है, इसके बारे में जब पुलिस को शिकायत की गई तो यह थोड़ी-सी कार्यवाही हुई, लेकिन अब सारा गुड़ बाहर जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह बात सही है कि तस्कर व्यापार करते रहे होंगे । मगर उसके खिलाफ यहां चौकियां खोली गईं, पुलिस सर्तक की गई, पांच मील का कोराइडर एरिया बनाया गया और पकड़ने के लिये जो आपने पूछा था तो तांगा, कार और तीन बसें भी जब्त की गईं । काफी सख्ती वहां है और अब ऐसी चीज वहां नहीं हो रही हैं ।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)---

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि मथुरा और आगरे के बार्डर पर अब भी ऐसा हो रहा है और सीकरी फतेहपुर के थानेदार इस मामले में मुअत्तल भी किये गये हैं, तो यह तमाम जो ब्लैक हो रहा है इसको रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो वह कह ही रहे हैं । उन्होंने खुद ही कह दिया ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

मथुरा जिले का जो सरहद है वहां तस्कर व्यापार व्यापारियों ने तो किया ही, लेकिन सरकार के पुलिस कप्तान, डी० पी० ओ०, डी० एस० ओ०, इन तीन अधिकारियों ने मिल कर रोजाना तस्कर व्यापार में कम से कम एक लाख रुपया कमाया है जिसकी सूचना मैं माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री जी को दे चुका हूं और सदन में भी तीन, चार बार कह चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद भी वह अधिकारी आज तक न वहां से हटाये गये और और न उनकी कोई जांच की गई तो इसका क्या कारण है यह मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जांच की गई । कोई स्पेसिफिक किसी विशेष घटना का उल्लेख तो किया नहीं था कि उसके मुताबिक एन्क्वायरी की जाती । जहां तक सरकार का सवाल है सरकार सजग है और अधिकारियों को विशेष रूप से सचेत कर दिया गया है ।

श्री राधेश्याम शर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि अभी गत दिनों एक सप्लाई विभाग का इंस्पेक्टर और पुलिस का कांस्टेबिल गाड़ियां निकलवाते हुए पकड़ा गया था और उसके बाद भी पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह आप नोटिस दे रहे हैं, इसको देखेंगे कि क्या बात है ?

श्री लखीसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मैंने विस्तृत रूप से सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी को दी थी, उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मुख्य मंत्री जी के पास आयी होगी तो जांच हुई होगी। मुझे तो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसलिये मेरे लिये कुछ कहना सम्भव नहीं है।

विधान भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के प्रति पुलिस द्वारा अभिकथित दुर्व्यवहार के संबंध में जानकारी की मांग

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो कि घटना इस समय हो रही है इसी विधान सभा के बाहर, औरतों को पुलिस पकड़ कर मोटरों में बड़ी बेरहमी से फेंक रही है और बेइज्जती कर रही है। और इस सरकार के रवैये के कारण यह बात हो रही है। वह शान्तिपूर्वक विधान सभा के सम्मुख महंगाई और भूमिभवन कर के विरोध में अपनी बात रखना चाहती थीं। इसलिए जब कि माननीय मुख्य मंत्राणी जी मौजूद हैं, और भी मंत्रिगण मौजूद हैं इस तरह से औरतों के साथ बेइज्जती का व्यवहार होना ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तुरन्त इसको बन्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

आपने सूचना दे दी। वह कार्यवाही करेगी। प्रश्न खत्म होने दीजिये।

श्री शारदाभक्तसिंह---

अगर ऐसा व्यवहार है कि ऐसे मामले में भी कान में तेल डाल कर बैठेंगे तो हम आपके माध्यम से इसके विरोध में पांच मिनट के लिए सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

कम्युनिस्ट पार्टी, निर्दलीय और जरवल के किसान जब अनशन कर रहे थे तो उनको नहीं हटाया गया तो इनको क्यों हटाया जा रहा है ? आप कह दीजिये उनसे। हम हर चीज आपके माध्यम से ही तो कहेंगे।

श्री अध्यक्ष---

उन्हें कहना होगा तो कह देंगे।

प्रश्नोत्तर---(क्रमागत)

सीतापुर जिले में खाद्य परामर्शदात्री समिति की बैठक तथा बिसवां में स्टील व चादर का वितरण

*३---श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसवां, जिला सीतापुर में स्टील फैब्रिकेशन के लिये किन-किन लोगों को माइल्ड स्टील और चादर इत्यादि वस्तुओं का कोटा मिलता है और पिछले २ वर्षों में इन इकाइयों को कितने टन माल का कोटा दिया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

बिसवां में केवल मेसर्स पदम चन्द ऐंड कम्पनी को फैब्रीकेशन हेतु माइल्ड स्टील और लादन का कोटा दिया जाता है और पिछले दो वर्षों में उन्हें ६ मैट्रिक टन पांच क्विंटल जी० पी० शीट्स का कोटा दिया गया ।

*४---श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा---

क्या खाद्य मंत्री उपरोक्त प्रश्न को सूचना मान कर यह जांच कराने की कृपा करेंगे कि कोई फैब्रिकेटिंग यूनिट बिसवां में कार्य नहीं कर रही है और पूरा-पूरा कोटा ब्लैक मार्केट में बिक जाता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जांच कराने से मालूम हुआ कि उपरोक्त फैब्रीकेटर को जो माल दिया गया है उसे वे फैब्रीकेशन के कार्य में ही प्रयोग कर रहे हैं और ब्लैक मार्केट में माल बिकने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला ।

*५---श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के सिविल सप्लाई विभाग की ऐडवाइजरी कमेटी पिछले ३ वर्षों में कितनी बार बुलायी गयी और कन्ट्रोल्ड आइटम्स के वितरण और दूकानों के लाइसेंसिंग में क्या उपरोक्त कमेटी की राय ली गयी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

पिछले दो वर्षों में जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति की बैठक तीन बार बुलाई गई और उसमें नियंत्रित वस्तुओं के वितरण व दूकानदारों की नियुक्ति के बारे में राय ली गई ।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जांच किस अधिकारी ने की और कब की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

डेट तो मुझे मालूम नहीं लेकिन डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर ने इंस्पेक्टर के मार्फत की ।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा---

क्या माननीय मंत्री जी इस ब्लैक मार्केट की शिकायत की जांच अन्य अधिकारी द्वारा जो जिले से संबंधित न हो, करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इन्क्वायरी करने का प्रश्न नहीं उठता है । यह जो आपने सूचना दी है उस पर मैं अपनी स्वयं जानकारी करूंगा ।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पिछले दो वर्षों में किस किस तारीख को मीटिंग हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

पहले तो डिफंक्ट हो गयी थी । इस साल चालू की है दिसम्बर के महीने से । जनवरी से लाग हुई तो दो मीटिंगें ठीक हुईं ।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा---

मेरी सूचना यह है कि सिर्फ एक मीटिंग हुई १० तारीख को। जिन लोगों के लाइसेंस हैं उनकी फेहरिस्त मांगी, वह फेहरिस्त भी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर नहीं प्रस्तुत कर सके। २२ तारीख को मीटिंग पोस्टपोन हो गयी।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मीटिंग नहीं बुलायी गयी, आपने सूचना दे दी है। मैं लिख दूंगा, हर महीने बुलाया करेंगे।

हल्द्वानी तहसील में पनियाली पाइप लाइन बनाने का विरोध

*६---श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---

४ अगस्त, १९५९ ई० के प्रश्न ४७ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जैसा मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि "भूमि सिंचन के लिए पक्की गूल बना दी जाय और फिर पेयजल योजना बनायी जाय" तो इसके विपरीत किस अधिकारी द्वारा किस आधार से संबंधित पेयजल योजना का कार्य कराया गया?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा-सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---

तत्कालीन उप मंत्री जी ने केवल अन्तरिम जिला परिषद्, नैनीताल, के २५ जुलाई १९५९, के निर्णय का उल्लेख किया था। यह कोई आश्वासन नहीं था। अतः इसके विपरीत कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता।

*७---श्री खुशीराम---

क्या यह सही है कि अन्तरिम जिला परिषद्, नैनीताल में भी दिनांक २४ जनवरी, १९६१ ई० को अपनी बैठक में विशेष प्रस्ताव संख्या १ में संबंधित काश्तकारों की परेशानियों का अनुभव करते हुए सिंचाई विभाग से पक्की गूल व पाइप लाइन की एक ही योजना बनाने का अनुरोध किया? यदि हां, तो इस निश्चय के विपरीत पाइप लाइन का कार्य कराने का दोषी कौन है?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

परिषद् का प्रस्ताव इस आशय का था कि सिंचाई विभाग पक्की गूल व पाइप लाइन एक ही योजना बनाने की सम्भावना का सर्वेक्षण करे तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सिंचाई विभाग ने सर्वेक्षण कर इस योजना को अव्यवहारिक बताया। इस रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्र विकास समिति ने विचार किया तथा सम्बन्धित काश्तकार की लिखित सहमति से जो इसकी बैठक दिनांक ५ जून, १९६२ में प्राप्त की गई पाइप लाइन का कार्य कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

*८---श्री खुशीराम---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सम्बन्धित पाइप लाइन के बन जाने स स्थानीय काश्तकारों के सिंचाई के साधन में जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है, उसके निवारण का शीघ्र से शीघ्र क्या प्रबन्ध होने जा रहा है?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

सिंचाई साधनों में कोई विषय परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई।

श्री खुशीराम---

क्या मंत्री जी बतलावेंगे कि उस किसान का क्या नाम है?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

श्री इन्द्रलाल जी ।

श्री खुशीराम---

इन्द्रलाल तो प्रस्तावक थे, जिस किसान ने अपनी स्वीकृति दी थी उसका क्या नाम था ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

मैं यह बताना चाहती हूं कि चूंकि विपक्ष का एक दल था जिसके नेता श्री इन्द्रलाल जी थे जो पाइप लाइन बैठाने के विरुद्ध थे। इन्हीं इन्द्रलाल जी ने क्षेत्र समिति में बैठ करके पुनः प्रस्ताव पेश किया और इस कार्य को कराने के लिये सहमत हो गये ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)---

क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि यह इन्द्रलाल जी प्रश्नकर्त्ता के सुपुत्र हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यह सम्बन्ध तो मुझे नहीं मालूम है ।

मथुरा जिले में टीन का वितरण

*९---श्री लखीसिंह---

क्या खाद्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि मथुरा जिले में गत १९६२ व १९६३ दिसम्बर तक टीन की कितनी चद्दरें दी गयीं ? इनमें कितनी जालीदार थीं और इस टीन का वितरण किन लोगों को परमिट द्वारा किया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

कुल २५८.९३२ मैट्रिक टन टीन प्राप्त हुई जिसमें से १३६.७४३ मैट्रिक टन नालीदार थी । जिन लोगों को नालीदार टीन के परमिट दिये गये उनकी सूची संलग्न है ।

श्री लखीसिंह---

क्या इन ४१३ परमिटों में ३९ ऐसे परमिट हैं जो अनुचित हैं और जाली है और इनमें से परमिट नम्बर ३५३ तथा ३७१ क्रमशः मैनेजर, बाल मंदिर, मथुरा और मैनेजर, अग्रवाल मंदिर, मथुरा के नाम दिये गये हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि दोनों बाल मंदिर किस जगह पर हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री लखीसिंह---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें इतनी बड़ी सूची में बहुत से जाली परमिटों के नाम हैं और क्या कोई परमिट श्रीमती अग्रवाल द्वारा वेदप्रकाश, कृष्णपुरी, मथुरा के नाम से दिया गया है जो चुंगी में ओवरसियर हैं और किराये की कोठी में रहते हैं ? क्या परमिट यह जाली है और ऐसे कितने ही जाली हैं ? क्या मंत्री जी भ्रष्टाचार को रोकने के लिये दोबारा इनकी जांच करावेंगे ?

---

*छापी नहीं गई ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

अगर किसी ने लिया है तो उसकी एक फेहरिस्त बनाकर मेरे पास भेज दें, कि ये जाली हैं तो मैं जांच करा लूंगा ।

श्री राधेश्याम शर्मा---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि देहात के लोगों ने हजारों दरख्वास्तें दी थीं तो उनको केवल ३९ परमिट दिये गये और शहर के लोगों को, जो डी० एस० ओ० के निकट रहते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनकी केवल ६०० दरख्वास्तें थीं, उनको ३५० से ज्यादा परमिट दिये गये, इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं कई बार कह चुका हूं कि परमिट जिले के अधिकारी देते हैं और अब खाद्य समिति के सम्मुख रखने के आदेश दे दिये हैं । इसलिये जिले की खाद्य समिति को अधिकार है कि जो उनका कुछ कोटा आया है उसमें ७५ फीसदी प्लानिंग को दे दें और बाकी देहात और शहर की जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार निर्णय ले लें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मथुरा जिले को कुछ ऐसा टीन दिया गया था जो गर्की पीड़ित किसानों के लिये था कि उनको प्राथमिकता दी जाय तो जब वह गर्की पीड़ित किसानों के लिये था तो वह शहर के लोगों को क्यों दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं बता चुका हूं कि यह आदेश है कि प्लानिंग को प्राथमिकता दी जाय । अब यह उनके यहां नवम्बर के बाद लागू हुआ तो मुमकिन है कि इससे पहले उन्होंने दिया हो ।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी, परमिट देने में जिनके ऊपर ब्लैक करने, भ्रष्टाचार करने और घूस खाने की जिम्मेदारी है उनके खिलाफ हमारे पत्र पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला अलीगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सन् १९६२-६३ में कितने लोगों ने टीन के लिये दरख्वास्त दी और उनको किस आधार पर परमिट दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि सलाहकार समिति के समक्ष प्रार्थना-पत्र रखने का आदेश कहीं पर किसी जिले में पालन नहीं हो रहा है और वास्तविकता यह है कि डी० एस० ओ० और इन्सपेक्टर रिश्वत लेकर इसका वितरण करते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह तो खाद्य समिति के सदस्यों की कमजोरी है कि वह मांगते ही नहीं हैं ।

श्री उग्रसेन—

क्या यह खाद्य सलाहकार समिति के सदस्यों की कमजोरी है जब कि सरकार के नियम और कानून ही कमजोर हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात भी सही हो सकती है और उनकी भी ।

भुन्ना के किसानों पर तकावी का बकाया

*१०—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा भुन्ना, जिला फर्रुखाबाद में किन-किन काश्तकारों पर सरकारी बीज गोदाम का तकावी का रुपया बकाया पड़ा है ? यह रुपया कितने दिनों से बकाया पड़ा हुआ है और उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

मौजा भुन्ना के दो काश्तकारों पर कृषि बीज गोदामों का कुछ बकाया, जिन्सें तथा नकद में वसूली करने के बाद भी रह गया, जो निम्न प्रकार है:

नाम काश्तकार	कर्ज देने का वर्ष	धन जो अभी बाकी है	
		रु०	न० पै०
१—श्री सूरज प्रसाद पुत्र श्री राम सहाय ..	१९५०–५१	५१२	६२
२—श्री राम सुन्दर लाल पुत्र श्री हीरा लाल ..	१९५०–५१	२७९	८७
३—,, ,, ,, ,, ..	१९४८–४९	४५	..
४—,, ,, ,, ,, ..	१९५८–५९	३२	०२

श्री सूरज प्रसाद अब दीदीपुर ग्राम, छिबरामऊ तहसील में रहते हैं । अतः तहसीलदार, कन्नौज ने वसूली का प्रमाण पत्र तहसीलदार, छिबरामऊ को भेज दिया है जो वसूली करने की कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री सुन्दरलाल से वसूली करने के संबंध में उनकी चल सम्पत्ति की कुर्की करने के आदेश तथा उनकी गिरफ्तारी का वारेन्ट तहसीलदार ने २३–८–६३ को जारी किया था परन्तु वह लापता हैं । श्री सुन्दर लाल की कोई सम्पत्ति कुर्क करने को प्राप्त नहीं हुई ।

चीनी का अतिरिक्त कोटा तथा फतेहपुर जिले में शकर वितरण

*११—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने वाले मासिक (शकर) चीनी कोटे में केन्द्रीय खाद्य मन्त्रालय द्वारा कुछ वृद्धि की गयी है ? यदि हां, तो वृद्धि कितनी हुई है तथा किस महीने से मिल रही है या मिलेगी, और वृद्धि किये गये कोटे की कितनी-कितनी मात्रा प्रत्येक जिले को बढ़ायी गयी है और वह कब से दी जा रही है या दी जायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

केन्द्रीय सरकार ने राज्य के मासिक कोटे में कोई स्थायी वृद्धि नहीं की है। उन्होंने १५०० मी० टन चीनी का कोटा अतिरिक्त १८-१२-६४ के एलाटमेंट के साथ दिया। १५०० मी० टन का यह अतिरिक्त कोटा तीन बार मिल चुका है जो संलग्न सूची में अनुसार अतिरिक्त कोटा के रूप में जिलों को दिया जाता है। यह कोटा केन्द्रीय सरकार किसी भी समय रोक सकती है।

*१२—श्री रामकिशोर वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले को अगस्त, सन् १९६३ से जनवरी, सन् १९६४ तक प्रत्येक मास में कितनी-कितनी मात्रा में चीनी दी गयी और उसमें देहात, हलवाइयों, स्पेशल परमिटों अथवा अन्य प्रत्येक सुरक्षित कार्मों के लिए प्रत्येक मास में कितनी-कितनी मात्रा में चीनी वितरित की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८८-२८९ पर)

*१३—श्री रामकिशोर वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री को पता है कि शासन के इस निर्णय के होते हुए कि शहरी क्षेत्र के निवासियों को १ किलो तथा ग्राम क्षेत्र निवासियों को १/२ किलो प्रति व्यक्ति प्रति मास चीनी दी जाय, फतेहपुर जिले के शहरी क्षेत्रों की जन-संख्या कम होते हुए भी राशन कार्डों में अधिक संख्या दिखाकर पूरी मात्रा में शकर दिलाने की व्यवस्था है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में १० वर्ष पुरानी लिखी तथ्यहीन जन-संख्या पर भी प्रत्येक १,१०० व्यक्तियों पर १०० किलो शकर दी जा रही है ? क्या सरकार इस विषय की असमानता को दूर कर इस प्रकार के आदेश जारी करेगी कि शहरों को दी जाने वाली मात्रा में कुछ हद तक कमी कर देहातों को दी जाने वाली मात्रा में कुछ वृद्धि की जाय ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ; वैसे शासन के आदेश हैं कि नगर क्षेत्र म प्रति यूनिट प्रति मास एक किलो शक्कर दी जाय। २० प्रतिशत बड़े उप-भोक्ताओं के लिये तथा ५ प्रतिशत विशेष परमिट हेतु सुरक्षित कर शेष कोटा ग्रामीण क्षेत्रों में जन-संख्यानुसार बांट दिया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति को एक बार में आधा किलो शक्कर दिये जाने के आदेश हैं न कि आधा किलो प्रति व्यक्ति प्रति मास। उपरोक्त आधार पर बांटने पर जो कोटा ग्रामीण क्षेत्रों के हिस्से में आता है वह लगभग १०० किलो प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मास आधा किलो शकर देना वर्तमान स्थिति में संभव नहीं है।

[२३ मार्च, १९६४ के लिये निर्धारित—तारांकित प्रश्न]

*१-३—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

[८वें सोमवार के लिए स्थगित किये गये।]

*४-५—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६-८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

फतेहपुर जिले में कोयले की दुकानें

*१०—श्री रामकिशोर वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि फतेहपुर जिले में साफ्ट कोक (कोयले) की दूकानें अत्यन्त कम मात्रा में हैं तथा तहसील बिन्दकी के कोड़ा जहानाबाद, अमौली, जाफरगंज कस्बों में अन्य व्यवसायिक कार्यों के दैनिक प्रयोग के लिये कोयला प्राप्त करने की बड़ी आवश्यकता रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक उक्त कस्बों में एक एक दूकान स्थापित करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिले में विशेषत: प्रश्न में उल्लिखित स्थानों में कोयले की अतिरिक्त दूकान की आवश्यकता के बारे में जांच पूर्ण होने के उपरान्त यथा संभव व्यवस्था शीघ्र की जायगी ।

स्थानीय निकायों के चुनाव

*११—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६४ में जो नगरपालिका व टाउन एरिया आदि के चुनाव होने वाले हैं, उन्हें स्थगित कर देने पर सरकार विचार कर रही है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*१२-१४—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला उत्तरकाशी)—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बरेली में नजूल भूमि पर अनधिकृत निर्माण

*१५—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जो नजूल भूमि पं० हेतराम, निवासी बरेली, को निवास के [illegible] में प्रयोग करने के लिये सरकार ने म्युनिसिपल विभाग के जी० ओ० सं० ३३०८/ग्यारह—[illegible] (सी), तिथि १८ अक्तूबर, १९०१ के द्वारा १९४० तक के लिये लीज पर दी थी और जिस पर उन के पुत्र, श्री द्वारिका प्रसाद ने सरकार का मालिकाना हक मानते हुये लीज का समय बढ़ाने की प्रार्थना की थी जैसा कि विभाग के जी० ओ० सं० १०००/ग्यारह-६४२-१९४०, तिथि २७ अप्रैल, १[illegible] से स्पष्ट है उस पर पं० हेतराम के पौत्रों आदि ने हजारों रुपये मासिक किराये के अवैधानिक निर्माण बिना लीज का समय बढ़वाये, मालिकाना हक दिखाते हुये, बनाकर आमदनी का साधन [illegible] लिया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां, मामला शासन के विचाराधीन है ।

*१६---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार ने बरेली नगरपालिका को जिलाधीश, बरेली द्वारा डी० ओ० संख्या ४५३५-बी/ग्यारह---के० एच०-१००५(१९)-६३, तिथि २८ नवम्बर, १९६३ लिखा है जिसमें नगरपालिका से ही नजूल भूमि सिद्ध करने के प्रमाण मांगे गये हैं ? यदि हां, तो नगर-पालिका द्वारा भेजे गये उप-सचिव के नाम पत्र संख्या १९२३/आर-आई-II-६३-६४, तिथि २६ दिसम्बर, १९६३ पर, जिसमें कुल नजूल भूमि पर लाखों रुपये की अनधिकृत निर्माण कर के सरकार को हानि पहुंचाने की शिकायत की गयी है, सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जी हां, अध्यक्ष, नगरपालिका की रिपोर्ट की केवल एडवांस कापी प्राप्त हुई है जिस पर जिलाधीश की अनुशंसा प्राप्त होने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार बतायेगी कि जब उसने जी० ओ० सं० १०००/११-६४२/१९४०, दिनांक २७ अप्रैल, १९४३ में यह मंजूर कर लिया है कि इस नजूल भूमि पर गवर्नमेंट के प्रोपाइटरी राइट्स हैं तो फिर उस पर कब्जे के कागजात मंगाने के लिये आर्डर्स क्यों भेजे गये हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यह विषय १८५७ के रेकार्ड स से ताल्लुक रखता है और चूंकि १९२१ में कलेक्टरी में नजूल के रेकार्ड स जल गये थे इसलिये कई जगह से इस बात का विवाद हुआ कि केवल नजूल की ही यह भूमि नहीं है बल्कि उनकी स्वयं की खरीदी हुई भूमि भी इससे सम्मिलित है । अतः इस प्रकार के रेकर्ड जिलाधीश द्वारा मांगना आवश्यक हो गया ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

यह भूमि चूंकि लीज पर दी गयी थी उनके पौत्र नाजायज तौर पर इस पर कब्जा किये हुये हैं । न लीज बढ़ा रहे हैं और न सरकार को पैसा दे रहे हैं । तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उसे इस बात का ज्ञान है कि जब ए० डी० एम० जे० ने और बाद में कमिश्नर ने भी उनके कब्जे को नहीं माना और सरकारी नजूल इसको साबित कर दिया है तो कलेक्टर से अब प्रमाण मंगाने की आवश्यकता क्या पड़ी क्योंकि यह तहसील के कागजात में नजूल दर्ज है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

इसमें कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गयी है क्योंकि प्लाट नं० ८५ पर ३०० रुपया किराया निर्धारित कर दिया गया था वार्षिक, लेकिन साथ-साथ जैसा मैंने कहा कि कुछ भूमि उस के अन्दर ऐसी भी है कि जो उनकी खुद की खरीदी हुई है जिसके वह मालिक हैं, इसीलिये जिलाधीश से रेकार्ड मंगाया जा रहा है और वे गंभीरता से इसकी जांच कर रहे हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार जिस भूमि को नजूल की मानती है उस पर अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करेगी और शेष पर कलेक्टर की रिपोर्ट आने पर कार्यवाही करेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

कलेक्टर की रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

यह कितनी भूमि का मामला है और कितना लगान उन से लिया जा रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जो सूचना है उसके अनुसार प्लाट नं० ८५ कुल १० एकड़ दो रोड्स और २६ [illegible] हैं जो ३०० रुपये वार्षिक पर है ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

यह नजूल की भूमि किस उद्देश्य से उठायी गयी थी और क्या यह भूमि उस काम में आ [illegible] या नहीं ? यदि नहीं, तो उनसे एजेक्ट कराने में क्या दिक्कत है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यह कहना संभव नहीं है कि किस उद्देश्य से यह भूमि दी गयी थी । एक पक्ष यह [illegible] है कि रहने के लिये दी गयी थी, दूसरी बात भी कही जा रही है । यह भूमि १८६८ में जिन बेगम साहिबा ने अपनी कह के वापस ली थी उनसे इन माधव राव ने उसका कुछ हिस्सा खरीद लिया था ।

*१७---श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)---

[२४ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।

अवक्रांत नगरपालिका, नजीबाबाद

*१८---श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नजीबाबाद म्युनिसिपैलिटी कितने दिन से सस्पेंड है और उसका प्रबन्ध जिलाधीश, बिजनौर के अधीन है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

नगरपालिका, नजीबाबाद दिनांक ३० जून, १९५७ स (Superseded) है तथा उसका प्रबन्ध जिलाधीश, बिजनौर के अधीन है ।

श्री श्रीराम---

यह म्युनिसिपैलिटी किन कारणों से सस्पेंड की गयी थी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

कारण बहुत से हैं । मुख्य यह हैं कि बोर्ड ने आर्थिक गड़बड़ियां कीं और अपने आय का ठीक-ठीक पालन नहीं किया । उससे सड़कों के निर्माण आदि कार्य में कोई ध्यान नहीं दिया । सफाई आदि की शिकायतें थीं । यह १९५७ में सुपरसीड हुई थी ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

जिन आधारों पर इस स्वायत्त शासन संस्था को सस्पेंड किया गया है इस प्रकार के कितने और आवेदन पत्र आये सरकार के पास इसी तरह के ऐलीगेशंस के तो उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

इसमें जो गड़बड़ियां थीं वह सबसे ज्यादा आर्थिक थीं । उन्होंने काफी कर्जा ले लिया था और कोई भुगतान नहीं होता था । जो इस प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं उन पर भी कार्य-वाही की जाती है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

इस साल जो म्युनिसिपैलिटियों का चुनाव होने जा रहा है उसमें इस टाउन एरिया का भी चुनाव कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह टाउन एरिया नहीं है, म्युनिसिपैलिटी है ।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां, समान्य निर्वाचन में इसका भी चुनाव होगा ।

श्री श्रीराम—

जब वह सस्पेंड कर दी गयी थी और उसका इन्तजाम क्लेक्टर कर रहे थे तो वहां जो सड़क आदि बननी थीं तथा जो और काम होना था वह क्यों नहीं हुआ और वेश्याओं को क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

बहुत-सा काम हुआ है । वेश्याओं का इसमें सवाल नहीं था ।

*१९-२०—श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

[७वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ८८-८९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

पशु चिकित्सा शुल्क

*२१—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में जब किसान अपने बीमार पशुओं को लेकर दवा लेनें जाते है, तो उन किसानों से अस्पताल के डाक्टर या कम्पाउन्डर बिना २० नये पैसे लिये न तो दवा देते हैं और न बीमार पशुओं को देखते ही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री चरणसिंह—

जी हां । जिला गाजीपुर तथा अन्य सभी जिलों के पशु चिकित्सालयों में २० नये पैसे व १० नये पैसे प्रत्येक बड़े व छोटे पशुओं पर चिकित्सा कराने का शुल्क (levy) सरकारी आदेश अनुसार लिया जाता है ।

श्री रघुवीर—

क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि इन पशुओं से जो शुल्क लिया जाता है वह न लिया जाय ?

श्री चरणसिंह—

पिछले साल जब संकटकालीन स्थिति थी, तब से यह शुल्क लिया जाता है । अब सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि कहीं कहीं यह शुल्क ८ आना तक लिया जाता है जैसे बलिया में ?

श्री चरणसिंह—

अगर किसी जिले या चिकित्सालय विशेष का नाम मेरे नोटिस में माननीय सदस्य लायेंगे तो मैं उसकी जांच करा लूंगा ।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि बीमार पशुओं से जितनी बार वे अस्पाताल जाते हैं, उतनी बार शुल्क लिया जाता है ?

श्री चरणसिंह—

यह बात सही है । उनको यह बात पहले से मालूम है ।

श्री शिवराजसिंह—

क्या सरकार के यह प्रश्न विचाराधीन है कि बीमार पशुओं से यदि वे उसी बीमारी के कारण कई बार जायं तब भी एक बार ही शुल्क लिया जाय ?

श्री चरणसिंह—

मैं तो जवाब दे चुका हूं कि सरकार इस पर विचार कर रही है । इसमें केवल वित्त विभाग ही नहीं आता, वित्त विभाग भी शामिल है ।

श्री उग्रसेन—

जब माननीय शिवराजसिंह इस विभाग में थे और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि यह ठीक कानूनी है, तो उस पर मंत्री जी ने विचार क्यों नहीं किया ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

*२२—श्री रघुवीर—

[८वें सोमवर के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३—श्री भगवानदास यादवेन्दु—

[८वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

स्वर्णकार पुनर्वास सलाहकार समिति के कार्य

*२४—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वर्णकार पुनर्वास सलाहकार समिति की कब नियुक्ति सरकार द्वारा की गयी है क्या उसमें आभूषण निर्माता एवं संघ के प्रतिनिधियों को भी रक्खा गया है ? यदि हां, तो उनका नाम क्या है और समिति के मेम्बरों के नाम क्या-क्या हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी नहीं । परन्तु उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के सभापति उसके सदस्य हैं तथा अखिलभारतीय स्वर्णकार संघ के मंत्री भी उसके सदस्य हैं । समिति के समस्त सदस्यों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २९० पर)

*२५—श्री ऊदल—

क्या समिति, बेकार स्वर्णकारों को पुनर्वासित करने, नये उद्योगों और व्यवसायों में लगाने, प्राविधिक शिक्षा देने तथा उनके बच्चों की शिक्षा देने के अलावा हाई स्कूल के ऊपर पढ़ने वाले बच्चों की फीस माफी तथा नौकरियों में कुछ कोटा तय करने पर भी विचार करेगी और टेक्निकल ट्रेनिंग में कुछ कोटा निर्धारित करने का सुझाव देगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

समिति के कार्यों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २९१ पर)

श्री ऊदल—

लिस्ट में ८वें नम्बर पर जिनका नाम है वह बहुत बड़े सोने चांदी के व्यापारी हैं। तो सरकार क्या इसकी जांच करायेगी कि यह इसमें कैसे आ गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसमें स्वर्णकार की हैसियत से रखे गये हैं।

श्री ऊदल—

जो स्वर्णकार इस स्वर्ण नियन्त्रण कानून से बेकार हो गये हैं जब उनकी कोई लिस्ट अभी तक सरकार ने नहीं बनायी है, तो किस बुनियाद पर उसने कौन कौन से काम किये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पहले दरख्वास्त की तारीख ३१ मार्च थी अब उसे केन्द्रीय सरकार ने जून तक बढ़ा दिया है। इस बीच में उनकी कमेटी की बैठक हुई जिसमें बता दिया गया कि लोन कैसे मिल सकते हैं, उनकी क्या-क्या सहायता की जा रही है, शिक्षा संस्थाओं में बगैर फीस के कितनी मात्रा में लिया जायगा, शिक्षा विभाग से बातें हो रही हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

यह जानते हुये कि कानपुर के हजारों स्वर्णकार विस्थापित हुये हैं तो सरकार ने उसमें से किसी को समिति में क्यों नहीं रखा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ये सब बातें विचाराधीन हैं।

श्री उग्रसेन—

प्रदेश के हजारों स्वर्णकारों को जिन्हें सरकार बेकार होने पर कोई रोजगार नहीं दे सकी तो क्या उन्हें बेकारी का भत्ता देंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

सरकार ने स्वर्णकारों की सहातया के लिये क्या क्या कदम उठायें हैं, क्या सरकार इसकी रूपरेखा बताने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

मैंने मोटेतौर पर बता दिया है कि अभी कोई २ हफ्ते हुये उनकी एक बैठक में बता दिया गया है कि लोन जैसे औरों को ३ परसेंट पर मिलता है तो उन्हें ढाई परसेंट पर मिलेगा, हाई स्कूल तक बगैर फीस के जैसे शैड्यूल्ड कास्ट वाले पढ़ते हैं ये भी पढ़ सकते हैं। जैसा उग्रसेनजी कह रहे थे, जो बिलकुल भूखा सा हो उसके लिये भी प्रबन्ध कर रहें हैं, वह बजट में होगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

जिन स्वर्णकारों के पास कोई संपत्ति नहीं है उन्हें जमीन देने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये नियम बने हुये हैं, लेकिन यह सब्जेक्ट अभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने हमें दिया है। जो कुछ रुपया आवेगा वह इस बजट में होगा और आगे पता चलेगा कि कितना आया।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जब श्रीमती सुचेता कृपालानी पिछले वर्ष बजट के समय श्रम मंत्री थी उस समय कानपुर के और प्रदेश के कुछ स्वर्णकार उनसे मिले थे और अभी तक इस पर कुछ फैसला नहीं हुआ है, तो क्या सरकार इसके लिये कुछ धन तुरन्त रखेगी ताकि जिनके घर में २,३ दिन तक चल्हा नहीं जला है और उनके बच्चे भूख से मर रहें हैं उनके लिये कोई प्रबन्ध तुरन्त किया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मुख्य मंत्री जी ने स्वयं केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के सामने इस प्रश्न को रखा था कि कोई ऐडहाक ग्रान्ट दे दें जिससे ऐसे लोगों की सहायता की जा सके और उन्होंने आश्वासन दिया है कि देने जा रहें हैं।

चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डेन

*२६—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या वन मंत्री जी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डेन की पोस्ट समाप्त करने जा रहें हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है। दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी बैंक द्वारा वितरित गृह निर्माण ऋण

*२७—श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

२४ फरवरी, १९६४ के लिये निर्धारित प्रश्न ३३ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह-निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार द्वारा अल्प आय एवं मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश को दिये गये कर्जे की ही वितरित करने की व्यवस्था है और पिछले ५ वर्षों में सरकार ने बैंक को लगभग तीन करोड़ रुपये ही कर्ज दिया है तो फिर बैंक ने तीन करोड़ के अलावा लगभग २८ लाख रुपये कर्जे किस मद से व किस की अनुमति से बांटा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

बैंक ने लगभग २८ लाख रुपया अपने कोष से इस आशा में बांट दिया कि चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा स्वीकृत होने वाले धन के प्राप्त होने पर बैंक द्वारा दिये गये धन को एडजस्ट (adjust) कर लिया जायेगा। इस संबंध में बैंक ने सरकार से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली क्योंकि बैंक द्वारा ऋण वितरण कार्य चालू रहता था तथा सरकार से समय समय पर धन प्राप्त होता रहता था।

*२८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

दिनांक २४ फवरी, १९६४ के प्रश्न ३४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह-निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार ने वित्तीय वर्ष, १९६३–६४ के लिये अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत २७.५९ लाख रुपये कर्ज दिया है और बैंक ने १७.५० रुपये सरकार से प्राप्त कर लिया है तो फिर इस चालू वर्ष के मंजूर प्लानों की क्रम से ऐडवांस किस्तें सब को अब तक क्यों नहीं दी गयीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत बैंक को १–४–६३ से ३१–१२–६३ तक १७.५० लाख रुपये प्राप्त हुये जब कि बैंक ने इस अवधि में २२,७६,६५७ रुपये वितरित किये। यह धन उन लोगों को बांटा गया जिन्हें १–४–६३ से पूर्व ऋण की कोई किस्त मिल चुकी थी।

कुछ धन नये ऋणियों को भी दिया गया जिनकी ऋण संबंधी कार्यवाहियां १–४–६३ के पश्चात पूरी हुई। पर १–४–६३ के बाद के सभी प्रार्थियों को ऋण देने भर को पर्याप्त धन नहीं था। बैंक द्वारा आवेदन पत्रों के क्रमानुसार ऋण वितरण संभव नहीं है क्योंकि जिन प्रार्थियों की ऋण संबंधी आवश्यक वैधानिक पूर्तियां पहले हो जाती हैं उन्हें ऋण प्राप्त पहले हो जाता है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

जब बैंक को सरकार द्वारा दिये गये कर्जे को ही बांटने की व्यवस्था है तो उसने पिछले वर्ष सरकार की अनुमति के बिना २८ लाख रुपया बैंक को कोष से इस आशा से बांटा कि सरकार से मिल जायगा, तो इस वर्ष बैंक ने यह कह कर कि सरकार ने रुपया नहीं दिया क्योंकि देना बन्द कर दिया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह सदैव होता रहा है कि कभी कभी बैंक ज्यादा रुपया दे देता है लेकिन जब सरकार का बैंक को देने के लिये समय आता है तो वह उसमें एडजस्ट कर लिया जाता है। इस प्रकार बैंक ने २८ लाख रुपया बांट दिया लेकिन अबकी जो रुपया सरकार ने दिया वह पर्याप्त नहीं हैं। इसलिये बैंक केवल उन्हीं को रुपया दे रहा है जिनकी पहली और दूसरी किस्तें अदा हो चुकी हैं।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

जब सरकार ने २७.५९ लाख रुपया १९६३–६४ के वित्तीय वर्ष के लिये अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना में मंजूर किया और बैंक ने पिछले साल वालों को ज्यादा रुपया देना तय किया तो फिर बैंक ने इस वर्ष नये प्रार्थना-पत्रों की क्यों स्वीकार किया और लोगों को पचासों मर्तबे बुलाकर सैकड़ों रुपया क्यों खर्च कराया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

क्यों उन्होंने दिया, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन चूंकि उनका हिसाब चल रहा है, शायद इसलिये उन्होंने दिया।

श्री ऊदल—

इस प्रश्न पर मंत्री जी विचार करने की कृपा करेंगे कि जो दरख्वास्तें आ गई हैं, उनके लिये कुछ ज्यादा रुपया देकर उन्हें रुपया दिलवा दें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

दिक्कत यह आ गई कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कह दिया कि हम लम्बी अवधि का कर्जा देने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये अपनी नीति हमें बदलनी पड़ रही है और सरकार के पास भी ज्यादा पैसा देने के लिये नहीं है। इसलिये बैंक अब उसी हिसाब से कर्जा देना एडजस्ट कर रहा है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि १९६३–६४ में मंजूर हुए प्लान्स की कार्यवाही पूरी होने के आधार पर जिन कर्जदारों को कर्जे दिये गये वे किन किन जिलों के कौन कौन से व्यक्ति हैं ? कितनी तारीखों को उनके प्लान मंजूर हुए और कितनी तारीखों को कर्जे दिये गये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

*२९-३०—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) तथा श्री बंकटासिंह (जिला खीरी)—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

सुल्तानपुर जिले में सस्ते गल्ले की दुकानें

*३१—श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले में सरकारी नयी सस्ते गल्ले की दुकानें कितनी खोली गयीं हैं और उनके वितरण की क्या और किसके द्वारा व्यवस्था की गयी है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

१४८ नई सरकारी सस्ते गन्ल्ले की दुकानें खोली गई हैं। इन दुकानों की नियुक्ति के आदेश ब्लाक प्रमुख, बी० डी० ओ० तथा तहसीलदार इत्यादि की सिफारिश पर जिलाधीश द्वारा किये गये हैं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि सुल्तानपुर में जो १४८ दुकानें खोली गयी हैं, उनमें से कितनी शहर में कितनी देहात में खोली गयी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

१४८ ही देहात में हैं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन दरख्वास्तों पर एम० एल० एज० ने कितनी सिफारिशें की थीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

एम० एल० एज० साहबान को सिफारिश नहीं करनी चाहियें, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

क्या माननीय मंत्री जी ने कोई इस प्रकार के आदेश दे रखे हैं कि जिन दरख्वास्तों पर विधायक सिफारिश करे, उनको मंजूर न किया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ऐसे आदेश भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उसने एक परिपत्र के द्वारा राशन की दुकानों को खास सलाहकार समितियों द्वारा बांटने की आज्ञा दी थी ? यदि हां, तो क्या इस जिले में खास सलाहकार समिति से कोई सलाह ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का परिपत्र गया है, मंत्री जी को उसको स्वीकार करना चाहिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सलाहकार समिति स्थान के विषय में निर्णय लेती है, नाम के विषय में नहीं।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि सलाहकार समिति की कोई भी प्रार्थनापत्र नहीं दिखाया जाता है तहसीलदार और कानूनगो की रिपोर्ट पर ही कलेक्टर और डी० एस० ओ० लाइसेंस दे देते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह बिलकुल नियमानुकूल ही करते हैं, जब तक वे अधिकारों के अनुसार कार्य करते हैं, हम उनके बीच में नहीं पड़ना चाहते।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

१४८ दूकानें मंजूर की गयीं हैं लेकिन समिति के सामने एक ही दरख्वास्त नहीं आयी, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सलाहकार समिति के सामने कोई दरख्वास्त आयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सलाहकार समिति कोई विशेष दूकानदार यदि खराब है तो उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करके निकलवा दे।

प्रयाग कुम्भ की तिथियां

*३२—श्री अवैद्यनाथ (जिला गोरखपुर), श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा), श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर), श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुम्भ के सम्बन्ध में इलाहबाद, जिला अधिकारियों ने जो बैठक अभी हाल में बुलायी थी उसमें कुम्भ की तिथियों के बारे में क्या निश्चित हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इलाहाबाद के जिलाधिकारियों ने जो बैठक बुलायी थी उसमें कुम्भ की तिथियों के बारे में कोई मतैक्य नहीं हो पाया। अतः जिलाधीश इलाहाबाद ने बैठक में शामिल होने वाले विभिन्न शास्त्र पंडितों, विद्वत परिषद् काशी, साधु समाज एवं अखाड़ों के तर्क वितर्कों के आधार पर यह मत व्यक्त किया है कि कुम्भ का आयोजन सन् १९६६ में किया जाय परन्तु चूंकि १९६५ में भी बहुत से यात्रियों के आगमन की सम्भावना है, इसलिए वर्ष १९६५ में भी मेले का यथोचित प्रबन्ध किया जाय।

*३३—श्री अवैद्यनाथ, श्री गंगा प्रसाद वर्मा, श्री टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री हिम्मत सिंह तथा श्री नाथू राम शिक्षक—

जो निश्चय किये गये हैं उनके शास्त्रीय आधार सरकार ने किस के द्वारा प्रमाणित करायें हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सरकार मेले का प्रबन्ध करेगी इसलिए शास्त्रीय आधार के प्रमाणित कराने का प्रश्न नहीं उठता।

*३४—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

[८ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

नोट—तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*३५—श्री दीपनारायणसिंह तथा श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

[हटा दिया गया।]

फैजाबाद जिले में खाद्यान्न की दुकानें

*३६—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद में प्रत्येक तहसील में कुल कितने राशन तथा चीनी की दुकान सरकार ने वर्ष १९६३-६४ में किन-किन स्थानों पर खोली हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना †संलग्न है।

फतेहपुर जिले में शकर की दुकानें

*३७—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला फतेहपुर के अन्तर्गत प्रत्येक अदालती पंचायत क्षेत्र में कितनी-कितनी सरकारी शकर की दुकानें हैं ? ये दूकानें कब खोली गयीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना †संलग्न है।

गोरखपुर जिले में खाद्यान्नों की दुकानें

*३८—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न तहसीलों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने के हेतु गोरखपुर जिले में कुल कितनी दरख्वास्तें पड़ी हैं तथा अभी तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गोरखपुर जिले में २ मार्च, १९६४ तक कुल ३१४ प्रार्थापत्र थे, जिनमें से २०१ प्रार्थना-पत्रों पर दुकान खोलने हेतु आदेश हो चुके हैं। जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति के निश्चयानुसार रिक्त स्थानों के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं, जिसकी संख्या अब तक ३०० के लगभग हो चुकी है और अब तक जिलाधीश ने निर्णय ले लिया होगा।

*३९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील में अभी तक कितनी अदालती पंचायतों में सस्ते गल्ले की दुकानें खुली हैं और बाकी में न खुलने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

फरेन्दा तहसील के अन्तर्गत अभी तक २७ पंचायती अदालतों के लिये सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें नियुक्त हो चुकी हैं। बहुत सी पंचायतों में पहिले से दुकानदार नियुक्त हैं, परन्तु उस क्षेत्र में गल्ले की मांग न होने के कारण दुकानें चल नहीं रही हैं। तिस बर भी उन रिक्त स्थानों के लिये पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित कर लिये गये हैं, जिन पर अब तक जिलाधीश ने निर्णय ले लिया होगा।

---

†छापी नहीं गई।

*४०–४२—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर), श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री ऊदल—

[८वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४३—श्री बेदराम (जिला एटा)—

[७वें सीमवार के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

हल्दौर टाउन एरिया

१—श्री श्रीराम—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले में हल्दौर टाउन एरिया की सीमा बढ़ाने के लिए ३ मास पूर्व टाउन एरिया हल्दौर ने कोई प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं।

२—श्री श्रीराम—

वह प्रस्ताव प्रान्तीय सरकार तक आया या नहीं ? यदि नहीं आया तो क्या उसे जिलाधीश बिजनौर ने रोक लिया है ? यदि रोका गया है तो उसका क्या करण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—जी नहीं।

तृतीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोरखपुर में नजूल भूमि पर निर्मित बंगले

३—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १६ नवम्बर, १९५२ की राजाज्ञा संख्या २०५२/११–ख–३२६२–५७, जो गोरखपुर म्युनिसिपल एरिया में नजूल जमीन के बारे में निकाली गयी है, वह क्या है तथा उस को निकालने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय सदस्य का ध्यान द्वितीय सत्र १९६३ के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९२ पर)

कृषि फार्म डूडी

४—श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि फार्म, डूडी कब से प्रारम्भ हुआ तथा फार्म अध्यक्ष किस समय तक कौन रहा और प्रत्येक के कार्यालय में फार्म में प्रति एकड़ पैदावार व वार्षिक आय अथवा क्षति क्या हुई ?

श्री चरणसिंह---

राजकीय कृषि फार्म डूडी मार्च, १९५९ से प्रारम्भ हुआ। स्थापना से अब तक नियुक्त फार्म अधीक्षकों के नाम तथा प्रति एकड़ पैदावार और वार्षिक लाभ अथवा क्षति का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २९३ पर)

५—श्री रामआसरे---

क्या श्री रामेश्वर तिवारी डूडी फार्म पर अध्यक्ष नियुक्त होने के पूर्व बाराबंकी जिले में कार्य कर चुके हैं? यदि हां, तो कहां पर और कितने साल तक?

श्री चरणसिंह---

जी हां।

हैदरगढ़ राजकीय बीज भंडार पर १९४६ से १५-४-१९५४ तक।

फर्रुखाबाद को टीन

६—श्री होरीलाल यादव---

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले से पूर्ति अधिकारी द्वारा १९६१-६२, १९६२-६३ तथा १९६३-६४ के दिसम्बर मास तक कितने टन पनालीदार टीन के लिए इन्डेंट भेजे गये और कितने टन टीन फर्रुखाबाद को उपरोक्त वर्षों में दी गयी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

वर्ष १९६१-६२, १९६२-६३ तथा १९६३-६४ के दिसम्बर तक क्रमशः ११५,४ तथा १० मैट्रिक टन पनालीदार टीन के इन्डेन्ट भेजे गये जिसके विरुद्ध प्राप्ति केवल १९६२-६३ में ३२.४३ मैट्रिक टन की हुई।

यू०पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन†

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में, परि- वहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० वी० आर-ए० एम०-४७-१७३८-टी० एम०-३०-पी-६२, दिनांक ११ जून, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

सिंचाई कर के द्विभागीय ढंग को लागू न करके पुराना ढंग रखने के संबंध में याचिका

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई कर के द्विभागीय ढंग को लागू न करके पुराना ढंग रखने के संबंध में श्री राम कुंवर सिंह, श्री रुद्रप्रताप सिंह, श्री राजेश्वरी प्रसाद, श्री जंगबहादुर सिंह व श्री जयगोविन्द सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं जो इस प्रकार है---

---

†छापे नहीं गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेवा में,

माननीय विधान सभा,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

द्वारा—श्री भानु प्रताप सिंह,

उपनेता स्वतंत्र पार्टी विधान मंडलीय दल ।

निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय वित्त मंत्री ने सन १९६४–६५ का बजट प्रस्तुत करते समय अपने भाषण में कहा था कि सरकार ने सिंचाई की प्रशुल्कों की वसूली की द्विभागीय पद्धति लागू करने का निर्णय कर लिया है । इस निर्णय के अनुसार नलकूपों के कमांड एरिया के अन्तर्गत जितना भी क्षेत्रफल है उस पर सिंचाई कर का एक भाग अनिवार्य रूप से वसूल कर लिया जायगा चाहे खेतों की सिंचाई हुई हो या न हुई हो। सिंचाई कर का दूसरा भाग केवल उन किसानों से वसूल किया जायगा जो वास्तव में सिंचाई करेंगे ।

उपरोक्त ढंग से सिंचाई कर की वसूली की घोषणा को सुन कर हम किसान, जिनका हस्ताक्षर नीचे किया हुआ है, आतंकित हो गये हैं। हम इस द्विभागीय वसूली के ढंग को किसानों के लिये निम्नलिखित कारणों से अहितकर समझते हैं:—

१—यह कि उपरोक्त ढंग के अपनाये जाने पर सरकार को उन किसानों से भी कर के एक भाग को वसूल करने का अधिकार मिल जायगा जिनके खेतों की सिंचाई करने में सरकारी साधन असमर्थ रहेंगे । बिना सिंचाई किये सिंचाई कर की वसूली पूर्णतया अनुचित है ।

२—यद्यपि नलकूपों की कमांड एरिया घटाई गई है फिर भी कमांड एरिया उस क्षेत्रफल से कहीं अधिक है जो वास्तव में नलकूपों से सींचे जा सकते हैं । प्रत्येक नलकूप के कमांड एरिया में ३०० से ४०० एकड़ भूमि ऐसी है जो कमांड एरिया में होते हुए भी सिंचाई से वंचित रहती है । राज्य में लगभग ८००० नलकूप हैं । इससे यह स्पष्ट है कि सिंचाई कर के वसूली के द्विभागीय पद्धति के अपनाये जाने पर २५ से ३० लाख एकड़ भूमि ऐसी होगी जो कमांड एरिया में होते हुए भी सिंचाई की सुविधा से वंचित रहेगी । परन्तु सरकार को उस पर सिंचाई कर वसूल करने का अधिकार मिल जायगा ।

३—किसान सिंचाई करे या न करे, करे तो कितना करे और किस साधन से करे, यह किसान की इच्छा पर निर्भर होना चाहिये । अनिवार्य रूप से सिंचाई कर की वसूली करके सरकारी साधनों का प्रयोग करने पर किसानों को बाध्य करना, उनकी व्यवसाय संबंधी स्वतंत्रता का अपहरण है । यह भारत के संविधान के प्रतिकूल है ।

अतः हमारी यह प्रार्थना है कि सिंचाई कर के द्विभागीय ढंग को लागू न किया बल्कि पुराना ही ढंग रक्खा जाय जिसके अनुसार जो किसान जितना पानी लेता है उससे उतना ही कर वसूल किया जाता है ।

हस्ताक्षर:

१—राम कुंवर सिंह, परसनीमाहपुर, जिला गाजीपुर ।

२—रुद्रप्रताप सिंह, ग्राम तरियारी, पो० जैगोपालगंज, केराकत, जिला जौनपुर ।

३—राजेश्वरी प्रसाद, ग्राम कमियार, पो० सोहना, जि० बस्ती ।

४—जंग बहादुर सिंह, ग्राम कठौतिया रामनाथ, पो० बिसकोहरबाजार, जिला बस्ती ।

५—जयगोविन्द सिंह, ग्राम अदसड़, पो० अमड़ा, जि० वाराणसी ।

श्री अध्यक्ष--

यह याचिका याचिका कमेटी को जायेगी ।

सदन की वैधानिकता पर व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

मेरा निवेदन इस आदरणीय सदन से यह है कि जिस गौरव और महत्व का अधिकारी यह सदन है उसी गौरव से और महत्व से हम काम करें। हमारे ऊपर एक उत्तरदायित्व है कि हम अपने बजट को फेल न होने दें। उस रोज मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात से कि यद्यपि हम लोगों ने यह तय कर लिया था कि हम बजट को उसी दिन समाप्त कर देंगे लेकिन उसे समाप्त नहीं कर सके। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिये।

मैं सब को सुनने के लिये तैयार हूं। १५ मिनट के अन्दर यह समाप्त हो जाय।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मैं केवल २ प्वाइंट सामने रखना चाहता हूं, एक तो संविधान की धारा १६४ (२) की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस में लिखा है कि "The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State". अर्थात् मंत्रिमंडल की इस सदन के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी परन्तु २१ मार्च को जब श्री केशव सिंह के मामले पर सदन में प्रस्ताव आया था तो श्री सैयद अली जहीर, न्याय मंत्री जो इस सदन के प्रमुख प्रवक्ता हैं उनकी यहां पर सदन में सम्मति आई और उसके विरुद्ध माननीय कमलापति त्रिपाठी, वित्त मंत्री ने वोट दिया जब कि मंत्रिमंडल की एक संयुक्त जिम्मेदारी है लेकिन इस तरह से वह भंग हुई है। इसलिये यह मंत्रिमंडल सदन के लिये संयुक्तरूप से अब जिम्मेदार नहीं रहा। दूसरे कैबिनेट की मीटिंग में चीफ जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट को बुलाया गया और इससे इस कैबिनेट का स्तर गिरा है और मंत्रिमंडल की छीछालेदर हुई है और बहुत हद तक मंत्रिमंडल का गौरव और गरिमा घटी है और इस तरह से वह इस सदन के प्रति जिम्मेदार नहीं रहा। इसके अलावा आप के ऊपर भी हाई कोर्ट ने कन्टेम्प्ट का नोटिस मूव किया है .....

श्री अध्यक्ष--

आपने अपने प्रस्ताव में यह लिखा नहीं है. . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र--

वह हम बिना लिखे उठा सकते हैं क्योंकि मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाये हूं, आप को कन्टेम्प्ट का नोटिस मिल गया है.....

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको डिसअलाऊ करता हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

इसके अलावा आज के अखबार में मोटे अक्षरों में स्पीकर को पनिशमेंट देने की बात छपी है....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, मैं बता दूं, नम्बर १ .....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय काशीनाथ जी ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है उस का समर्थन करने के बाद मैं कहूंगा कि संविधान की दफा १६४ (२) के अन्तर्गत जो मंत्रिमंडल और उस के वरिष्ठ मंत्रियों की जिम्मेदारी अलग से और संयुक्त रूप से है और श्री कमलापति त्रिपाठी, वित्त मंत्री जो कि उन के एक वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने वोट कर के अपने कर्त्तव्य की अवहेलना की है। इस तरह से संयुक्त जिम्मेदारी कहां रह गई? इसलिये काशीनाथ जी का सवाल सही है कि यह प्रापर्ली कांस्टीट्यूटेड सदन अब नहीं रह गया है और आप उसके अध्यक्ष भी नहीं रहे, इसको आप फौरन भंग करें और विधिवत् फिर से चुनाव करायें। कृपया आप इस प्रकार की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष—

जो व्यवस्था उठाई गई है उसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो सदन को याद रखना है और वह यह है कि विशेषाधिकार का प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अपना मत दे सकता है, हर व्यक्ति को अधिकार है कि विशेषाधिकार के सम्बन्ध में वह बिलकुल आजाद रहे और स्वतंत्रता पूर्वक अपना वोट दे, तो जिस ने जैसे वोट दिया है वह सही दिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

चीफ जस्टिस, इलाहाबाद केबिनेट की मीटिंग में क्यों बुलाये गये, उन्होंने केबिनेट मीटिंग में भाग लिया इस पर कहिये।

श्री अध्यक्ष—

केबिनेट का प्रश्न इस सदन के सामने नहीं है....।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

आप सुन लीजिये, आज सूबे में कोई सरकार नहीं है बिना इस बात का फैसला हुये....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, अगर नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ें।

श्री उग्रसेन—

हमारा निवेदन सुन लें.....

श्री अध्यक्ष—

पहले आप बैठ जायं.....

श्री उग्रसेन—

आप इस पर विचार करने का मौका दें.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, नहीं बैठते तो सदन छोड़ें।

श्री उग्रसेन—

मैं बैठ रहा हूं.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मंत्रिमंडल का जो प्रश्न है .....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो मैं कुछ फैक्चुअल इन्फार्मेशन इस संबंध में दे दूं.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप तो श्रीमन्, मुख्य मंत्री से ऊपर हैं, वह खड़ी हुईं तो आप बैठ कैसे गये ?

श्री उग्रसेन—

माननीय मुख्य मंत्री खड़ी हुईं और आप स्वयं खड़े होकर बोल रहे थे तो आप क्यों बैठ गये ? वह क्या आपके ऊपर हैं ?

(व्यवधान)

यह सदन का अपमान है....। हम उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाते हैं। आपको नहीं बैठना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—

आपने एक प्रश्न उठाया, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में उन्हें सूचना देना है। मैंने उसे स्वीकार करके चाहा कि सूचना दें।

श्री उग्रसेन—

उन्होंने कुछ नहीं कहा आप कार्यवाही देख लें, यह सदन का अवमान है, अध्यक्ष की कुर्सी का अवमान है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

आपने माननीय उग्रसेन से कहा कि मैं खड़ा हूं तो आप नहीं बोल सकते। इस सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री और अन्य माननीय सदस्य बराबर हैसियत रखते हैं.....

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

जिस तरह से यह घटना हुई.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप किसी के प्रेशर में काम करें यह उचित नहीं है, आप व्यवस्था दें।

श्री उग्रसेन—

आप तो इतना अधिकार रखते हैं कि हाई कोर्ट के जज को यहां पकड़वा कर हाउस के बार में बुला सकते हैं, तो माननीय मुख्य मंत्री के उठते ही बैठ गये।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय जेड० ए० अहमद को कैसे आपने खड़ा कर दिया बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न इतना है कि माननीय मुख्य मंत्री ने एक ऐक्सप्लेनेशन देना चाहा अगर मैं इजाजत दूं। मैंने उसे स्वीकार कर लिया और बैठ गया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपने कुछ कहा नहीं और बैठ गये। आप केवल मुख्य मंत्री के दर्शनमात्र से ही आसन ग्रहण कर लिये।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, एक माननीय सदस्य ने बराबर इस बात का आग्रह किया कि उसकी बात सुन ली जाय। लेकिन आपने कहा जब मैं बोल रहा हूं आपको उस बीच समय नहीं मिलेगा और आप बैठ जायं। लेकिन उसी बीच में मुख्य मंत्री खड़ी हुईं कुछ कहने को तो आप स्वयं बैठ गये। इससे हमको आभास होता है कि, सारे सदस्यों का मान और सम्मान बराबर है अधिकार बराबर हैं, आपके द्वारा अपोजीशन के सदस्यों के साथ और ट्रेजरी बैंचेज के साथ एक-सा व्यवहार नहीं होगा, जबकि आप ही हमारे सम्मान के रक्षक हैं। आशा करता हूं इसको आप ध्यान में रखेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, आप को नहीं बैठना चाहिये।

श्री जेड० ए० अहमद—

श्रीमन्, या तो इनको रोकिये या हमको सुनिये।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न आपने अभी उठाया है उसी पर माननीय अहमद बोल रहे हैं आप उनको सुनने दें। आप घबराइये नहीं वह आप ही का समर्थन कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

आप घबरा रहे हैं, हम नहीं घबरा रहे हैं, हम तो मस्त हैं।

*श्री जेड० ए० अहमद—

मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं जिस तरह से यह घटना हुई वह जरूर चिन्ताजनक बात है। इसलिये जैसा कि विरोधीदल के नेता ने कहा कि मुख्य मंत्री फौरन खड़ी हुईं तो आप फौरन बैठ गये.....

श्री अध्यक्ष—

आपने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में मैं कुछ सूचना देना चाहती हूं, तब मैं बैठा।

श्री जेड० ए० अहमद—

लेकिन जब स्पीकर आन लैग्स होते हैं तब मेरे ख्याल से मुख्य मंत्री को या किसी मंत्री को खड़ा नहीं होना चाहिये और अगर खड़े होते हैं तो स्पीकर को कहना चाहिये कि आप ठहरिये जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती तब तक आप बैठें। यह कनवेंशन होना चाहिये। मैं आशा करता हूं हाउस का गुड सेंस यही है कि भविष्य में इस प्रकार नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो प्रश्न रेज हुआ है उसमें कोई झगड़ा नहीं है, कोई डिसप्यूट नहीं है, उस संबंध में कोई डिफरेंस आफ ओपीनियन नहीं है। मैं बता दूं कि.....

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

आप बोल रहे थे माननीया मुख्य मंत्री फिर खड़ी थीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो नहीं देखा।

श्री अप्रसेन—

मेरा प्रस्ताव है कि आप मुख्य मंत्री के खिलाफ कार्यवाही करें। आपको अधिकार है कि आप जज को पकड़ा रहे हैं तो उनको जेल करवाइये।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रोपोजिशन आपने या डाक्टर जेड० ए० अहमद ने उठाया है उस प्रोपोजिशन को कन्टेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे मैं मानने के लिये तैयार हूं कि मुझे उस वक्त कहना चाहिये था कि तुम मत बोलो। अगर उनका प्रश्न यह था कि क्या मुख्य न्यायाधीश उनकी कैबीनेट में गये थे तो मैं कह रहा था कि कैबिनेट मीटिंग में वे चाहे जिसको बुलावें, वे सलाह कर सकते हैं।

(व्यवधान)

जब मैं यह कहने जा रहा था तो वे बीच में खड़ी हुईं। मैं तो कह रहा था कि जो प्रोपोजिशन आप कह रहे हैं उसको मैं कन्टेस्ट नहीं कर सकता और मैं यह भी कह रहा हूं कि शायद मुझे उस समय कहना चाहिये था कि आप बैठिये। शुरू में मेरा खयाल हुआ कि मैं ओवर रूल करूं। खयाल यह भी था कि शायद मुख्य मंत्री कोई एक्सप्लेनेशन दे दें जिससे आपको संतोष हो जाय लेकिन मैं यह जरूर मानता हूं कि मैं उस समय कहता कि वे न बोलें।

(व्यवधान)

श्री माधोप्रसादत्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या चीफ जस्टिस कैबीनेट में गये थे? मैं यह सूचना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री भगवान सहाय—

पहले आप वक्तव्य दे लें फिर कोई सदस्य बोले।

श्री अध्यक्ष—

मेरी मंशा यह थी कि कैबिनेट में जिससे वे सलाह करना चाहें, अपने डिसिजन लेने के लिए उसको वे बुला लें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि यद्यपि उनको बार एसोशियेशन में जाना था, लेकिन वहां का प्रोग्राम कैन्सिल करके वे कैबिनेट में गये।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

जब आपने मुख्य मंत्री को बुलाया.....

श्री अध्यक्ष—

यही तो मैं कह रहा था।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं पहले खड़ा हुआ या मुख्य मंत्री ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये । माननीय मुख्य मंत्री ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

आप कृपया सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं कैसे सुनूं ? मैंने माननीय मुख्य मंत्री को बुला लिया है ।

(व्यवधान)

*श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि खड़े होकर अगर मैंने कोई एटीकेट भंग किया है । मेरी मंशा यह नहीं थी । मैंने तो खड़े होकर यह कहा था कि अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं और अगर आप इजाजत नहीं देते तो मैं न बोलूं । यहां हाउस में मैं चाहती हूं कि स्वस्थ और अच्छा वातावरण बने और भरसक मेरी कोशिश रहती है कि वह बिगड़ने न पाये । मैं खड़ी होकर पहले इजाजत लेना चाहती थी ताकि एक फैक्ट की, जिसकी जानकारी यहां नहीं थी, सबको जानकारी करा सकूं । यह बात कही जाती है कि चीफ जस्टिस ने कैबिनेट की मीटिंग अटेंड की, यह खबर बिलकुल निराधार और गलत है । चीफ जस्टिस को मैंने बुलाया और उस समय मैं, चीफ जस्टिस, ला मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ये चार आदमी थे, कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं थी ।

*श्री कल्पनार्थसिंह—

आपने यह कहा था कि मुझे मुख्य मंत्री से यह कहना चाहिये था बैठ जाओ । अभी आपने यह शब्द इस्तेमाल किये । "बैठो" । अगर "बैठो" शब्द का इस्तेमाल सदन में होगा तो इससे बड़ी दिक्कत पैदा होगी । मैं निवेदन करता हूं कि आदरसूचक शब्दों का इस्तेमाल हर माननीय सदस्य के लिये होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह जानता हूं । इसमें कोई शंका भी नहीं है । मैं एक मिसाल के तौर पर कह रहा था, किसी के प्रति नहीं कह रहा था ।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मैं मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने दल हैं उनके अपने झंडे हैं, उनका आदर किया जाना चाहिये । लेकिन आज सबेरे जो लोग भूख हड़ताल करने जा रहे थे वे झंडे लगा रहे थे भूमि भवन कर के विरोध में । पुलिस वालों ने उन झंडों को उखाड़ कर फेंक दिया और पैरों से रौंदा और दल विशेष की भावना का निरादर किया जिससे बड़ा रोष व्याप्त है ।

दूसरे मुख्य मंत्री हमारे साथ पक्षपात करती हैं । जब हमारे साम्यवादी भाइयों ने भूख हड़ताल की तो उनको इजाजत मिल गयी, जरवल के लोगों को जुलूस निकालने की आज्ञा दी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

गयी लेकिन जब हम केवल २४ घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल करना चाहते थे तो उसकी इजाजत नहीं मिली और महिलाओं को ट्रकों पर जबरदस्ती बैठा कर हटाया गया, यह बड़े शर्म की बात है ।

*श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस तरह के प्रश्न उठा कर सदन का समय लिया जाता है यह कहां का तक उचित है और फिर हाउस की कार्यवाही कैसे चलेगी ? मैं यह रहस्य खोलना चाहता हूं कि कांग्रेस के अन्दर दलबन्दी है और इस तरह की बातें सदन में लाकर वह दलबन्दी यह चाहती है कि मुख्य मंत्री का शासन समाप्त हो और इसीलिये ऐसी चीजों का सदन में प्रचार किया जा रहा है, जब कि उसके पीछे कांग्रेस की दलबन्दी है ।

श्री अध्यक्ष—

यह आउट आफ आर्डर है । आप बैठ जाइये । जो बात माननीय लखपतराम शर्मा जी कह रहे थे कि यहां पर समय खराब नहीं होना चाहिये, उस बात की वह स्वयं प्रैक्टिस कर रहे हैं । यह तो हमारे माननीय सदस्यों के ऊपर निर्भर है । मेरे लिये शोभा नहीं देता कि मैं हर एक माननीय सदस्य से लड़ता फिरूं । दो मिनट आप बोलना चाहते हैं बोल लीजिये । लेकिन वास्तव में बात यह है कि हमें नियंत्रण रखना है और यह समझ लें कि व्यवस्था के प्रश्न का मतलब यह है कि जो नियमों से संबंधित हो । अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे सूचना दें कि मैं इस बात को उठाना चाहता हूं और मैं इजाजत दे दूं तब आप उठायें । तीसरी बात यह है कि यदि सूचना प्राप्त करना है या जानकारी प्राप्त करना है तो यह तरीका बिलकुल गलत है । जो जानकारी प्राप्त करना हो उसे लिखित रूप में आप मांग सकते हैं या मेरे कक्ष में आकर मांग सकते हैं ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि·····

श्री भगवान सहाय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण जी व्यवस्था का प्रश्न बहुत पहले से उठा रहे हैं ।

*श्री दीपनारायण सिंह—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा मानकर मैं बैठ गया था । आपने बहुत गम्भीर बात कही है । मेरी नामौजूदगी में जो सदन ने प्रस्ताव पास किया तो एक बड़ा कान्फ्लिक्ट सदन और कोर्ट में हुआ । आज के पेपर में निकला है कि वकील सालोमन को मुलजिम की हैसियत से तलब किया । उन्होंने मामला हाई कोर्ट को मूव किया तो चीफ जस्टिस ने आपको जो हमारे सदन की गरिमा की मूर्ति हैं और डाक्टर जेड ए० अहमद साहब को, जो उस प्रस्ताव के पास कराने में बोलने में थे, उनको तलब किया है । मैं इसलिये कह रहा हूं कि सदन ने जो हाई कोर्ट के दो जजेज के ऊपर कंटेम्ट आफ दि हाउस का मामला चलाया है क्या चीफ जस्टिस के खिलाफ भी यह सदन उसी तरीके से कार्यवाही करना चाहता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिये, यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा नया व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री भगवान सहाय—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है । क्या मुख्य मंत्री जी के आदेश को हाईयेस्ट जुडीशियरी के चीफ जस्टिस को मानना जरूरी है ? क्या जुडीशियरी चीफ मिनिस्टर के सगार्डीनेशन में है जो उन्होंने आदेश दे दिया और चीफ जस्टिस उनके आदेश पर तशरीफ ले आये । जहां तक मैं समझता हूं कि पोजीशन यह है कि इस हाउस के अपने प्रिविलेज हैं और हाई कोर्ट के अपने प्रिविलेजेज हैं । गवर्नमेंट चीफ जस्टिस को बुला सकती है या नहीं, इसके ऊपर आप अपनी रूलिंग दें ।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, अक्सर चीफ जस्टिस को इनवाइट कर देते हैं । यह पता नहीं कि किस लिये बुलाया ।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैं एक निवेदन कर दूं ।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर कोई बहस नहीं होगी ।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं कोई लम्बा-चौड़ा विचार प्रकट नहीं करूंगा । एक माननीय सदस्य ने कहा कि बड़े-बड़े मसले हैं और चीफ जस्टिस से मुख्य मंत्री परामर्श कर सकती हैं या करा सकती है । ऐसा कुछ उन्होंने कहा । मैं समझता हूं कि यदि गहन विषय सामने आया था तो निष्पक्ष भाव से इस गहन पहलू पर विचार करना चाहिये था । जो कुछ जल्दी में हो गया उसके लिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । लेकिन एक विषय जब एक संस्था क सामन है और माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने है तो बहुत बड़ा प्रश्न है । निष्पक्ष भाव से निर्णय करना है । क्या माननीय मंत्री जी का चीफ जस्टिस को बुला कर यहां परामर्श करना जुडीशल प्रोप्राइटी, चीफ मिनिस्टीरियल प्रोप्राइटी, गवर्नमेंटल प्रोप्राइटी के साथ कंसिस्टेंट है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन कर दूं । एक प्वाइंट आफ आर्डर पर मुझे अधिकार होगा कि स्वयं मैं समझ कर उस पर डिसिजन दे दूं या किसी से पूछना चाहूं तो पूछ लूं । मैं यह समझ रहा था कि कैबिनेट में जो मामला होता है, वह बिलकुल कांफीडेंशल है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कहीं इसकी रूलिंग नहीं है कि कांफीडेंशल है ।

श्री अध्यक्ष—

आप का स्कूल खुला है । मुझे मालूम है । बगैर आपके स्कूल जाये हुए जो मैं समझा हूं वह बता दूं । फिर आपके स्कूल में आ जाऊंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]

मेरा निवेदन यह है कि मेरा मत यह था कि किस विषय में आये, क्यों आये, क्या बातचीत हुई, हम अज्यूम कर लेते हैं कि वह इसी विषय में है । (व्यवधान) बहैसियत वकील के आप सिर्फ यह कह सकते हैं कि ऐसी शंका हो सकती है । आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ऐसी बात है । तो उसको समाप्त कीजिये ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

अब व्यवस्था के संबंध में मैं आपको नियम पढ़ कर सुना दूं—

"(१) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।

(२) औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा ।" उस समय जो कार्य आपके सामने हो उसी के संबंध में उठाइये ।

"परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि वह सदन में व्यवस्था रखने या सदन के समक्ष कार्य विन्यास के संबंध में हो ।"

तो यह भी जो प्रश्न उठायेंगे वह भी संबंधित होगा नियमों से ।

"(३) उपनियम (१) तथा (२) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुये कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेगा और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देंगे जो अंतिम होगा।

(४) किसी औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें, अपने विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बात सुन सकेंगे ।"

औचित्य प्रश्न में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठेगा और आखिर में जरा और ध्यान रखें कि कोई सदस्य जानकारी मांगने के लिये या अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये या जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो या काल्पनिक प्रश्न या विभाजन की घंटी नहीं बजी या नहीं सुनाई दी, इस प्रकार का औचित्य का प्रश्न नहीं उठायेगा ।

तो आप कृपा करके जानकारी के लिये प्रश्न न उठायें ।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

प्वाइंट आफ आर्डर । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन ने शनिवार को एक निर्णय लिया और इस सदन में आपने यह कहा था कि इस सदन का जो आदेश होगा उसको मैं कार्यान्वित करूंगा । लेकिन मेरी सूचना यह है कि अभी तक जो जजेज को बुलाने का समन था उसके ऊपर आपने साइन नहीं किया है । क्या यह सदन का अवमान नहीं है ?

श्री उग्रसेन—

इस संबंध में हमने और माननीय काशीनाथ जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दे रखा है । उसको भी इसके साथ ले लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नेकराम शर्मा---

तो, श्रीमन्, हमारा एक निर्णय हुआ। उस निर्णय के पालन के लिये, मेरी सूचना के मुताबिक, आपने न तो उस पर अभी तक सिगनेचर किया और न उस पर और कोई कार्यवाही की। यह कहां तक आपने उचित किया और अब आप क्या करने वाले हैं ? यह हमें शीघ्र बता दिया जाय जिससे हम भविष्य का ऐक्शन निर्धारित कर सकें।

श्री अध्यक्ष---

बिलकुल ठीक है, अवश्य बताया जायगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

हमारा एक विशेषाधिकार का प्रश्न है, उसको भी पढ़ दिया जाय।

*श्री राधेश्याम शर्मा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने और आदरणीय सदन ने एक निश्चय किया था हाई कोर्ट के जजेज को कस्टडी में लेने का। उसके विरुद्ध माननीय गया प्रसाद जी ने संविधान के अनुच्छेद २२६(१) के अनुसार हाई कोर्ट में दोबारा रिट कर दी। वह रिट अखबार में तो छपा ही है, माननीय जस्टिस निगम ने उसे सुना भी और सुनने के बाद रात को घर में सुना। तो, श्रीमन्, फिर आपके हाउस का कंटेम्पट दोबारा कर दिया क्योंकि आपका निर्णय जो था वह सुनने पर ही था कि सुनने पर ही कन्टेम्प्ट हो गया। तो माननीय जस्टिस निगम ने गया प्रसाद जी के रिट को सुना तो कार्यवाही सदन की फिर बाहर गई और जो उन्होंने सुना तो यह फिर कंटेम्प्ट हो गया क्योंकि हाउस निर्णय कर चुका है इस प्रकार का और आप व्यवस्था कर चुके हैं। तो अब इस संबंध में हाउस क्या निर्णय करेगा और माननीय जस्टिस निगम साहब को आप कब कस्टडी में लेंगे, यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

मैं एक क्लेरिफीकेशन चाहता हूं और वह यह है कि माननीय राधेश्याम शर्मा ने एक वस्तुस्थिति श्रीमन्, के समक्ष प्रस्तुत की है, उसमें उन्होंने न तो कोई डाक्यूमेंट पेश किया इस सदन के सामने, न यह मालूम है कि क्या रिट उन्होंने पेश किया है, उसके ग्राउन्ड्स क्या हैं.....

श्री अध्यक्ष---

यह आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिये कृपा करके, मैं बता दूंगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

अब एक माननीय राधेश्याम जी का प्रश्न है और एक माननीय नेकराम का है।

श्री उग्रसेन---

एक हमने जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिया है उसको इसी के साथ ले लें तो सब मामला हल हो जायगा। उसको पढ़ दिया जाय, आपकी परेशानी कम हो जायगी। साथ ही ले लें।

श्री अध्यक्ष---

नहीं, मुझको बिलकुल परेशानी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इतने आदमियों के बीच में, जहां इतने बुद्धिमान आदमी बैठे हैं, वहां मुझे विश्वास है कि सब मेरा समर्थन कर रहे हैं। आप घबरायें नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[अध्यक्ष]

अब एक प्रश्न जो माननीय राधेश्याम जी ने उठाया है वह अगर यह प्रश्न उठाना चाहते हैं तो लिखकर दें, तब उस पर विचार होगा।

जहां तक माननीय नेकराम जी का प्रश्न है, मैं आपके सामने निवेदन करता हूं कि उस संबंध में कार्यवाही हो रही है। यह अवश्य है कि परसों रात को ८ बजे सदन उठा था और कल छुट्टी थी इसलिये विलम्ब हुआ। उसमें कार्यवाही हो रही है और होगी।

श्री नेकराम शर्मा—

आज शाम तक हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

शाम तक पूछ लीजियेगा।

*श्री उग्रसेन—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस संबंध में, श्रीमन्, हमारे नेता राजनारायण जी ने आपको टेलीफोन किया कि मिस्टर सालोमन और केशव सिंह मेरे कमरे में बैठे हुए हैं मेरे सामने, आप उनको गिरफ्तार कर लीजिये तो आपने कहा कि मैंने फाइल नहीं देखी है। तो यह कन्फ्यूज्ड आपने किया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मुझे बड़ा दुख है कि इस किस्म की बात यहां होती है। व्यक्तिगत मेरे संबंध में कोई बात हो तो उसका जिक्र यहां नहीं आना चाहिये। लेकिन चूंकि आ गया है तो मैं बता देता हूं कि शनिवार को रात साढ़े नौ बजे उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने कहा कि अभी मैं आया हूं, साढ़े आठ बजे सदन समाप्त हुआ है, तो अभी मैंने फाइल नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि वह आपके पास भेज दी गई है, तो मैंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य इजाजत नहीं देता कि मैं रात को काम करूं। मैं कल देखूंगा। यह मैंने कहा। उन्होंने यह जरूर कहा था कि सालोमन साहब और केशवसिंह जी बैठे हुये हैं आप इन्हें गिरफतार कर लो; तो क्या मैं जाकर उनको गिरफ्तार कर लेता ?

(व्यवधान) नो आर्ग्यूमेंट नाऊ, प्लीज।

श्री उग्रसेन—

आप मित्थल साहब को भेज देते, इनकी तबियत तो खराब नहीं थी।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं।

श्री भगवान सहाय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

अब कोई बात नहीं।

श्री उग्रसेन—

आइटम नम्बर ५ पर आप क्या ऐक्शन ले रहे हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भगवान सहाय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि आप सदन के आदेश पर क्या ऐक्शन ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो सदन का आदेश है वह कैरी आउट करूंगा। और क्या ऐक्शन लूंगा?

श्री उग्रसेन—

अगर कैरी आउट करेंगे, तो जज अब तक बांधकर क्यों नहीं लाये गये?

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास अब कई विशेषाधिकार के प्रश्न आये हैं। मैंने उनको देखा नहीं है। उनको देखकर निर्णय करूंगा।

*श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं एक विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना श्री एच० एन० मिश्र, वाइस प्रेसीडेंट अवध बार एसोसियेशन, श्री हैदर हुसैन और श्री धवन के विरुद्ध उठाने की सूचना देता हूं। जूरिस्ट इंटरनेशनल कमीशन ने ५८ में जो निर्णय लिये हैं उनके अनुसार कोई थ्रेट असेम्बली या पार्लियामेंट को नहीं दी जा सकती। इन लोगों ने उस निर्णय के विरुद्ध कार्य करके असेम्बली को थ्रेट दिया है और स्पीकर, डा० जेड० ए० अहमद, बी० बी० शरण साहब के विरुद्ध एप्लीकेशन दी हैं। तो मैं नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजियेगा।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैं मित्थल साहब, सेक्रेटरी, के खिलाफ विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना लिखकर दे चुका हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। श्रीमन्, इन्होंने हमारे आदेशों को नहीं माना है। यह हमारे नौकर हैं और हम इनको निकलवा देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार के जितने प्रश्न आये हैं वह सब विचाराधीन हैं। वह मैं देख नहीं सका। इसी तरह से नियम ५२ के अधीन भी जो सचनायें हैं वह भी मैं नहीं देख सका। २ बजे मैं नियम ५२ की सूचनाओं को देखकर निर्णय करूंगा।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुलम्बन के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

श्रीमन्, दिनांक २१ फरवरी, १९६४, को गोरखपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति को, श्री लालता सिंह, अध्यक्ष, श्री सुरेश पांडेय, उपाध्यक्ष, तथा श्री अनिल कुमार उपाध्याय, मंत्री, गोरखपुर विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ, के हस्ताक्षरों से एक प्रार्थना-पत्र मिला। उसमें निम्नलिखित दो मांगें थीं:—

(१) शुल्क न देने के कारण किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने से न रोका जाय,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर रामनारायण पांडेय]

(२) प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा में उपस्थिति कम होने के कारण विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से न रोका जाय।

इसके पश्चात् २२ फरवरी, १९६४, को इन्हीं विद्यार्थियों ने एक नोटिस दी कि यदि उनकी मांगें न स्वीकार की गईं तो वे भूख हड़ताल करेंगे। श्री सुरेश पांडेय, एम० ए० (प्रथम) वाइस प्रेसीडेंट, ने २४-२-१९६४ को ११ बजे दिन से भूख हड़ताल शुरू कर दी और २६-२-६४ को ४ बजे शाम से श्री अनिल कुमार उपाध्याय ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। उपकुलपति ने यह कहा कि जब तक विद्यार्थी भूख हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे तब तक वह उनकी मांगें स्वीकार नहीं कर सकते। इसके बाद भूख हड़ताल समाप्त हो गई। इस पर उपकुलपति ने समझा कि मामला अब ठीक हो गया है। पर होली की छुट्टियों के बाद जब २ मार्च को विश्वविद्यालय खुला तो सर्वश्री सुरेश पांडेय, वीरेन्द्र कुमार सिंह और रामहरख यादव रजिस्ट्रार के कार्यालय में गये और उनसे कहा कि उन्हें यूनियन की जनरल बाडी की बैठक को बुलाने की अनुमति दी जाय ताकि वह विद्यार्थियों को बता सकें कि अनशनकारियों ने भूख हड़ताल क्यों समाप्त की। जब रजिस्ट्रार ने बताया कि यह अधिकार उनको नहीं है तब उन्होंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया और उन्हें कार्यालय के कार्य करने में बाधा डाली।

दिनांक ६ मार्च, १९६४ को श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, एम० ए० द्वितीय वर्ष, ने उपकुलपति, विभागाध्यक्षों तथा अन्य अध्यापकों के विषय में अपशब्द कहे और जब उनसे असिस्टेंट प्राक्टर श्री वी० वी० सिंह ने कहा कि तुम्हें ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिये, तब उनका व्यवहार हिंसात्मक हो गया। उन्होंने सहायक प्राक्टर के प्रति भी बुरे शब्दों का प्रयोग किया।

उपकुलपति ने अनुशासन एवं स्वच्छ वातावरण के हित में इन विद्यार्थियों से उनकी गलत कार्यवाही के लिये स्पष्टीकरण मांगा व उस पर विचार करने के उपरान्त सर्व श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, सुरेश पांडेय तथा वीरेन्द्र कुमार सिंह को विश्वविद्यालय से १९६४-६५ के शिक्षासत्र तक के लिये निकाल दिया गया। श्री रामहरख यादव पर भी ५० रुपया जुरमाना किया गया और उनसे यह कह दिया गया कि उन्हें १९६४-६५ के शिक्षासत्र में भरती नहीं किया जायगा। इस कार्यवाही के बाद विश्वविद्यालय में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी व वातावरण प्रायः शान्त रहा। यहां पर यह बताना असंगत न होगा कि गोरखपुर में दफा १४४ गत दो मासों से लगी थी। दफा १४४ की अवधि मार्च १६, १९६४ से एक माह के लिये और बढ़ा दी गई क्योंकि यह आवश्यक समझा गया कि बोर्ड की परीक्षायें आरम्भ हो गई हैं व उनमें कोई बाधा न पड़ सके। पुलिस का भी शहर में समुचित प्रबन्ध कर दिया गया था व जिला अधिकारी शान्ति बनाये रखने के लिये सदैव सजग रहे हैं। यदि राजनैतिक पार्टियां अधिकारियों से शिक्षा के हित में पूर्ण सहयोग करेंगी तो आशा है कि स्थिति पूर्णतया शान्त रहेगी।

जहां तक विद्यार्थियों की उपस्थिति कम होने के कारण उन्हें परीक्षा से रोकने की बात है, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि ५० प्रतिशत तक उपस्थिति ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाय। परन्तु जिन्होंने फीस नहीं दी है उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है। हाजिरी का प्रतिशत घटाने से अधिकांश विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई है। विश्वविद्यालय एक स्वतन्त्र संस्था है। उसे इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का स्वयं ही अधिकार प्राप्त है। जहां तक शासन का सम्बन्ध है, उसका प्रयास यही रहा है कि वातावरण शान्त रहे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

क्या मन्त्री जी को इस बात का पता है कि जो छात्र निष्कासित हुये हैं, वे लड़कों की मांग को लेकर बहुत दिनों से लड़ते रहे और सरकार जो अनुदान बाढ़ पीड़ित छात्रों के लिये या दूसरी जगह की यूनिवर्सिटी को देती है वह रुपया अधिकारी अपने लिये रख लेते है, जिससे अध्यापकों और छात्रों में एक जिच पैदा हो गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जहां तक विद्यार्थियों की मांगों का सम्बन्ध है, वह तो मैंने सदन के सन्मुख प्रस्तुत कर दीं। उनकी दो मांगें थीं। एक तो यह कि जिन लड़कों ने फीस नहीं दी है उनको परीक्षा में बैठने से न रोका जाय और दूसरी यह कि जिनकी हाजिरी पूरी नहीं हे उनको भी बैठने से रोका न जाय। बाद में जिन लड़कों को निकाला गया है उन्होंने विभागाध्यक्षों के प्रति और प्राक्टर के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया और गलत आचरण किया, इसलिये उनको निकाला गया।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि उपकुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय में सामाजिक तत्वों को ठीक करने के निमित्त विद्यार्थी नेताओं को यह आश्वासन दिया कि जांच समिति बैठाने जा रहे हैं ? अगर वह समिति बैठाई गई तो उसकी रिपोर्ट कहां है, मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं जानना चाहता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थिति कब से उनको खराब दिखायी दी और क्या यह सही है कि जिन अध्यापकों और वाइसचांसलर के बारे में कहा जाता है उन सब पर यह चार्ज था कि एक वरिष्ठ अध्यापक को विद्यार्थियों से पिटवाने में उनका हाथ था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसकी कोई सूचना नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी को पता है कि बहुत से लड़के गरीबी के कारण अपनी फीस नहीं दे पाये मगर कालेज में हाजिर रहे ? तो जब उन्होंने फीस मय जुर्माने के जमा कर दी है, तो सरकार क्या उनको इम्तिहान देने का मौका देगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

२५ तारीख से पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के इम्तिहान होंगे। २५ तारीख तक जो फीस दे देगा उन्हें भी इम्तिहान में बैठने की अनुमति दी जा रही है। जहां तक अंडर ग्रेजुएट्स का सवाल है, ३ तारीख से उनके इम्तिहान है और ३० तक जो फीस जमा कर देंगे, इम्तिहान दे सकेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि वहां लड़के फीस दाखिल करने गये थे लेकिन वाइस चांसलर और दूसरे लोगों ने उनकी फीस लेने से इंकार कर दिया, तभी यह समस्या पैदा हुई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वे आज भी फीस लेने के लिये तैयार हैं। लौटाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जिन विद्यार्थियों के खिलाफ यह चार्ज है कि उनकी हाजिरी कम है, क्या यह सही है कि उनकी हाजिरी पूरी रहने के बावजूद भी वाइस चांसलर ने उनका परसेंटेज हाजिरी का कम करने की कोशिश की है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

स्थिति यह नहीं है। स्थिति यह है कि यूं तो हाजिरी का परसेंटेज ७५ प्रतिशत होना चाहिये, १० प्रतिशत कंडोन करके ६५ रहता है। उसे घटा कर ५० कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इम्तिहान में बैठ सकें। लेकिन यदि उसके बाद भी किसी विद्यार्थी का प्रतिशत ४५ रहता है बीमारी आदि के कारण, तो उसके लिये भी कंसीडर कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

लालता सिंह, कल्पनाथ राय आदि छात्र क्या यह सही है कि वाइस चांसलर के पास गये और उनसे निवेदन किया कि आपके जो चचा अंधे प्रोफेसर हैं उनको हटा दें, इसलिये चिढ़ कर यह कार्यवाही की गयी है ?

डाक्टर राम नारायण पांडेय—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

जो ४५ प्रतिशत हाजरी वालों को अनुमति देने की बात मंत्री जी ने बतलायी क्या उसकी सूचना जल्द से जल्द विद्यार्थियों और अध्यापकों तक पहुंचायी जायगी ताकि वे इस सुविधा से लाभ उठा सकें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

५० प्रतिशत के लिए घोषणा हो चुकी है और नीचे के लिए लिख दिया गया है कि वह अपने यहां से प्रस्तुत करें। और कोई रोका जा रहा है तो वह रिप्रेंजेंट करे कि उसे लिया जाय।

श्री रामायणराय—

पिछले वर्षों में उपस्थिति और फीस के नियमों से हट कर वर्तमान उपकुलपति नये ढंग अख्तियार कर रहे हैं और यूनियन के वर्तमान पदाधिकारी के बार-बार आग्रह करने पर भी उपकुलपति कुछ असामाजिक तत्वों के प्रोत्साहन के कारण नये नियम बनाये हुए हैं, क्या यह सही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जहां तक अधिकारियों का सवाल है, उनमें से अध्यक्ष तो स्वयं माफी मांग चुके हैं कि कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। यह तो यूनियन के अधिकारी इस किस्म के रहते ही हैं। इस तरह के प्रश्न उठाते ही रहते हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

जैसा कि कहा जाता है कि बहुत लोगों की हाजरी की परसेंटेज गिरा दी गयी है, तो क्या उनके आवेदन-पत्र पर इम्तिहान में बैठने की आज्ञा देंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

आज्ञा देने का प्रश्न नहीं है, वह पहले हो चुकी है, माननीय सदस्य भी देख सकते हैं।

श्री रामायणराय—

इन्हीं मांग-पत्रों को लेकर इन विद्यार्थी नेताओं ने अपने मांग-पत्र भेजे हैं, उन पर आपकी ओर से अभी तक क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हम लोगों को कुछ नहीं करना है, वह तो आटोनामस बाडी है।

श्री उग्रसेन—

जब ऐसा है तो आप उपकुलपति को अपनी पुलिस क्यों देते हैं और जिस उपकुलपति के शासन में वी० सी० से खुराफात हो रही है उसको हटाने की कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं ?

विद्युत उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

एक जानकारी देना चाहता हूं कि यह तो संभव है कि विद्यार्थी फीस न दें लेकिन विद्यार्थी की हाजरी न हो, यह बात सोचने की है। जब ७५ फीसदी रखी गयी थी, वह ४५ फीसदी कर गयी और फिर चार्ज ऐसी विद्यार्थियों ने नहीं लगाया अभी तक, यह आपने ही लगाया है ऐसी बात सदन में नहीं कहनी चाहिये।

श्री उग्रसेन—

बिजली मंत्री शिक्षा की बात क्या जानें ?

श्री कल्पीनाथ मिश्र—

यूनिवर्सिटी रूल्स के अन्तर्गत बराबर स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट अभिभावकों के पास भेजी जाती है और मंत्री जी ने कहा कि आचरण से संबंधित नहीं है तो क्या उनके अभिभावकों के पास उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि स्टूडेंट की हाजरी कम है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

दोनों ही बातों पर विद्यार्थियों को सूचित किया गया, इंटरव्यू दिया गया।

श्री कल्पनाथसिंह—

इस यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के खिलाफ, कुनबापरस्ती, भ्रष्टाचार, हुड़दंग पैदा करना, विद्यार्थियों को लड़ाना, विद्यार्थी नेताओं को पनिश करने के सारे चार्जेज लगाये जाते रहे हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी खुली जांच करायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

शिवनन्दन विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, छतौनी व नगराम, जिला लखनऊ के छात्रों की छात्रवृत्तियों के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवनन्दन विद्यालय छतौंनी नगराम, जिला लखनऊ, में छात्र-वृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ३७ है। इनमें से २४ विद्यार्थियों को हरिजन कल्याण विभाग से तथा १३ विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग से छात्रवृत्ति मिली है। इस समय इन छात्रवृत्तियों का जुलाई ६३ से फरवरी ६४ तक का भुगतान किये जाने का प्रश्न है।

जांच से यह मालूम हुआ कि जुलाई ६३ से अक्टूबर ६३ तक का हिसाब किताब भूतपूर्व प्रिंसिपल, श्री आर० के० तिवारी, जो कि ९-१-६४ से त्याग-पत्र दे चुके हैं, और इस समय मंसादीन इन्टर कालेज, लखनऊ, में लेक्चचर हैं, के पास है। उन्होंने सारे कागजात नोटिस दिये जाने के बावजूद भी अभी तक नहीं लौटाये हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक इस मामले को देख रहे हैं।

[डाक्टर रामनारायण पांडेय]

जुलाई ६३ से अक्टूबर ६३ तक की अवधि में हरिजन कल्याण विभाग से मिलने वाली १८ छात्रों की छात्रवृत्ति का ४३२ रुपया का बिल, जो पहले से छात्रवृत्ति पा रहे थे और केवल नवीनीकरण करना था, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सितम्बर ६३ में पास किया गया था। इस धन को पूर्व प्रिंसिपल श्री आर० के० तिवारी ने खजाने से निकाला अथवा नहीं, यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि उस समय के अभिलेख उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।

जुलाई ६३ से फरवरी ६४ तक का शेष १४ विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का पूरा धन तथा नवीनीकरण वाले विद्यार्थियों के चार महीने अर्थात् नवम्बर ६३ से फरवरी ६४ तक का कुल धन १३८६ रुपये होता है किन्तु इसके विपरीत केवल ८९४ रुपये खजाने से निकाले गये इसमें से ४३० रुपया अभी तक नहीं बांटा गया। मैनेजर ने १९-३-६४ को लिखित आश्वासन दिया है कि वह धन दो दिन के अन्दर बांट दिया जायेगा। शेष धन अभी खजाने से निकालना है।

शिक्षा विभाग ने इस विद्यालय में ७ पुस्तक सहायता, एक परीक्षा शुल्क तथा, ५ छात्रवृत्ति स्वीकार की थी। इनमें से ६ विद्यार्थियों के अक्टूबर तक का सहायता धन १९५ रुपया प्रति हस्ताक्षरित कर दिया गया था और ये सब बिल भूतपूर्व प्रिंसिपल श्री आर० के० तिवारी को वापस कर दिये गये थे। यह निश्चय नहीं है कि यह धन निकाल कर वितरित किया गया अथवा नहीं क्योंकि इसके समस्त अधिलेख प्राप्त नहीं हो रहे है और इसकी जांच की जा रही है।

एक विद्यार्थी की छात्रवृत्ति रद्द कर दी गयी है क्योंकि उसे हरिजन विभाग से दूसरी छात्रवृत्ति मिल रही थी। एक दूसरे विद्यार्थी का बिल विद्यालय से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ यद्यपि उसे तुरन्त भेजने के आदेश दिये जा चुके हैं।

५ विद्यार्थी के सम्पूर्ण वर्ष के बिल तथा ३ के शेष बिल, जिसकी कुल धनराशि २९० रुपये होती है, वे १३-३-६४ को जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत किये गये और उसी दिन पास कर दिये गये, सिवाय एक बिल के जो १९-३-६४ को पास किया गया। अभी इन बिलों के कैश कराने की सूचना नहीं है।

इस प्रकार से वह धन जिसके दुरुपयोग का संदेह हो सकता है, वह रुपया ४३२ + १९५ अर्थात् ६२७ रुपये भूतपूर्व प्रिंसिपल श्री आर० के० तिवारी के समय का है। इसके संबंध में जिलाधीश, लखनऊ, को रिपोर्ट दे दी गयी है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। शेष धन या तो खजाने से निकाला नहीं गया अथवा बांटा नहीं गया। दोनों ही प्रकार के धन के संबंध में मैनेजर ने आश्वासन दिया है कि ३-४ दिन के अन्दर बटवा दिया जायेगा।

छात्रवृति न मिलने की शिकायत इससे पूर्व न तो निदेशालय, हरिजन तथा समाज कल्याण को और न जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को प्राप्त थी। अतएव इससे पूर्व किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, मेरे पास अभी शिकायतें आई हैं कि कुछ लोगों को अभी तक रुपया नहीं मिला है। शिवप्रसाद, कक्षा १० (अ) का १४४ रुपये, महाराजदीन, कक्षा १० (ब) का ९६ रुपया, राजेश प्रसाद कक्षा १० (अ) का ९६ रुपये, लाल बहादुर कक्षा १० (अ) का ८० रुपया अभी तक बकाया है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी पूरी जांच करायेंगे और जिन अधिकारियों की गलती है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, बिलकुल यही इरादा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि जब माननीय लखी सिंह ने प्रश्न किया और उसका उत्तर पूछा गया, उसके बाद ही प्रधानाचार्य ने इस्तीफा दे दिया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

प्रधानाचार्य ने तो ९ जनवरी को ही इस्तीफा दे दिया था।

श्री हरीश कुमारगंगवार (जिला बरेली)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब प्रधानाचार्य ने इस्तीफा दिया और मैनेजर साहब ने उसका स्तीफा मंजूर करके उसको रिलीव किया था तो उनसे पूरा चार्ज समझ लिया था या नहीं? उस चार्जशीट में इस रुपये का भी जिक्र था या नहीं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यही तो जांच हो रही है कि प्रिन्सिपल दोषी है या मैनेजर दोषी है। फिर भी प्रयत्न यह किया जायगा कि उसकी वजह से किसी विद्यार्थी को कोई कष्ट न हो।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गबन की जानकारी उनको कब हुई?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, इसकी जानकारी तो इस प्रश्न के आने के बाद हुई।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में कोई कदम उठा रहे हैं कि भविष्य में विद्यालय के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिल जाया करे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

हरिजन विभाग से यह किया जाता है। वे बराबर इस बात का प्रयत्न करते हैं कि हर विद्यालय में छात्रवृत्तियां समय से मिल जायं।

श्री लखीसिंह---

इन छात्रों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अभी तक इन लोगों को यह नहीं बताया गया कि उनकी छात्रवृत्ति सरकार की तरफ से मंजूर हुई है, क्या मंत्रीजी इसको सूचना मान कर इस चीज को अपने हाथ में लेंगे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

हरिजन सहायक समिति हर जिले में है जिसके इस सदन के हरिजन सदस्य भी मेम्बर हैं और उसके अध्यक्ष जिला बोर्ड के होते हैं, इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि किसी को पता नहीं है। हर जगह की लिस्ट मेरे पास है, अगर कोई माननीय सदस्य जानना चाहें तो मैं उनको दिखाने को तैयार हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या प्रिन्सिपल को रिलीव करते समय इस पैसे के बारें में उसकी कोई जिम्मेदारी ठहरायी गयी? अगर नहीं, तो मेनेजर से अविलंब उस रुपये को वसूल करके मार्च में ही विद्यार्थियों को दिलवा दिया जाय?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

मैनेजर ने तो यह शिकायत की है कि प्रिन्सिपल बिना चार्ज दिये चला गया।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में अभी तक समाज कल्याण विभाग की तरफ से धन नहीं भेजा गया है, इसलिये वजीफा भी नहीं मिल पाया है? क्या सरकार मार्च अप्रैल में ही वह रुपया दिलवाने की कृपा करेंगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इसके लिये हम बराबर प्रयत्नशील हैं और यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जुलाई अगस्त, एक दो महीने, अगर न मिल सके तो भले ही लेकिन फिर हर महीने मिलता रहा करे।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रधानाचार्य ने इस्तीफा दिया और वह मंजूर मैनेजर ने किया या वह डिसमिस किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

मैनेजर का यह कथन है कि प्रिन्सिपल बिना चार्ज दिये छोड़ कर चला गया।

श्री अध्यक्ष---

चार्ज न देने के संबंध में तीन बातें हो सकती हैं। एक तो यह कि हेड मास्टर भाग जाय और चार्ज न दे, दूसरा यह कि वह इस्तीफा देदे और चार्ज देकर न जाय, और तीसरा यह कि वह डिसमिस हो जाय और चार्ज देकर न जाय। तो चार्ज से यहां मतलब नहीं है, यह बतला दें कि वह किन स्थितियों में गया।

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

वह डिसमिस नहीं माना और इस्तीफा भी नहीं दिया माना, बल्कि वह भाग गया।

श्री उग्रसेन---

इसकी थाने में कोई रिपोर्ट लिखाई गयी कि प्रिंसिपल स्कूल का रुपया लेकर भाग गया ?

श्री अध्यक्ष---

चाहे वह भाग जाय, चाहे डिसमिस होकर चार्ज न दे और चला जाय, चाहे इस्तीफा देकर चला जाय, हर सूरत में रिपोर्ट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है।

श्री मंगलदेव---

कालेजों में यह नियम होता है कि अगर कालेज किसी अध्यापक को नोटिस दे तो वह उसे एक महीने की तनख्वाह देगा और अगर वह अपने से चला जाय तो कालेज उसकी एक महीने की तनख्वाह काट लेगा, तो कालेज ने इस प्रकार की कोई कार्यवाही की ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री रामायणराय---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह हेडमास्टर केवल विद्यार्थियों की फीस ही लेकर भागा है या स्कूल की कोई और सामग्री लेकर भी भागा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

मैनेजर ने लिखा है कि वे बहुत से रजिस्टरों को लेकर भाग गये हैं। रजिस्टरों के नाम उन्होंने लिख कर दे दिये हैं।

श्री उग्रसेन---

क्या इसकी कोई रिपोर्ट थाने में लिखवायी गयी ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह जो प्रधानाचार्य थे वे टेम्पोरेरी थे या परमानेंट थे ? यदि परमानेंट थे तो उनका कुछ रुपया प्रोविडेंट फंड में होगा और उस रुपये को रोक कर उसमें से फीस का रुपया काट लिया जायेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

आज जो स्थिति है वह मैंने सदन के सामने पेश कर दी, सारी स्थिति के संबंध में जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद उसका जो परिणाम होगा वह स्पष्ट रूप से सदन के सामने आवेगा।

१६ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न १२–१४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक १६ दिसम्बर, १९६३ को श्री उग्रसेन द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२–१४ के संबंध में श्री उग्रसेन ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंग कि यह जो १४ कर्मचारी निकाले गये हैं उनकी ज्येष्ठता का आधार क्षेत्रीय है या प्रदेशीय। अगर क्षेत्रीय है, तो प्रदेशीय क्यों नहीं है ?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि यह तो असल में हर रीजन में आर० एफ० सी० रहते हैं उन्हीं के रखे हुये हैं।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है—इन कर्मचारियों की ज्येष्ठता डिवीजनल बेसिक पर लगाई जाती है और डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के जिलाधीश इस प्रकार की सूची रखते हैं। आर० एफ० सी० का इससे कोई संबंध नहीं है।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २९४–२९५ पर।)

आश्वासन समिति के विशेष प्रतिवेदन पर नियम २१७–(३) के अन्तर्गत वक्तव्य

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, १६ फरवरी, १९६० को माननीय सदस्य, श्री अवधेश प्रताप सिंह, ने प्रश्न किया था कि क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिरसा, पत्रालय मोटी, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद, का किसानों के दिनांक ३ दिसम्बर, १९५९ का कोई प्रार्थनापत्र गांव के बरसाती पानी की निकासी के लिये एक नाले के निर्माण करने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था "जी हां।"

श्री अध्यक्ष—

सबके पढ़ने की कोई आवयकता नहीं है। इसको साइक्लोस्टाइल करके अगर आज न हो सके तो कल ही बंटवा दें तो ठीक होगा। ऐसे यह प्रोसीडिंग का भाग होगा और पढ़ा हुआ माना जायगा।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न था "यदि हां तो सरकार इस कार्य को कब तक करायेगी? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि "इस विषय में विचार हो रहा है और यदि यह योजना कार्यान्वित हो सकने योग्य पाई गई तो ग्राम पंचायत को श्रमदान द्वारा कार्य करने की राय दी जायगी।"

[ ] माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन में पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

तदनुसार मौके पर इंजीनियरों द्वारा सिरसा से बरसाती पानी के निकासी के संबंध में जांच करवाई गई और नाला बनाकर पानी को निकालने की योजना कार्यान्वित मालूम हुई। अतः जैसा दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया था, वह योजनाग्राम पंचायत के पास भेज दी गई और उनको श्रमदान द्वारा कार्य करने की राय दी गई।

इससे विदित होगा कि जो कुछ भी आश्वासन इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में दिया था उसके अनुसार शासन को दो ही काम करने थे। पहला तो यह कि मौके पर जांच करा के यह मालूम करना कि इस प्रकार की कोई योजना सम्भव थी या नहीं और दूसरा यह कि यदि ऐसी योजना सम्भव पाई जाय तो ग्राम पंचायत को श्रमदान द्वारा उस योजना को करने की राय दी जाय। इन दोनों कार्यों को पूरा करके विभाग की ओर से आश्वासन समिति को सूचना दी गई और जैसा कि आश्वासन समिति के विशेष प्रतिवेदन में लिखा है आश्वासन समिति ने इस आश्वासन को पूर्ण मान लिया और आगे इसके संबंध में कोई पूछताछ विभाग से नहीं की।

आश्वासन समिति के विशेष प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर शासन द्वारा फिर सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि का अच्छी तरह अवलोकन किया गया और शासन इस विचार पर पहुंचा है कि जो कुछ भी आश्वासन सदन के सम्मुख दिया गया था उसकी पूर्ति स्कीम बना कर ग्राम पंचायत के पास भेजने पर और ग्राम पंचायत को उस स्कीम को श्रमदान द्वारा पूरा करने की सलाह देकर पूरी कर दी गई है। शासन ने यह आश्वासन नहीं दिया था कि वह स्वयं या ग्राम पंचायत द्वारा इस नाले को बनवायेगा। अतः शासन की ओर से विनम्र निवेदन है कि इस आश्वासन को, जैसा कि आश्वासन समिति ने सन् १९६१ में स्वयं निर्णय किया था पूर्ण समझा जाय। उसके बाद जो आश्वासन समिति ने यह मालूम करने की चेष्टा की कि नाला वास्तव में बना है या नहीं, उसकी शासन की दृष्टि में आवश्यकता नहीं थी क्योंकि नाले के वास्तविक रूप से बनाने के संबंध में यह आश्वासन नहीं दिया गया था।

आश्वासन संख्या ३०१/६० के संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय सदस्य श्री प्रताप सिंह ने यह प्रश्न किया था कि "क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नानक सागर योजना में कितने परिवार प्रभावित हुये हैं और उनमें से कितनों को जमीन के बदले जमीन दी गई। इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था कि "कुल ७९३ काश्तकार प्रभावित हुये हैं जिनमें से २३८ को जमीन के बदले में जमीन दी गई"। इसके बाद माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न पूछा कि क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ५५५ काश्तकार बच गये हैं उनको सरकार कब तक जमीन देने की कृपा करेगी। इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया कि उसके ऊपर गौर हो रहा है।

आश्वासन समिति ने अपने विशेष प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में लिखा है कि मौके पर जाकर उनको यह मालूम हुआ कि आश्वासन की पूर्ति तो काफी हद तक हो चुकी थी परन्तु इस बात की सूचना विभाग के पास पूरे तौर से नहीं दी गई, जिसके कारण विभाग आश्वासन समिति को भी पूरी सूचना इस बात की नहीं दे पाया कि कहां तक आश्वासन की पूर्ति वास्तव में हो चुकी थी। अतः आश्वासन समिति ने अपने विशेष प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया है कि कोई इस प्रकार का रास्ता निकाला जाय जिससे भिन्न-भिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच में सम्पर्क कराया जा सके। इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि शासन की ओर से इस बात की चेष्टा की जायगी कि ऐसे कामों में विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों में अधिक सम्पर्क रहा करे और आशा है कि इस प्रकार की कठिनाई आगे नहीं महसूस होगी।

आश्वासन समिति को यह भी सूचना दी गई कि जो बाकी ५५५ परिवार बच गये हैं उनमें से कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो अवधानिक रूप से भूमि पर कब्जा किये हुए थे और इसके संबंध में शासन ने बाद में यह निर्णय किया है कि ऐसे परिवारों को भूमि नहीं दी जायगी। आश्वासन समिति की यह राय कि संबंधित अधिकारियों ने शासन को आरम्भ में यह नहीं बताया कि

कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिन्होंने अवैधानिक रूप से जमीन पर कब्जा किया हुआ है और इसके लिये जांच करवा कर जिन अधिकारियों ने गलत सूचना भेजी है उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करनी चाहिये। इस संबंध में स्थिति यह है कि जो उत्तर शासन की ओर से दिया गया था उसमें कहीं यह नहीं कहा गया था कि ७९३ परिवारों को भूमि दी जायगी। माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में यह पूछा था कि कितने परिवार नानक सागर स्कीम से प्रभावित हुए हैं और उनको यह उत्तर दिया गया कि ७९३ परिवार इस स्कीम से प्रभावित हुए हैं। इन प्रभावित परिवारों में कुछ ऐसे भी हो सकते थे जो वहां पर आकर अवैधानिक रूप से बस गये हों और जिन्होंने अवैधानिक प्रकार से जमीन पर कब्जा कर लिया हो। शासन ने अपने उत्तर में यह नहीं कहा कि ७९३ परिवारों को जमीन के बदले में जमीन दी जायगी परन्तु केवल प्रभावित परिवारों की संख्या बताई थी। जब माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा कि बाकी परिवारों को कब तक जमीन दी जायगी तब उसके उत्तर में केवल यही कहा गया कि उसके ऊपर गौर हो रहा है। उस गौर करने के दौरान में यदि यह निर्णय लिया गया कि जिन प्रभावित परिवारों ने अवैधानिक तरीके से जमीन पर कब्जा किया हुआ है उनको जमीन के बदले जमीन नहीं दी जायगी तो उसमें किसी प्रकार की जो माननीय सदन में उत्तर दिया गया उनके विरुद्ध कोई बात नहीं निकलती। शासन का यह मत है कि जो उत्तर इस प्रश्न का दिया गया उससे यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि सब ७९३ परिवारों को जमीन के बदले जमीन दी ही जायगी।

९—आश्वासन समिति ने अपने विशेष प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि कोई काश्तकार आजकल के जमाने में १० रु० एकड़ के हिसाब से मुआविजा लेने को तैयार नहीं हो सकता विशेषतया जबकि उसे यह ज्ञात हो कि उसको भूमि के बदले मेंभूमि मिल जायगी। इस संबंध में जांच करने से स्थिति यह मालूम दी है कि जिन लोगों ने दूसरी जगह जमीन नहीं मांगी बल्कि नकद मुआविजा लेकर ही संतुष्ट हो गये वह अधिकतर ऐसे थे जिनकी सारी की सारी भूमि नानक सागर में नहीं डूबती थी बल्कि कुछ जमीन उनके पास रह भी जाती थी। सम्भवतः उन्होंने यही बेहतर समझा कि जहां उनके पास बची हुई जमीन है वहीं वह अपनी काश्त करते रहें। जहां तक मुआविजे के रेट का प्रश्न है, वह निर्धारित कायदों के मुताबिक दिया गया है।]

साइक्लोस्टाइल करके कल बंटवा दिया जायगा।

१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां (क्रमागत)*

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मैं निवेदन कर दूं कि आपने उस समय कहा था कि परसों इसको पास नहीं कर सकते। उस वक्त बहस बन्द करने का प्रश्न उठाया गया लेकिन हम लोगों ने इस पर चर्चा और चलाना चाही और फलतः वोटिंग हुई और ३२ के मुकाबले में ३० के अनुसार केवल २ वोट से हम हार गये। उस समय जाहिर है कि ६२ माननीय सदस्य उपस्थित थे। यह कहना गलत है कि उस समय सदन इसको पास करने या इस पर बहस करने की स्थिति में नहीं था, सरकार उस वक्त चलाना नहीं चाहती थी, इसकी सारी जिम्मेदारी उसी की है और उन्हीं के कारण परसों वह पास नहीं हो सका। अतः आप गवर्नमेंट को मजबूर करें और अपने उन शब्दों को भी करेक्ट करें कि 'आप पास करना नहीं चाहते थे'। हम विरोधी दल की जिम्मेदारी को महसूस करते हैं लेकिन सरकारी पक्ष के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं की.....

*२१ मार्च, १९६४ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह नहीं कहा कि विरोधी दल वाले चले गये। मैंने कहा कि सदन ने आश्वासन दिया था और मैं यह भी कहूंगा कि चाहे सरकार का विधेयक हो या बजट हो, उसको स्वयं उस को पास करने के लिये जागरूक रहना चाहिये, इसमें कोई शंका नहीं है।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मैंने अपनी नियमावली की धाराओं के अन्तर्गत आपसे एक महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुज्ञा मांगी थी। उसमें पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है, वह बड़ा आवश्यक है। मैं ने पहले ही भेज दिया था।

श्री अध्यक्ष—

थोड़ी देर बाद ले लें, मैं उसको देख लूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अभी माननीय राजस्व मंत्री जी जब वक्तव्य पढ़ रहे थे उसको आपने यह कहकर बन्द करा दिया कि इसकी प्रतिलिपियां बांट दी जांय लेकिन जब वह बंट जायगा तो हमें प्रश्न का अवसर रहगा ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का प्राविजन नियम २१७ में नहीं है, अलग से आप डिबेट मांग सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूं, आप देख लें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

हरिजन अनुदान पर आप हमें भाषण का मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

अब कैसे ? बहस समाप्त हो चुकी।

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

अध्यक्ष महोदय, ...

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री जी अपना क्लोजर भाषण दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जी हां।

श्री नाथूराम शिक्षक—

वह कैसे हो सकता है ? हम लोगों को समय नहीं मिला ....

श्री अध्यक्ष—

मुझे यह सूचना मिली है कि क्लोजर का प्रस्ताव आया था जो इस पर पास हो चुका है और, जैसा कि अभी श्री गंगवार ने भी बताया, केवल २ वोट अधिक होने से क्लोजर का प्रस्ताव स्वीकार हो चुका था। उसके बाद बोलने के लिये माननीय समाज कल्याण मंत्री जी को बुलाया गया और उनके बोलने पर माननीय सत्यनारायण जी ने आपत्ति उपस्थित की कि कोरम नहीं है और इस पर उनका भाषण बन्द कर दिया गया। तो माननीय शिक्षक जी एक संसदीय प्रणाली है, चाहे वह सही हो या गलत सदन, ने क्लोजर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो सदन के उस फैसले को मैं अब बदल नहीं सकता और न बहस को जारी रखने की इजाजत दे सकता हूं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, सत्तारूढ़ दल ने हरिजन अनुदान पर बोलने के लिये २–३ घंटे का समय निश्चित किया था लेकिन हम अन्त तक लड़ते रहे, जो १०, १५ आदमी यहां बैठे थे उन को अगर कम से कम ५–५ मिनट का ही समय मिल जाता तो सब को बोलने का मौका मिल जाता लेकिन हमको मजबूर किया गया और इस तरह से हरिजनों की हकतल्फी की गई। इसलिये आप अपनी व्यवस्था दें और हमें बोलने का मौका दें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह हरिजन विभाग अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का हमारे सूबे में बहुत बड़ा अंग है और उनके संबंध में जो अनुदान सदन में आये उस पर बोलने का पूरा मौका दिया जाना चाहिये लेकिन क्लोजर मूव हो चुका है। परन्तु आपको यह भी जानकारी अवश्य होगी कि इस पर जितने समय बहस होना चाहिये थी वह नहीं हुई है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस संबंध में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करें। या सरकार को कहें, हम भी अपील करते हैं आपके माध्यम से सरकार से, कि वह कृपा कर १ घंटा और इस अनुदान पर बहस कराने दें जिससे सब लोग ५,५ मिनट बोल सकें।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, दफा ५२ में जो दिया था उसके बारे में निर्णय लिया ? नारायणी कैनाल से पानी नहीं आ रहा है जिससे किसान गन्ना नहीं बो पा रहे हैं, लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष—

आप आजाइये, मैंने क्या किया, याद नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

परामर्शदात्री समिति ने हरिजन अनुदान के संबंध में ६ घंटे का समय निर्धारित किया था और अभी तक ४ घंटे ही हुये हैं, अतः २ घंटे और समय बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष—

परामर्शदात्री समिति के सामने नहीं था।

श्री उग्रसेन—

बजट का समय निर्धारित हुआ था। यह भी इतिहास में नई बात हुई कि दो ग्रांट पास नहीं हुईं।

श्री अध्यक्ष—

जो बातें आपने कहीं कि क्लोजर को निरस्त कर दिया जाय, जो गलत तौर पर हुआ, तो अब जो निर्णय सदन का हो गया उसके विरुद्ध कोई सवाल नहीं उठता है। माननीय मंत्री जी को बुला लिया गया है, वह बोल रहे थे जब आपत्ति की गई। अब वह बोलेंगे।

श्री नाथूराम शिक्षक—

श्रीमन्, उस दिन आपकी रूलिंग हुई थी कि जब तक हम पूरी बहस नहीं कर लेंगे तब तक बैठक नहीं उठायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि सदन को अधिकार नहीं है अपने अधिकारों को बरतने का।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, माननीय बांकेलाल जी ने सिंचाई के बारे में पूछा है.....

श्री अध्यक्ष—

मैं क्या करूं ? नियम ५२ मेरे पास थोड़े ही है । मुझसे मिल लें तो मैं बता दूं।

एक सदस्य—

पिछले जितने नियम ५२ में दिये गये थे उनमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण थे....

श्री अध्यक्ष—

आउट आफ आर्डर है, आप बैठ जायं ।

डाक्टर सीताराम—

श्रीमन्, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय खेम चन्द जी ने पेश किया उसमें कहा था कि स्टाफ पर सरकार ८० फी सदी खर्च कर रही है । ऐसी बात नहीं है । स्टाफ पर सिर्फ १५–२० फी सदी खर्च होता है । माननीय धर्म सिंह ने आपत्ति उठायी कि बालमीकियों पर कोई रुपया खर्च नहीं किया है । मेरा निवेदन है कि केंद्रीय सरकार ने ११ लाख ६० हजार रु० तीन म्युनिसिपैलिटीज, लखनऊ, जौनपुर और अल्मोड़ा के लिये निर्धारित किया है जिसमें उनके रहने के लिये आवास बनाये जा रहे है । साथ-साथ २० लाख १० हजार रु० की और व्यवस्था की गई है तीसरी योजना में कि उनके लिये और काम किये जायं। यह भी कहा गया कि सरकार २५० रु० इंडस्ट्रियल ग्रांट के लिये देती है उसको बन्द करके वजीफे के लिये दे दिया जाय।

इस संबंध में मैं एक बात कहता हूं कि कोआपरेटिव सोसायटीज को प्रोत्साहन अवश्य मिलता है और हरिजनों को चाहिये कोआपरेटिव सोसायटीज का निर्माण करें जिससे वह अपनी आर्थिक हालत सुधार सकें । इसके अलावा यह भी कहा गया कि डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और हरिजन वेलफेयर दोनों को मर्ज कर दिया गया, ऐसी बात नहीं है । स्टेट लेविल पर सोशल वेलफेयर और हरिजन वेलफेयर एक है । जिला हरिजन अधिकारी की पोस्ट और सोशल वैलफेयर की पोस्ट मर्ज कर दी गयी है । इस तरह से जिला और स्टेट के लेविल पर उनके जो हैड्स हैं उनको मर्ज किया है । हरिजनों का फंड ३ १/२ करोड़ का और सोशल वैलफेयर का ५२ लाख का है । दोनों विभागों के बीच अलग-अलग जिन स्कीमों के लिए वह रुपया निर्धारित है, उन्हीं स्कीमों में ब्योरेवार खर्च किया जाता है । ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन पदों को मर्ज करके हरिजनों के अधिकारों को छीना है । बख्शी के तालाब में ८० लाख रुपये की केंद्रीय सरकार की स्कीम थी जिसके अन्तर्गत एक पौलीटैक्नीक इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गयी । अगर किसी पौलीटैक्नीक इन्स्टीट्यूट में सिविल, मैकेनिकल और इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये तीनों की पढ़ाई होगी तो आवश्यक है कि किसी इंजीनियर को रखा जाय । इस कार्य के लिये इस परिस्थिति में श्री शर्मा, रिटायर्ड इंजीनियर, को रखा गया जिन्होंने ये सब स्कीमें बनाई थीं लेकिन सन् १९६२ में एमरजेंसी की वजह से प्रांतीय सरकार ने आदेश दिया कि बख्शी के तालाब पर जहां पर एरोड्रोम है पौलीटैक्नीक इन्स्टीट्यूट नहीं बनाया जायगा । इसलिये श्री शर्मा को हटाना पड़ा । जो स्कीम उन्होंने बनायी है वह रामनगर कालोनी में लागू होगी ।

होस्टलों की जो स्कीम है, ऐसा शायद हुआ कि जो भी रुपया हरिजनों के कार्य के लिये खर्च होने वाला था वह ठीक तरह से यूटीलाइज नहीं हुआ । तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने इस प्रदेश में करीब १० हजार रुपया प्रत्येक होस्टल हरिजनों के लिये बनवाने के लिये दिया था। वे होस्टल जिला कमेटी की राय से प्रत्येक जिले में बने जैसा कि जिला परिषद ने फैसला किया । वह रुपया दिया गया लेकिन कुछ माननीय सदस्यों का कहना है

कि वह रुपया तो खर्च हुआ लेकिन उन होस्टलों में हरिजन छात्र नहीं रहते । ये शिकायतें मुझे भी प्राप्त हुई हैं और मैं जांच कराने जा रहा हूं कि वास्तव में इन होस्टलों में हरिजन छात्र रहते हैं या नहीं ।

दूसरी बात यह कही गयी कि ब्लाक्स में हरिजनों को जो रुपया दिया जाता है वह रुपया अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं होता । यह बहुत कुछ हद तक सही है । मैं देखता हूं कि इस प्रांत में कुछ ब्लाकों में अभी तक रुपया यूटिलाइज नहीं किया गया है । मेरी मुख्य मंत्री जी से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक डिस्ट्रिक्ट इवैल्युएशन कमेटी की स्थापना की जायेगी जो कि हरिजनों और पिछड़ी जातियों के रुपये के बारे में जांच करेगी । वह यह भी देखेगी कि जो रुपया उनके लिये निर्धारित हुआ है वह ठीक ढंग से खर्च हुआ हो और यह भी देखेगी कि भविष्य में वह रुपया कैसे खर्च हो । इन चन्द शब्दों को कह कर मैं माननीय नेता विरोधी दल से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने कट मोशन को वापस ले लें। कटौती के प्रस्ताव पर भाषण करते हुये मुझे कोई सूचना नहीं दी जिससे मैं उनको बधाई देता, इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपने कट मोशन को वापिस ले लें ।

श्री नाथूराम शिक्षक––

जिन वक्ताओं ने इस संबंध में अपने भाषण दिये उन्होंने यह भी कहा था कि हरिजन जिला अधिकारियों को पूरे अधिकार दें ताकि वे गांवों तक के हरिजनों की समस्याओं को हल कर सकें । इस संबंध में माननीय मंत्री और कुछ प्रकाश डाल दें तो अच्छा होगा ।

डाक्टर सीताराम––

जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर आफिसर और सोशल वेलफेयर आफिसर जिले में रखे गये हैं उनके लिये, दो ढाई महीने हुए, शासन की ओर से आदेश गये हैं कि वजीफे का वि:रण उन्हीं की देखरेख में होगा और उसके लिये वही जिम्मेदार होंगे और कोई नेगलिजेंस आफ ड्यूटी होगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार––

हरिजनों के होस्टल बनाने के लिये जो ग्रांट दी गयी है उसका उपयोग नहीं हो पाया है । उसकी सरकार जांच करेगी और जिसको दोषी पाया जायगा तो उसके लिये दंड की क्या व्यवस्था सरकार करेगी? हरिजनों को वजीफे फरवरी तथा मार्च में दिये जा रहे हैं, इस पर भी माननीय मंत्री अपने विचार प्रकट करेंगे?

श्री अध्यक्ष––

उन्होंने सुन लिया है और उस पर वह उचित कार्यवाही करेंगे ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८––अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों––के अन्तर्गत ३,५०,३७,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरीशकुमार गंगवार––

कटौती का प्रस्ताव कहां गया ?

श्री अध्यक्ष––

जब अनुदान पास हो गया तो वह अपने आप ही गिर गया ।

अनुदान संख्या ४५––प्रकीर्ण व्यय

श्री अध्यक्ष––

अब मैं उन अनुदानों को लिये लेता हूं जिन पर बहस नहीं होगी।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५--प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ४,५१,१३,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५--प्रकीर्ण व्यय-के अन्तर्गत ४,५१,१३,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५--खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५--खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन-के अन्तर्गत ७८,१३,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५--खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत ७८,१३,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५४--राज्य व्यापार की योजनायें

श्री चतुर्भुज शर्मा--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४--राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत ११,३५,३०,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४--राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत ११,३५,३०,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३--कारागार

श्री अध्यक्ष--

यह कारागार अनुदान परसों ही पास होना चाहिये था। इसको पास कर दें तो फिर दूसरे अनुदान नम्बर ३ पर विचार कर लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

जो अनुदान बहस के लिये रखा गया है उस पर बहस होगी, आप सदन का समय चाहे १० घंटा भले ही बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष--

आप नाराज क्यों होते हैं? अगर आप राजी हैं तो ठीक है।

श्री शारदाभक्तसिंह--

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि आपने अभी कहा था कि इसको देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

वह तो कमरे में भेज दिया है। मैंने अभी देखा नहीं है, अभी जाकर देखता हूं।

श्री शारदाभक्तसिंह--

श्रीमन्, देखने में १५ मिनट भी नहीं लगेंगे।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, चार, साढ़े चार बजे रखिये।

श्री चतुर्भुज शर्मा-

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३--कारागार के अन्तर्गत २,००,९९,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(इस समय १ बजकर ३८ मिनट पर उपध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, मैं इस समय अधिक नहीं कहना चाहता हूं। केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह जो मांग मैंने रखी है वह सारी जेलों के लिये है जिनमें करीब-करीब ३७ हजार कैदी रहते हैं और यह तीनों भागों में है। एक तो इस्टैब्लिशमेंट में १,६१,८६,४०० रुपया है, दूसरे जेलों के मैन्यूफैक्चरर्स के लिये, जिसमें इंडस्ट्री के लिये सामान वगैरा खरीदना पड़ता है, इसमें ३२,०४,९०० रुपये ह, और तीसरे बिल्डिग और वर्क्स के लिये २ लाख ७६ हजार रुपये के करीब है। हमारी सरकार, जैसी कि हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी की नीति थी कि पापी से नहीं बल्कि पाप से घृणा करनी चाहिये, वही नीति चला रही है। हम लोगों का अब दंड विधान का उद्देश्य बंदियों को सुधारना है। इसी उद्देश्य से प्रदेश की सरकार जेल विभाग को चला रही है। हमारे यहां २-३ ओपेन जेल्स हैं जिनमें बहुत से कैदी रखे जाते हैं, जहां पर कोई बार्डर वगैरा नहीं होता। सम्पूर्णानन्द जेल सितारगंज, घुर्मा और पंत फार्म खोला गया है। जहां पर थोड़े बहुत कैदी पैरोल पर छोड़ दिये जाते हैं। वे स्वयं अपना काम करते हैं और जेल के अन्तर्गत जिस तरह से कैदी रहते हैं वे काफी पैदा कर लेते हैं। खास तौर से घुर्मा में कैदी २ रुपये १२ नये पैसे के हिसाब से काम करते हैं और इसके अलावा ज्यादा काम करते हैं तो बोनस वगैरा मिलता है। इसी तरह से सितारगंज में कैदियों को खाने के अलावा २५ नये पैसे जेब खर्च के लिये दिये जाते हैं और जो कैदी इन जेलों में रहते हैं उन्हें अहसास कराया जाता है कि वे एक अच्छी जिन्दगी बितायें और जिस तरह से और दूसरे नागरिक रहते हैं उसी तरह से वे भी नागरिक जीवन व्यतीत करें। और किसी कारण से अगर जुर्म हुआ है तो आइन्दा वह जुर्म न हो। दुनिया के प्रगतिशील मुल्कों में भी यही हो रहा है कि क्राइम के बजाय क्रिमिनल की ओर ध्यान देना चाहिए। घुर्मा और सितारगंज सेंट्रल जेलों की तारीफ कुछ विदेशियों ने भी की है जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। जेल विभागों में बहुत सी कमियां हैं लेकिन जो उद्देश्य हमने रखा है वह केवल सुधार का रखा है और इन तीन जेलों के अलावा जो सेन्ट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेल्स फर्स्ट क्लास हैं उनमें ऐग्रीकल्चरल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और नैतिकता की शिक्षा देने का भी प्रबन्ध किया गया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि जैसे परसों हुआ उसी प्रकार से आज भी इस अनुदान पर बहस न चल सके, ट्रेजरी बेंचेज खाली हो रही हैं। यह हमेशा ऐसा ही हुआ करता है। जरा आप कान पकड़ें और डाटें इनको।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री वंशीधर पाण्डेय)—

एक और दो बजे के बीच ट्रेजरी बेंचेज के खाली होने का क्या सवाल ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि इन जेलों के अलावा जो जेल हैं, हमारा दृष्टिकोण यही है कि किस तरह से कैदियों का सुधार हो। वही कार्यवाही कर रहे हैं। जो सुझाव माननीय सदस्य देंगे उस पर विचार करके जो और बातें होंगी मैं आपके सामने रखूंगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस पर अपने कांस्ट्रक्टिव विचार देंगे ताकि जेलों का सुधार किया जा सके।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मद कारागार के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कारागार विभाग में जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है और जो कैदियों के साथ दुर्व्यवहार है उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना इस कटौती के प्रस्ताव का उद्देश्य है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं माना है और उन्होंने गांधी जी को उद्धृत किया है कि गांधी जी कहा करते थे कि अपराधी से नहीं बल्कि अपराध से हमें घृणा करनी चाहिये। लेकिन हो रहा है उल्टा इस प्रदेश में। चाहे जिस जेल में आप जाइये कैदी को जेल के वातावरण से महसूस करना चाहिये कि यह जेल नहीं है लेकिन जिस जेल में जायं वहां यही देखें गे कि कैदी एक अजीव-सा जानवर लगता है। उसकी वेशभूषा देखिये। रहने-सहने का ढंग देखिये। वही तसला और कटोरी देखिए। आप यह चाहते हैं कि कैदी यह महसूस न करे कि वह कैदी है। आप चाहते हैं कि वह यह महसूस करे कि वह सुधार-गृह में है। मेरा पहला सुझाव यह है कि आप कारागार का नाम बदल दीजिये। इसका नाम सुधार-गृह रखें। जैसे नैनी सेंट्रल जेल लिखा है उसका नाम नैनी केन्द्रीय सुधार-गृह रख दिया जाय। अगर आपको कारागार शब्द से बहुत मोह हो तो कारागार एवं सुधार-गृह रख देना चाहिये जिससे कि कैदियों पर और आम लोगों पर मनोवैज्ञानिक असर पड़े कि वह बन्दीगृह में नहीं वरन् सुधार-गृह में जा रहे हैं।

और भी देशों के मनीषियों ने कैदियों के बारे में क्या कहा है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। चर्चिल साहब ने सन् १९१० में कहा था कि—"

"The mode and temper of the public with regard to the treatment of crime and criminals is one of the most unfailing tests of civilisation of any country."

कैदियों के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं यह किसी देश की सभ्यता का मापदन्ड होता है। तो आप इस विभाग को कम महत्व का विभाग मत समझें जैसे कि इस पर अब तक होता था कि बिना बहस किये हुए इस मद को पास कर दिया जाता था। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विभाग की महत्ता को आप समझें और इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। कैदियों के साथ वहां जो व्यवहार होता है उसका उदाहरण देखिये कि हैबिचुअल की संख्या बढ़ती जाती है।

१९६० की जो रिपोर्ट है मिस्टर एस० एन० चटर्जी, इंसपेक्टर जनरल आफ प्रिजंस, की उसको आप पढ़ें तो पता चल जायगा कि हैबिचुअल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। जो एक बार अपराध करता है वह दोबारा फिर कैदी बनकर आता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी जो सुधार की योजना है वह असफल हो गई है और वहां पर कैदी और क्रिमिनल बनता है। अभी हमें अवसर मिला, पहले तो सन् ४२ में मिला था लेकिन गुड़ सत्याग्रह के अन्तर्गत नैनी कारागार में जाने का पुनः अवसर मिला। मैंने देखा, वही बातें, वही जेल की तिकड़म-

बाजियां चल रही हैं। ८७ आदमी हम लोग गुड़ सत्याग्रह में जेल गये थे। वहां पर ७ आदमियों को सुपीरियर क्लास दिया गया और ८० को सी क्लास दिया गया। हमने यह प्रार्थना की कि हम सारे राजनीतिक बन्दी एक साथ रहें ७ और ८० ये ८७ मिलकर के जो ७ को घी मिलता है वह ८७ में और एक साथ रहें, इसमें जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। उन्होंने जेल मैन्युअल का उद्धरण देते हुए कहा कि सुपीरियर क्लास और इंफीरियर क्लास के बन्दी एक साथ नहीं रखे जा सकते। इसके विरोध में हम लोगों ने सुपीरियर क्लास छोड़ दिया और अपने ८० साथियों के साथ रहकर हमने सी क्लास की ही सुविधा ली। जेल मैन्युअल से सी क्लास की सुविधाओं का जब मैंने अध्ययन किया तो ऐसा लगा कि अगर सी क्लास को भी सुविधा पूरे और सही तरीके से मिले तो कोई खराब नहीं है। लेकिन वह चीज नहीं होती। जैसे कि वहां एक यह नियम है कि हर कैदी को नीबू मिलना चाहिये और फिर दूसरी सुविधा है कि पटवा, इमली, आम या कमरख की पुदीना मिश्रित चटनी उनको मिलेगी। लेकिन जब तक जेल मैन्युअल पढ़कर इसकी ओर हमने जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब का ध्यान आकर्षित नहीं किया था तब तक यह बिलकुल नहीं मिलती थीं। यह राजनीतिक बन्दियों के साथ व्यवहार था तो क्रिमिनल्स बेचारे तो कभी नहीं पाते होंगे। माननीय बंशीधर जी इसको हंसी में न लें इसलिये कि कल को हो सकता है उनको भी जेल जाना पड़े। नैनी जेल के अन्दर इतने नीबू के पेड़ हैं और मैं तो उसकी बुद्धिमता की तारीफ करता हूं जिसने कि जेल मैन्युअल बनाया और जिसने डायट्री की व्यवस्था की उसमें यह है कि जेल में नीबू न बेचे जायं और उसको नमक मिला कर शीशियों में रखा जाय और जब सीजन खत्म हो जाय तब कैदियों को वही नीबू दिया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि नैनी जेल के नीबू क्या होते हैं, क्या इसका भी पता लगाने की सरकार ने कोशिश की? एक साहब पीछे से कह रहे हैं कि उरई भेजे जाते होंगे। मैं नहीं कह सकता कि उरई जाते हैं या नहीं, लेकिन बड़े बड़े जेल अधिकारियों के यहां जरूर पहुंचते हैं।

वहां पर शुद्ध कड़ुवा तेल मिलना चाहिये, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें जो तेल वहां मिला उसमें ७५ फीसदी अलसी का तेल था और २५ फीसदी सरसों का तेल था।

श्री बंशीधर पान्डेय--

आप इधर गये थे क्या?

श्री सत्यनारायण पाण्डेय--

जी हां, ४२ में अंग्रेजों ने कटाई थी और अब आपकी सरकार के कारनामे यह हैं। अंग्रेजों के जमाने की जेल आपके जमाने से अच्छी थी। हां, तो उस मिले हुए कड़ुवे तेल को हम लोगों ने शीशी में मुहरबन्द करवा के केमिकल एक्जामिनर को जांच के लिये भेजा था। पता नहीं उसका क्या हुआ?

इसके अलावा जो और खाने का सामान मिलता था उसकी हालत सुनिये। जो दाल वहां मिलती थी उसके लिये मैंने सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब से कहा तो उन्होंने कहा कि पांडेय जी यह तो फागुन का महीना है, अब तो दाल पुरानी हो गयी है। मैंने कहा कि मैं देहात का रहने वाला हूं, साल भर में अरहर की दाल खराब नहीं होती। हरी हरी कचरा दाल जो होती है वही हमें खाने को दी गई। मैंने सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब से कहा कि यह दाल आपने कहां से खरीदी तो उन्होंने कहा कि यह तो मार्केटिंग इंसपेक्टर के द्वारा खरीद कराई गई है। मैंने कहा चाहे आप खरीदें या उनसे खरीद करायें मशीनरी तो सरकार की ही है। जो सामान खरीदे जाते हैं वह खराब खरीदे जाते हैं और जेलवालों को वही खराब खाना दिया जाता है। जो सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्य हैं उनको ऐसी सूचना बैठक की दी जाती है जिससे वह समय के बाद मिले। हमारे जिले के कांग्रेसी सदस्य, श्री बैजनाथ जी पान्डेय हैं वह जेल सलाहकार समिति के सदस्य हैं। मैंने उनसे पूछा कि पान्डेय जी आप लोग ऐसी दाल खरीदते हैं तो उन्होंने कहा कि आजतक हमें इत्तिला नहीं है कि मीटिंग कब हुई? अव्वल तो इत्तिला मिलती ही नहीं और आती भी है तो जब मीटिंग

[श्री सत्यनारायण पाण्डेय]

हो गयी तब इत्तिला आई। तो इस सलाहकार समिति के सदस्यों को भी न तो सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब समय से निमंत्रण देते हैं और न सामान ठीक से खरीदते हैं। इसके कारण तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है।

यह कैसी समाजवादी सरकार है ? जेल में आज जो कलासिफिकेशन है वह लोगों की हैसियत पर है। अगर एक पूंजीपति चोरी करके जेल जाता है तो वह सुपीरियर क्लास में रखा जाता है और वह हलुवा पूरी खाये और जो बेचारा गरीबी के कारण, परिस्थितिवश चोरी करके जाय वह साधारण से भी गिरा भोजन पाये। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी सरकार अगर समाजवादी है तो आपको यह करना चाहिये कि यह सारा कलासिफिकेशन समाप्त कर दिया जाय।

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा-सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

गुड़ चोरी करने की ट्रेनिंग तो अच्छी थी।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

हमारी माननीया तारा देवी जी कह रही हैं कि गुड़ चुरानेवाले को ट्रेनिंग तो अच्छी थी। गुड़ की चोरी हमने नहीं की। आपके थानेदार और आप की सरकार ने की। हम ७ किलो गुड़ लेकर पकड़े गये लेकिन चार्जशीट जो हमको दी गयी उसमें सिर्फ ३ किलो ही दिखलाया गया। तो गुड़ हम नहीं चुराते हैं आपकी सरकार चुराती है यह समझ लीजिये। वह शंकरगढ़ के थानेदार ने हम लोगों से ७ किलो लिया था और चार्जशीट जो हमको दी गई उसमें ३ किलो हमारा गुड़ दिखाया गया। वह जलपान कर जाते हैं और कभी कभी मन्त्री लोग जब जाते हैं तो उनके लिये भी उन्हें जलपान की व्यवस्था करनी पड़ती है।

मेरा अनुरोध है कि जो जेल मैनुअल है उसका कड़ाई के हाथ पालन कराया जाय। कलासिफिकेशन को समाप्त किया जाय। यह जो ए बी सी है उस को समाप्त किया जाय। अगर आप समाजवादी बनते हैं तो अपने प्रदेश में ऐसी व्यवस्था बनायें कि जो भी जेल जाये वह वहां समुचित रूप से रह सके। अगर आप अलग रखना चाहते हैं तो आपसे मेरी यह मांग है कि राजनैतिक बन्दियों के लिये बिलकुल एक अलग क्लास बनायें जिसमें राजनैतिक बन्दी ही रहें। राजनैतिक बन्दी जो जेल जाते हैं वह क्रिमिनल नहीं होते हैं। वे अपने विचारों को प्रतिपादित करते हैं और अपने विचारों में आस्था रखते हैं जसकी वजह से वे जेल जाते हैं। वे जुर्म कर के जेल नहीं जाते हैं। इनके साथ एक-सा व्यवहार होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन से सजा प्राप्त केशवसिंह जी जेल गये। उनको भी सी क्लास में रखा गया। प्रभुसत्ता सम्पन्न सदन का एक कैदी यदि जाता है तो उस को तो ऊंची क्लास मिलनी चाहिये लेकिन जो केशव सिंह जी ६ दिन जेल में रहे वह सी क्लास में रहे। मेरा अनुरोध है कि सुपीरियर कैदियों को जो अलग रखा जाता है, उनको साधारण कैदियों के साथ नहीं रखा जाता है यह समाप्त होना चाहिये। यह जेल इन्क्वायरी रिपोर्ट जो गोविन्द सहाय जी के सभापतित्व में लिखी गई है उसके कुछ उद्धरण मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं :—

"A political prisoner is not really a criminal and requires no treatment. He is imprisoned simply for his convictions. The purpose of sending him to jail is merely to restrict his liberties and check him from giving vent to his views or committing acts which may be considered subversive by the Government in power. We are informed that formerly prisoners in the Province were classified into political and non-political, but the distinction was abolished after a few years."

यहां राजनैतिक कैदी अपने विचारों के कारण जेल जाता है। इस वजह से उसको अलग रखा जाता है ताकि जनता में वह अपने विचार न रख सके। इस मांग को लेकर अंग्रेजी जमाने में आन्दोलन हुये हैं। यतीन्द्र दास जैसे आदमी तो इसी मांग को लेकर अपने प्राण गंवाये कि

राजनैतिक बंदियों को अलग रखा जाय, उनके साथ ठीक व्यवहार किया जाय। इस वजह से इस क्लासिफिकेशन को समाप्त किया जाय। समुचित व्यवस्था सब बन्दियों के लिये करें। इसके अतिरिक्त राजनैतिक बन्दियों को एक श्रेणी में रखा जाय। उनमें भेद न किया जाय। आप भले ही उनको सी क्लास में रख दें लेकिन राजनैतिक कैदी एक साथ रखे जायं। उन सुपरिंटेंडेंट साहब को क्या एतराज था अगर ७ आदमियों का घी ८७ आदमी एक साथ रह कर खाते।

एक सदस्य--

कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

कोरम है।

श्री सत्यनरायण पांडेय--

कैदियों को सुधारने के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव तो मेरा यह है कि उनकी ड्रेस बदल दी जाय। उनको वैसी ड्रेस दी जाय जैसी कि एक बाहर का नागरिक पहनता है। पूरा कुरता और पायजामा दिया जाना चाहिये और वह धारीदार नहीं होना चाहिये। टोपी भले ही आप लाल न दे कर सफेद कर दें, हमें एतराज नहीं है। दूसरे उनकी धार्मिक और नैतिक शिक्षा ठीक प्रकार से होनी चाहिये। आनरेरी तौर पर पंडित या ईसाई लोग आ कर केवल भाषण दे कर चले जाते हैं। उनमें सुधार करने की बात वे नहीं सोचते। अंग्रेजों के समय में उनको यह सुविधा थी और वे व्यक्तिगत संपर्क कैदियों से कायम रखते थे। मैं उदाहरण दूं। एक बिल्टीशाह नाम का ईसाई कैदी फैजाबाद जेल में था। वह जब यहां से छूटा तो उसने इलाहाबाद से एक अखबार निकाला। एडीटर के तौर पर रह कर उसने पंडित नेहरू के साथ काफी काम किया। उसका यह सुधार जेल में रहते हुये उस नैतिक शिक्षा से हुआ। इसलिये यह शिक्षा वेतन भोगी, कर्मचारियों द्वारा दी जानी चाहिये ताकि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और उन कैदियों के व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इसके अतिरिक्त शाम को ६ बजे से जो कैदी हवालात में बंद कर दिये जाते हैं वे रात दस बजे तक सोते नहीं। इस बीच में उनको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की सुविधा मिलनी चाहिये और इस बीच में ही नैतिक तथा धार्मिक क्लासेज होने चाहिये। इसके अलावा जो वहां का एस्टैब्लिशमेंट है, जो जेल के सुपरिंटेंडेंट हैं वह कैसे लोग नियुक्त किये हुये हैं? जिला जेलों में दो घंटे के लिये सिविल सर्जन आते हैं और वही सुपरिंटेंडेंट भी होते हैं। मेरा सुझाव है कि सुपरिन्टेन्डेंट की पोस्ट बिलकुल अलग होनी चाहिये और होल टाइमर हो। जो थर्ड क्लास डाक्टर होते हैं वही सुपरिन्टेन्डेन्ट बना दिये जाते हैं। कोई मिलिटरी से आया उसको बना दिया। इतने भारी पद के लिए कोई साइकालोजिस्ट और अनुशासन जानने वाला रखा जाना चाहिए। इसलिए मेडिकल और एग्जिक्यूटिव को अलग कर दें और अच्छे डाक्टर को नियुक्त करें, लेकिन सुपरिन्टेंडेंट अवश्य होना चाहिए जो मनोवैज्ञानिक हो। इस तरह से सारे जेल का कैडर एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक साइकालोजिस्ट होना चाहिए तभी सुधार हो सकेगा।

साथ ही जेल इंस्ट्रीज को बढ़ाया जाय। वहां ३५ हजार लेबर हैं, दो रुपये रोज के हिसाब से ७० हजार की आमदनी होती है, लेकिन कुल ४० हजार है।

श्री उपाध्यक्ष--

जरा जल्दी समाप्त कीजिये, दो मिनट के अन्दर। २५ मिनट हो गये।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

मैं पांच मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री उग्रसेन—

इस पर तो आधा दिन था, आधे दिन के माने सवा तीन घंटे।

श्री उपाध्यक्ष—

सवा दो घंटे होते हैं।

श्री शारदाभक्तसिंह—

क्वेश्चन आवर निकाल दें तो ३ घंटे होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

१२ बजे तक क्वेश्चन आवर होता है, फिर आधा घंटे तक नियम ५२ इत्यादि में निकलजाता है। साढ़े ३ घंटे बचते हैं तो आधे दिन में सवा दो घंटे हुए।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

मेरा अनुरोध है कि कैदियों के लिए धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा के अतिरिक्त मास ड्रिल होनी चाहिए। आप उनसे वही काम कराते हैं जो साधारण मजदूर से कराते हैं, लेकिन वातावरण ऐसा होना चाहिए कि कैदी समझे कि हम सुधार गृह में हैं। कनविक्ट वार्डर्स, जो नम्बरदार पक्का रहते हैं, वह प्रथा समाप्त होनी चाहिये। इसमें बड़ी कटुता होती है। सारी जेल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट १९२९ की स्टुअर्ट की या गोविन्दसहाय जी की, सब ने सिफारिश की है कि पक्का नम्बरदार सारे भ्रष्टाचार की जड़ होता है। मैंने जेल सुपरिन्टेंडेंट साहब से एक बार कहा कि कुछ लोग वृद्ध हैं, उनके लिए रामदाना आने देना चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं आने देंगे। नम्बरदार ने कहा कि आप हमसे कहिये। जो चाहें तो मंगा देंगे। लेकिन हमने उचित नहीं समझा।

इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और अनुरोध करूंगा कि आप इस पर विचार करें।

एक बात जेल की इमारतों के संबंध में और कहना चाहता हूं। वहां की इमारतों की हालत बहुत खराब है। इमरजेन्सी के नाम पर इसके लिये जो अनुदान दिया जाता था उसमें कटौती कर दी गयी थी, मेरा सुझाव है कि इस मद में जो रकम काट ली गयी थी उस को फिर से बढ़ोत्तर किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं अब हर माननीय सदस्य के लिये ५ मिनट का समय ठीक रहेगा।

श्री उग्रसेन—

१० मिनट से कम नहीं मिलना चाहिये। (व्यवधान)

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। मैं इस अनुदान का समर्थन तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूं। मेरा विचार बोलने का नहीं था, लेकिन अपने भाई सत्य नारायण जी के लम्बे भाषण को सुनकर मेरी भी इच्छा कुछ कहने की हुई।

यह कहा गया कि सरकार से तो अंग्रेज ही अच्छे थे। मैं कहती हूं कि अगर आज यह सरकार न होती तो आप इस तरह से अपनी मांगों को रख नहीं सकते थे। मुझे भी जेल में रहने का सौभाग्य मिला है। मैंने अभी जेलों में जाकर देखा है। एक बार मैं मेरठ जेल में गयी वहां बच्चों को देख कर मुझे दया आयी। मैंने वहां बच्चों से कहा कि बेटा ऐसा काम फिर मत

करना। वहां के संतरी ने मुझे बताया कि वहां फलां बच्चा चौथी बार जेल में आया है। मैंने उससे फिर प्रश्न किया तो उसने बताया कि जेल में हमको भर पेट खाना तो मिलता है। अब माननीय सदस्य मांग करते हैं कि वहां हर प्रकार की सुविधायें होना चाहिये। अगर वहां हर तरह की सुविधायें दी जायं, तो फिर जेल का अर्थ क्या होगा? वह तो कुछ दंड देने के लिये ही होती है।

मैं यह मांग करूंगी कि इस बात की जांच की जाय कि जेलों में जो भोजन आदि दिया जाय वह शुद्ध हो। जब आप कोई इन्क्वायरी आदि करते हैं तब तो उनको ठीक तरह से भोजन दिया जाता है, मगर वैसे उनको जो समान दिया जाता है वह शुद्ध नहीं होता है। उनको शुद्ध सामान मिलने की व्यवस्था अवश्य होना चाहिये।

जिला जेल, बस्ती में धनपती देवी एन० सी० एल० (सान्नी पगली) के स्थान पर करीब साढ़े ४ माह तक काम किया १९६१ में, पर उसका वेतन अभी तक नहीं मिला है। उसने सारे सरकारी कर्मचारियों से लिखा पढ़ी की मगर उसको वेतन नहीं मिला है। फिर परेशान हो कर उसने मुझे लिखा। मैंने वहां के जिलाधीश को लिखा। १२५ रुपया उस गरीब का बाकी है। उसको दिलाने की तुरन्त व्यवस्था माननीय मंत्री जी करें। और जो कार्यवाही वह करें उससे मुझे भी सूचित करें तो बड़ी कृपा होगी। मान्यवर, मैं इतना अवश्य कहूंगी कि जितनी ज्यादा हमारी सरकार जेलों में सुविधा देती जा रही है उतनी ही ज्यादा जेलों में बुराइयां होती जा रही हैं। राजनीतिक कैदियों को आप सुविधायें दीजिये मगर जो चोरी या डाका डाल कर आते हैं उनको सुविधायें नहीं देनी चाहिये ताकि वे फिर जुर्म न करें।

*श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया राजेन्द्र कुमारी जी के भाषण से ऐसा लगा कि शायद उन्हें कभी जेल जाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। मैं उन्हें निमन्त्रण देता हूं कि हमारी भूख-हड़ताल के कार्यक्रम में शामिल हो कर वह देख लें कि महिलाओं की जेलों में क्या दुर्गति हो रही है? उनको पता चल जायगा कि जेल में उनके साथ क्या होता है और बाहर पुलिस क्या दुर्गति करती है? जेल विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है और जिनके ऊपर वह अष्टाचार किया जाता है वे बेचारे बेजबान हैं। इसलिये जेल विभाग की सब बातें हमारे सामने नहीं आ पाती हैं। जब कोई जेल का निरीक्षण करता है तो वे जेल के कैदियों से अलग-अलग नहीं मिलने देते हैं और हम एक फ्लाइंग विजिट जैसी करके चले आते हैं। मैं चाहता हूं कि एक तो मंत्री जी प्रोबेशन बोर्ड की स्थिति को सम्भालें। पिछले ४, ५ वर्ष में प्रोबेशन बोर्ड ने कितने कैदियों को जमानत पर छोड़ने की सिफारिश की। और उसके चेयरमैन कौन हैं? डिप्टी मिनिस्टर साहब। उसमें सरकारी अफसर होता है। इस स्थिति में उस प्रोबेशन बोर्ड की सिफारिशें कितनी लागू की गईं और बाद में कितनी सरकार ने रिजेक्ट की थीं। जेल विभाग के उप-सचिव प्रोबेशन बोर्ड की सिफ़ारिशों को नहीं मानते हैं। उनमें रोड़े अटकाना चाहते हैं। मेरा स्पैसिफ़िक चार्ज है कि पिछले सालों में उनकी यह नीति रही है कि प्रोबेशन पर कैदियों को न छोड़ा जाय। वर्षों से दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं।

श्रीमन्, सम्पूर्णानन्द शिविर के कैदियों के लिये कहा गया था कि हम तुमको सुविधायें देंगे, मजदूरी अच्छी देंगे, छोड़ भी देंगे तुम्हें। लेकिन छोड़ने की प्रगति इतनी धीमी हो गई कि उससे कैदियों में असन्तोष है। जो वायदे उनसे किये गये थे वे पूरे नहीं किये गये यद्यपि उन्होंने बहुत काम किया। कोई कैदी फिर इस प्रकार से काम करने के लिये नहीं जायगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

एसिस्टेंट जेलर और डिप्टी जेलर की ड्यूटी में कोई अन्तर नहीं है, लेकिन वेतन में इतना अन्तर है कि एक को ८५ रुपये से और दूसरे को १२० से शुरू होता है। मेरी मांग है कि एक का ग्रेड बढ़ाया जाय और दोनों को एक पोस्ट कर दी जाय। अफसर के रैंक में रहकर और ऐसी जगह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

पर जहां भ्रष्टाचार की बहुत गुंजाइश है, कैदियों से पैसा मिलने की आशा रहती है, भोजन पर, मिर्च-मसाले पर हिस्सा बांटने का मौका होता है, कौन आदमी ८५ रुपये पर ईमानदारी से काम कर सकेगा ?

जेल के आनरेरी विजिटर्स रखे जाते है। उनमें भी बड़ा पक्षपात होता है। कुछ ऐसा नियम है कि जिन्हें जिले की अपराध निरोधक समिति –एप्रूव करे उनको ही जेल विजिटर बनाया जाय। इसमें गुट विशेष के ही लोगों को लिया जाता है। बतलाया जाय कि कितने आदमी नान कांग्रेसी जेल विजिटर हैं ? हमारे यहां, कांग्रेसियों में ही आपस में झगड़ा हुआ और एक ही पार्टी के सब आदमी उन्होंने रख लिये। उन्होंने मुझ से कहा कि इसके लिये कुछ करो। मैंने यहां प्रश्न रखे। इस प्रकार की बातें हर जिले में होती हैं। इसका ढांचा ही बदलने की आवश्यकता है। अच्छा आदमी चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो निष्पक्ष राय दे सके, उनको ही जेल विजिटर बनाना चाहिये क्योंकि वे उनके संरक्षक होते हैं जिनके जबान नहीं है जब तक कि वे छूट न जावें।

जेलों में खाने के ऊपर एक समिति अफसरों की बैठाई। इसका काम था भोजन और उसके वितरण में परिवर्तन, पोशाक में परिवर्तन, भोजन को रुचिकर बनाने के वास्ते परिवर्तन, आदि। मेरा निवेदन है कि उस कमेटी की जो सिफारिशें हों उनको, कुछ नान-आफीशल मिलाकर जल्दी कार्यान्वित करायें। भोजन वितरण एक तो ११ बजे किया जाता है और दूसरा ५ बजे बाहर किया जाता हैं। यह टाइम कुछ आगे बढ़ना चाहिये। भोजन अगर उन्हें बैरक में ही ११ बजे दिया जाय तो फिर ७, ८ बजे दिया जाय। मुझे भी इस सरकार के जमाने में जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भोजन की हालत यह है कि रोटियां हाथ के पापड़, दाल जीरे का अर्क मिल गया तो हो गया नाश्ता सवेरे के लिये। बरेली सेन्ट्रल जेल में पहले तन्दूर की रोटी दी जाती थी क्योंकि लम्बी अवधि वाले कैदी वहां जाते थे और उनके स्वास्थ्य का खयाल रखा जाता था। लेकिन अब वहां तवे की रोटी दी जाती है। सब्जी में फूल गोभी या मूली या शलजम हो तो सब जड़ तो अफसर के या वार्डर के घर चली जाय और गंडासे से काटे हुये पत्ते हमको मिले हैं, उंगली-उंगली भर लम्बे। अभी मैं जेल को एक बार देखने गया तो उसमें परिवर्तन नहीं था। विजिटर को यह छूट दी जानी चाहिये कि वह अकेला सारे जेल में घूम आवे। होता यह है कि जेलर और उसके कुछ पिछलग्गू उनके पीछे लग जाते हैं और इधर-उधर की चीजें दिखाकर समय नष्ट कर देते हैं, प्रिजिनर्स को निकट नहीं आने देते इससे वे लोग उनका दुख नहीं जान पाते।

अब उत्पादन की बात सुन लीजिये। किशोर सदन, बरेली में साल भर में ६ ग्रुस पेंसिलें बनायीं गयीं, नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में शीशे के मोती बनाने का काम शुरू किया गया लेकिन शीशे के अभाव में मोती नहीं बन सके, केन्द्रीय कारागार, बरेली में बच्चों के बाग, बैडमिंटन रैकेट ३१२, टैनिस रेकेट १५, बुद्धों की स्टिक १५८ और हाकी स्टिक २४, इस आलोच्य वर्ष में बनायीं। यह जेल का उत्पादन देखने लायक है।

*श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेल अनुदान के सम्बन्ध में जो व्याख्यान मैंने अभी तक सुने उनसे ऐसा लगता है कि वे विचार एक पक्षीय ज्यादा हैं। जेल में अधिक से अधिक सुधार हो इस तरह की कामना वाले भाषण अभी तक सुने हैं। जहां तक आदर्श का प्रश्न है यह ठीक है कि जो आदमी जेल में भी जाय वह भी आराम से रहे और सुविधा पाये। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी नहीं भूलना चाहिये कि जहां आदर्श व्यवहारिकता खो बैठता है, वहां उस आदर्श की पूर्ति में सुव्यवस्थित रूप से कार्य-संचालन नहीं हो पाता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमें यह विचार करना है कि जेल किस लिये हैं। उसका कारण सिद्धान्ततः यही है कि जो आदमी समाज में रहने के लिये वांछनीय नहीं है, जिसका समाज में रहना समाज को दूषित करेगा, इसलिये उसको समाज से अलहदा करने की नितान्त आवश्यकता है, उसको जेल में भेजना पड़ता है। राजनैतिक बन्दियों की बात दूसरी है। इसका निर्णय करने के लिये न्याय पालिका है। उसके निर्णय के बाद किस के जेल जाने की बात आती है। अब इसमें दो भावनायें हो सकतीं हैं। एक तो यह कि दूसरे लोगों के मन पर यह प्रभाव पड़े कि वे उस तरह का कार्य न करें जिस काम को करके उसको जेल जाना पड़ा। जो जेल जाता है उसके लिये भावना होती है कि वह बुराई के संपर्क से हटा दिया जाय। और जहां तक आदर्श की बात है यह कहना और सुनना भी अच्छा लगता है कि वहां जो सुधार की बातें होती हैं, उनमें रह कर उसका सुधार हो जायगा और वह समाज में रहने लायक व्यक्ति हो जायगा। मन में ऐसी कल्पना करना अच्छी बात है, होना भी चाहिये। लेकिन आज जो हमारा व्यवहारिक पक्ष है उसको मैं बतलाता हूं, उस पर आप ध्यान दें। क्या आज हमारे समाज में उतनी चेतना व सतर्कता बाकी है कि हम अपने विचारों से बुराई को छोड़कर अच्छाई की तरफ जा सकें? हमें यह देखना है कि आज समाज के जितने लोग हैं उनमें इस वक्त किस तरह की भावना है या जो आदमी अच्छा काम कर रहे हैं या करने की तरफ जा रहे हैं उनमें कितने लोग ऐसे हैं जो कि केवल विवेक और विचार से उस तरफ जा रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो लोक लज्जा की वजह से जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो डर के मारे अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसकी विवेचना करें तो देखेंगे कि आज हमारे यहां की स्थिति यह है कि हमारे समाज का जो स्तर है, उसमें डर इस वक्त प्रधान रूप धारण किये हुये हैं। भय से ही कोई अच्छा काम कर रहा है या करने की तरफ दिखलायी देता है। जाहिर है कि अगर उनमें भय न हो कि हमें समाज द्वारा दंडित किया जायगा तो बहुत से ऐसे बुरे काम हैं जिनको वह चुपचाप करना चाहता है अगर समाज न जाने तो ऐसी भावना इस समाज में बहुत से लोगों की है।

अपने यहां एक तरीका है कि जो आदमी बुरा काम करे वह जेल जाय। जेल के जरिये जब मैं सुधार की बात सुनता हूं तो इस से यह मालूम होता है कि हम अपने को इस खतरे में झोंकने के लिये तैयार हैं जिस से समाज का बहुत नुकसान भविष्य में हो सकता है। हमारे यहां जेल की कल्पना नर्क से की गयी है। अब उस नर्क को अगर आप स्वर्ग बनाने की बात करते हैं तो इसको आप सोच लें व समझ लें कि कहां तक ठीक दिशा में आप अपना कदम उठा रहे हैं?

जहां तक न्याय मिलने की बात है, जुडीशियरी को आप अलग कर दीजिये। अगर कोई आदमी जेल जाने को है तो उसको निर्दोष साबित करने के लिये जितने भी साधन हैं उसे आप प्रोवाइड कर दें, चाहे जितने भी अपील के साधन उसे दे दें लेकिन एक बार जब यह निश्चित हो जाय कि वह आदमी दंड के योग्य है और उसे दंड दे दिया जाय तो उसको मालूम होना ही चाहिये कि उसे दंड दिया गया है। साथ ही हमें यह भी देखना है कि समाज के जितने सभ्य नागरिक हैं उनकी रोजाना आमदनी तमाम साधनों का उपयोग करने के बाद भी ७ आने, ८ आने या ९ आने तक है, जैसे कि यहां के बाद विवाद से मालूम हुआ और फिर हम जेल के कैदियों की आय का मुकाबिला अमेरिका और इंगलैंड से करें कि वहां जैसी तमाम सुविधायें यहां प्राप्त हो जायं तो यह कहां तक संभव हो सकता है कि अच्छा भला मानुष अच्छे ढंग से काम करके अपनी जीविका के लिये ७–८ आने रोज ही कमावे और जो जेल में चला जाय उसे बाहर के लोगों से भी अधिक आमदनी होने लगे। फिर तो कोई बाहर रहना पसन्द ही नहीं करेगा। फिर तो जेल सबके लिये आकर्षक बन जायगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जेलों को बहुत अधिक आकर्षक मत बनाइये। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं, आज की हालत ऐसी है कि केवल हथकड़ी की वजह से बाइज्जत आदमी जेल नहीं जाना पसन्द करता वरना आज तो हालत यह है कि जेल के नियम व तरीकों को देख कर बहुत से आदमी जेल जाने से घबड़ाते नहीं हैं, न परेशान होते हैं बल्कि वहां जाकर बदमाशी सीखकर आते हैं और फिर बाहर बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। जेल को आप स्वर्ग बनाने की कल्पना न करें। अगर समाज किसी को सुधारना चाहता है तो मेहरबानी करके आप उसे जेल मत भेजिये। उनको कहीं और भेजिये

[श्री श्रीपत मिश्र]

जेल न भेजिये, जिनको निश्चित दंड देना है केवल उन्हीं को वहां भेजिये। वहां आप सुधार का अवसर न दें वह तो नर्क है और जिनको सजा देना है केवल उन्हीं को वहां भेजा जाय। आप क्षमा करें मैं प्रतिक्रियावादी मानकर ही यह कहता हूं कि यह पुरानी कल्पना है कि आप उनको वहां भेजें कि जो अन्तिम रूप से दंड के भागी हों।

*श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेल का अनुदान पेश है, इस अनुदान पर हम विशेष कर जितने विरोधी पक्ष के लोग हैं आप से अधिक समय माँगने की प्रार्थना करेंगे इसलिये चूंकि हम लोगों को जेल की सफाई करना है। आज जिस तरह से जनसंघ के डेढ़ सौ आदमी जेल गये हैं, उसी तरह से सोशलिस्ट पार्टी का भी सत्याग्रह चलेगा और यही हालत बरकरार रही तो अन्य पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि जेलें भरें। इसलिये उस से पहले ही एक बार जेल की सफाई होना चाहिये और उस ओर हम अधिक ध्यान अभी से दे सकें तो ज्यादा अच्छा है। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि अंग्रेजों की जेल देखी होती तो पता चलता। मुझे अभिमान है यह कहने का कि हम में से बहुत से ऐसे विरोधी पक्ष के लोग होंगे जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में एक बार नहीं, अनेकों बार जेल देखी होगी और मैं भी उनमें से एक हूं और जब से यह रामराज की सरकार हुई है तब से भी ५--७ बार मुझे जेल देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में और खासतौर से सन् ४२ की जेल में और आज की जेल में बहुत अन्तर है। भले ही उधर के लोग कहते हों कि जेलखाने को खाला जी का घर बना दिया जाय या स्वर्ग बना दिया जाय लेकिन मैं कहूंगा कि आज जेल के अन्दर राजनैतिक बन्दियों को जो सजा दी जाती है उसको तो छोड़िये लेकिन उनके साथ जो दुर्व्यवहार और अमानुषिक व्यवहार किया जाता है वह बयान के बाहर है।

माननीय मुख्य मंत्री व जेल मंत्री जी को मालूम होगा कि सीतापुर जेल में जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ और वहां के कर्मचारियों ने, वार्डरों ने, बदमाशों ने उन पर लाठी चार्ज किया। माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने उस पर इसी सदन में विश्वास दिलाया था कि उसकी इंक्वायरी करेंगे लेकिन आज तक नहीं मालूम कि क्या जांच हुई और उन कर्मचारियों को क्या सजा दी गई? लोग स्वर्ग और नर्क की बात कहते हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार ने जैसा कि कई बार आश्वासन दिया है कि जेल मैनुअल बदल जायगा, वह ५०--६० साल का अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, वही आज भी चल रहा है। उसी मैनुअल के आधार पर आई० जी० डी० आई० जी०, और ए० आई० जी० व ऊपर के अधिकारियों का तबादला नहीं होता। मैं बहुत नम्रता से और बहुत सख्ती से कहना चाहता हूं कि विभाग के कर्मचारी चाहे भ्रष्टाचारी हों या न हों लेकिन एक अफसर जो ऊंचे पद पर हैं वह भ्रष्टाचारी हों या न हों लेकिन उन्होंने अन्याय किये हैं। मैं भी हरीशचन्द्र सक्सेना, डी० आई० जी०, के बारे में खासतौर से कहूंगा, जेल मंत्री जी अच्छी तरह से सुन लें ..

श्री उपाध्यक्ष--

आप किसी का नाम न लीजिये।

श्री अवधेशकुमार सिनहा--

तारीफ नाम लेकर की जा रही है, इसलिये मैं विशेष रूप से उनका नाम लूंगा कि उन्होंने जेल में जो हमारे साथ अत्याचार हुआ है उस पर परदा डाला है और आधी बाल्टी खून जो सीतापुर जेल में निकला था वह खाली नहीं जायगा। आज भी पांच नम्बर की बैरक पुकार कर कह रही है कि डी० आई० जी० का जो अन्याय हुआ है मंत्री जी उस पर विचार करें और उनको चाहिये कि जो रक्त निकला है उसका कुछ मुआवजा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रोबेशन बोर्ड यहां पर है, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उसके कुछ नियम बन जाने चाहिये। चेयरमैन उस बोर्ड के जिसको चाहते हैं छोड़ देते हैं, जिसको सरकारी अहलकार चाहते हैं छोड़ देते हैं। बाकी ७,७ साल के कैदी अभी तक नहीं छोड़े गये हैं। अतः इस सम्बन्ध में मंत्री जी निश्चित नीति बनायें और उस पर कार्य करें।

फांसी के कैदी प्रदेश में बहुत ज्यादा हैं और कन्डेम्ड सेल्स बहुत कम हैं। एक-एक सेल में २-२ कैदी फांसी के बन्द हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम जो जिन्दगी की आखिरी सांस भरने वाले हैं, जिनको फांसी की सजा मिली है उनके रहने और खाने की सुविधा ठीक से होनी चाहिये।

जेल मैनुअल बदलनी चाहिये। उस के अन्दर संख्या दी हुई है कि लगभग ७० कैदियों पर १६ सेर तेल और चावल मिलता है और चावल के नाम से जेल के अन्दर जो भ्रष्टाचार होता है उस पर मंत्री जी ध्यान दें। वह तेल जेलर, सुपरिन्टेन्डेन्ट वगैरह के यहां चला जाता है। यह कहकर कि ईद, होली में पूड़ी बना देते हैं सारा का सारा तेल चोर बाजारी में यह जेल अधिकारियों के घर जाता है। वह तेल कम कर दें लेकिन तरकारी और दाल जो जेल में मिलती है उसको बढ़ा दें। श्रीमन्, आप अंग्रेजों के समय जेल गये होंगे, १ छंटाक दाल मिलती है दोनों समय में और आधा पाव तरकारी मिलती है और उस पर कहते हैं जेल खाला जी का घर बना दिया जाय। तो जो तेल, चावल के नाम पर अधिकारियों के यहां जाता है उसको बन्द करना चाहिये और दाल, सब्जी इतनी मिले जिस से आदमी अपना पेट पाल सके। अन्त में मुझे यही कहना है कि जेल अधिकारियों के वेतन में और पुलिस अधिकारियों के वेतन में जो भेद हैं जब कि उनकी ग्रेड एक हैं, उसको दूर करना चाहिये और उनके वेतन क्रम को रिवाइज सरकार कर दे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

श्रीमन्, जिन्हें जेल का अनुभव हो उन्हें ही बुलाइये।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, मिश्रा जी ने जो बात कही है उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। जब इस देश में अंग्रेजों का राज था उस समय के कारागार भी देखें और उनके (माननीय मिश्रा जी के) दल की सरकार के कारागार भी देखने का ३-४ बार मौका हुआ है। उसके बारे में कहा जाता है कि जेलों को सुधार के रूप में परिवर्तित करेंगे। आपको भी उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के जमाने की जेलों का ज्ञान होगा, वहां के उस समय के भोजन और व्यवहार का स्मरण होगा। आज जेलों में देखा जाता है कि मच्छरों से भरी कोठरियां खटमलों से भरे कम्बल, पुराने तसले जो अंग्रेजों के जमाने में थे वे आज भी उन जेलों में विद्यमान हैं। आज भी, मान्यवर, ये कारागार उन अपराधियों के लिये नहीं बने हुये हैं जो कि बड़े-बड़े अपराध चोरी, डकैती आदि करते हैं बल्कि उनके लिये बने हुये हैं जो देश भक्त हैं और देश की जनता की पुकार के लिये और अपनी बात को रखने के लिये जेलों में जाते हैं। जो व्यवहार डकैतों और चोरों के साथ होता है वही व्यवहार इन राजनैतिक कैदियों के साथ भी होता है।

श्री अवधेशकुमार सिनहा---

इस समय कोरम है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---

उस दशा में एक घंटे तक एवायड किया जा सकता है पर अगर कोई कोरम का सवाल रेज करता है तो फिर देखा जाता है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगन्नाथ राव—

जिस समय आप भी और आपके साथ अन्य लोग जेलों में रहे उस समय जेलों की यातनाओं से किस तरह से पीड़ित हो कर यह विचार किया था कि हम जेलों को सुधार के लिये बनायेंगे। इस दिशा में प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री, डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने यह प्रयत्न भी किया था कि उनको सुधार के रूप में परिवर्तन किया जाय लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी वे ही परिस्थितियां जेलों में हैं जो उस समय थीं। वही सड़ा-गला जेल मैन्युअल जो उस समय था, आज भी है। आज के कारागार ऐसे हैं कि जिनमें सभी प्रकार के दुष्कर्म होते रहते हैं। वहां पर जुआ भी होता है, वहां पर गांजा और भांग का व्यापार भी होता है। मैं तो यह समझता हूं जो कैदी वहां पर जाते हैं वे एक बड़े डाकू या चोर होकर निकलते हैं। जब ये कैदी उन कैदियों से मिलते हैं जो बड़े-बड़े अपराधों में पकड़े जाते हैं तो बताते हैं कि वे किस प्रकार से चोरी करते हुये, डाका डालते हुये पकड़े गये। तो उनको दूसरे चोर और डाकू बताते हैं कि इस तरह से अगर करते तो हर्गिज नहीं पकड़े जाते। तो इस प्रकार से उन्हें वहां पर ट्रेनिंग मिल जाती है। और वहां पर वह ग्रुप बनाकर रहते हैं और डकैती तथा चोरी का अभ्यास सीख कर निकलते हैं और चोरों तथा डकैतों को ठीक करने की जो बातें होती हैं उनका वे अभ्यास नहीं करते हैं।

मनोवैज्ञानिक आधार पर जो नैतिक शिक्षा उनको देनी चाहिये और चोरी तथा डकैती के कारणों की मीमान्सा होनी चाहिये वह वहां नहीं की जाती है और उनकी मनोवृत्ति को बदलने का प्रयत्न नहीं किया जाता है। वे जेल से बदमाश हो कर निकलते हैं। अवैतनिक अध्यापक कभी-कभी जा कर भाषण कर देते हैं बिना मन के, उस से कैदियों का कोई सुधार नहीं हो पाता है। कैदियों से जो काम लिये जाते हैं उनका अभ्यास उनको रहता है, दिन भर दिखाने के लिये वे काम में लगे रहते हैं। उनको इस प्रकार के काम दिये जायं ताकि समाज में वापस आकर वे धन प्राप्त कर सकें और समाज में इज्जत और सम्मान के साथ रह सकें और अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकें। उनकी आदतों को छुड़ाने के लिये और सुधारने के लिये आपको रचनात्मक प्रोग्राम बनाना होगा और अच्छी बातें सिखाने के लिये उनको अवसर प्रदान किया जाय तभी सारी गड़बड़ी दूर हो सकेगी।

आज भी राजनीतिक कैदियों के साथ उसी प्रकार व्यवहार किया जाता है जिस प्रकार डकैतों तथा चोरों के साथ किया जाता है। आप स्वयं भुक्तभोगी हैं लेकिन आपको चेतना नहीं आई। अंग्रेजों ने लाठी चार्ज करके, डंडे मार करके आप को रखा और आज भी विरोधियों के साथ वही बर्ताव करते हैं। इस से लोगों की भावनायें खत्म नहीं हो जायंगी। यह डेमोक्रेसी है। कल आपको भी इन शिकन्जों में जाना पड़ सकता है और जो यातनायें आज हम को दे रहे हैं वे आपको भी भुगतनी हो सकती हैं। हम तो उनको भोग ही रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो विजिटिंग कमेटीज हमारे प्रदेश में बनायी गई हैं उसके सदस्य या तो जेलों में पहुंचते नहीं जेलों की आज की स्थिति को देखने के लिये या जेल अधिकारियों के साथ उनके जो सम्बन्ध हैं उनके कारण वे जेल की कमियों की ओर ध्यान नहीं देते और कोई भी सुझाव सरकार को नहीं देते। मैं आलोचना की दृष्टि से खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन मैंने जाकर कई जेलों को देखा है। वहां जेल में रहने वाले कैदियों के साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव होता है। जो कैदी अंडर ट्रायल होते हैं, जिन्हें कोर्ट से सजा नहीं मिली होती है उनसे भी काम लिया जाता है और जो उत्पादन होता है उसका एक चौथाई जेल कमेटी के सदस्यों, जेलर तथा संबंधित अधिकारियों के घर पर चला जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जेल में जो पुराने कैदी होते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाय और काटेज इंडस्ट्रीज यहां पनपाई जाय और हर जेल से उत्पादन की एक फोर्टनाइटली रिपोर्ट मंगाई जाया करे जिससे पता चलता रहे कि किस जेल में कितना उत्पादन हो रहा है।

दूसरी बात यह है कि कैदियों के खाने की व्यवस्था जो १९४६ में थी जब कि कांग्रेस की इंटेरिम गवर्नमेंट थी और माननीय पन्त जी मुख्य मंत्री थे तो उस समय बहुत अच्छी व्यवस्था थी। आज ६ छटांक प्रति कैदी आटा दिया जाता है। १९६० में अंडर ट्रायल कैदी की हैसियत से मैं मैनपुरी में रहा तो मैंने देखा कि वहां कैदियों को मुश्किल से ५ छटांक मिलता था और एक छटांक गल्ला प्रति कैदी के हिसाब से जो बचता था, उसको जेलर तथा सुपरिन्टेंडेंट वगैरा फरोख्त कर देते थे। इसी तरह से जेलों में एक अपराध निरोधक समिति बनी हुई है। अनुदान तो पास करा लिया जाता है लेकिन उसका कुछ काम नहीं है। वहां जो अपराध निरोधक सप्ताह मनाया जाता है उसमें समिति के सदस्य व्याख्यान देकर चले आते हैं और वे इतना भी कैदियों को नहीं बताते कि तुम्हें क्या करना चाहिये और वहां पर एक ऐसे सेंटर की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे जेल से निकलने के बाद कैदी की मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक जागृति पैदा हो। लेकिन वे और भी हैबिचुअल बनाये जाते हैं।

जेलों में आज भी, जब कि आप जातिविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जातिपांति कायम रखे हुये हैं। अगर किसी पंडित ने कत्ल, चोरी या डकैती की है तो वह जेल में उसी तरह से ट्रीट किया जाता है और अगर एक हरिजन या मेहतर जेल में जाता है तो उससे टट्टी साफ कराई जाती है। मैं चाहता हूं कि जेलों में ऐसे मेसों की स्थापना होनी चाहिये जिसमें सभी वर्ग के लोगों से खाना बनवाया जाय। क्रिमिनल लोगों के साथ आज भी जेलों में वही चीज लागू है। मनु महाराज का जो कांस्टीटयूशन है वह वहां आज भी लागू है। उसको खत्म करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो लोग जेलों में पकड़ कर जाते हैं अगर उनके सम्बन्धी वहां मिलने जाते हैं, उनको मिलने का पूरा अधिकार है फिर भी जब तक वे दो रुपये का नोट नहीं दे देते हैं तब तक मिलने नहीं दिया जाता है। यह भी बड़ा भारी करप्शन है जो जेलों में व्याप्त है। अगर मिल मालिकों और पूंजीपतियों को, जिन्होंने समाज में लूट मार की है, जेल में जाना पड़ता तो मैं सदन को बताना चाहता हूं यही मंत्री जी की और सुचेता जी की सरकार उन पूंजीपति डकैतों के लिए एअर कंडीशन्ड रूम बनवा देती। जेलों में वह लोग जाते हैं जिनको हैबिचुअल बनाया गया है। आजादी से पहले कुछ जातियों को क्रिमिनल निश्चित किया गया, हबूड़ा, चिड़ीमार या जो इस तरह के लोग थे, चाहे कोई भी क्राइम करे उनको पकड़ लिया जाता था। कोई भी बड़ा से बड़ा जागीरदार डकैती करवाये लेकिन पकड़ा जाता था कंजड़, या शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग। लेकिन हमने स्वतंत्रता प्राप्त की और लोकतन्त्र की स्थापना की। उसके बाद हमने अपनी जेलों को आदर्श जेल बनाने का प्रयत्न किया। मैं नहीं चाहता कि क्रिमिनल्स को ज्यादा सुविधाएं दी जायं जिन्होंने भयंकर अपराध किये हैं लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक अगर कोई कटौती या भ्रष्टाचार किया जाता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा।

*श्री शारदाभक्तासिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे मेरी इन अनुदान पर बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी जिस प्रकार से कारागार के सम्बन्ध में विचार माननीय मंत्री जी ने व्यक्त किये हैं उससे मुझे निराशा हुई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

दो प्रश्न विरोधी दल की ओर से विशेष रूप से उठाये गये हैं--एक तो कारागार में भ्रष्टाचार और दूसरे आज के लोकतन्त्र में राजनीतिक बन्दियों के प्रति सरकार का व्यवहार। उधर से माननीय सदस्य कहते हैं कि बड़ा भारी प्रान्त है, बहुत बड़ी जनता है, इसलिए भ्रष्टाचार समाप्त करने में कठिनाइयां हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि उत्तर प्रदेश में आपके पास जो भी विभाग हैं, कहीं तो आप प्रारम्भ करेंगे, जहां पर हम भ्रष्टाचार को समाप्त करके उदाहरण रूप में प्रस्तुत कर सकें? हमारी माली हालत अच्छी नहीं, हम आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं लेकिन कारागार के सम्बन्ध में अगर आपका निश्चय है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो वह एक सीमित क्षेत्र है, जहां आम जनता का सम्बन्ध नहीं है, वहां आपके अधिकारी हैं और बन्दी हैं। उनके बीच में अगर भ्रष्टाचार नहीं समाप्त कर पाये तो हम कहां जा रहे हैं, यह सोचने का विषय है। शायद जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, हवा चलती है वैसे कारागार विभाग भी चल रहा है। नीचे से फाइलें जाती हैं, हम दस्तखत कर देते हैं और हम समझते हैं कि हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर मंत्री महोदय इस बात का निश्चय करें कि एक साल या दो साल में, जो चित्र कारागार का है, उसको बदल देंगे और नहीं बदल पायेंगे तो कुर्सी छोड़ देंगे, तो निश्चय ही दो साल के अन्दर सारा नक्शा बदल सकता है। लेकिन दुख यह है कि मंत्री महोदय अपने नीचे के कर्मचारियों का मार्ग दर्शन करने के बजाय उनकी हां में हां मिला कर दस्तखत कर देते हैं और चाहते हैं कि उनके विभाग में सुधार हो जाय। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप धोखा दे रहे हैं अपने को और सारे उत्तर प्रदेश को। आदर्श कारागृह नाम रखा गया कई कारागृहों का, लेकिन आज उनमें भी भ्रष्टाचार उसी तरह का चल रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अपने हृदय पर हाथ रख कर यह घोषणा आज कर सकती है कि कारागृहों में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? आप कहेंगे कि हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन १४-१५ वर्ष से कार्य कर रहे हैं। इस साल भी साधारण तौर से जो विवाद हो रहा है उसमें आपको आनन्द भी नहीं आ रहा है, उस पर आप ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, केवल फार्मल बे में दो चार शब्द कह कर इस बात को समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन इस रवैये से कि छोटे-छोटे विभागों में भी प्रयत्न पूर्वक और दृढ़ता के साथ हम निश्चय रूप से सुधार नहीं कर पा रहे हैं, इससे सारे प्रदेश में एक निराशा का वातावरण बन रहा है और यह वातावरण बन चुका है कि यह सरकार सुधार करने में बिल्कुल असमर्थ है। अगर आपमें हिम्मत है और आप कहना चाहते हैं कि हम प्रदेश का सुधार करेंगे, सारी गड़बड़ियों को दूर करके उसकी उन्नति करेंगे तो क्या आप छोटे से मुहकमे जेल का भी सुधार करके नहीं दिखा सकते जो कि आपके अधिकार में है, जहां आप जा सकते हैं, जनता से जहां कोई सम्पर्क नहीं है, उसके लिए आप आज यह भी नहीं कह सकते कि उनमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होगा तो हम जो भी आवश्यक कदम होंगे उठायेंगे और इस बात को विरोधी दल के सामने कहेंगे कि इस साल हमने कारागार का इतना सुधार कर दिया है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर वह आप सामर्थ्य के साथ कह सके तो हम यह कहेंगे कि आपने कोई काम किया है और आपको इसका श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन आप वही पुरानी बात करेंगे कि क्या करें, प्रयत्न तो करते हैं, हमारे अधिकारी बड़े बेईमान हैं, जनता भी बेईमान है, हम प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे पास काम बहुत है, इत्यादि? वही पुरानी बातें आप करेंगे जिनसे कि निराशा बढ़ती जाती है और जनता यह समझती है, लोग आज यह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इसलिए नहीं चल रहा है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता, बल्कि इसलिए चल रहा है कि ऊपर के लोग मंत्री लोगों की इच्छा नहीं है कि वह इन मामलों के ऊपर कोई कार्यवाही करें।

दूसरी बात यह है कि राजनीतिक बन्दियों के साथ व्यवहार कैसा किया जाय, क्या कांग्रेस सरकार को भी यह बताने की जरूरत है, और इस पर भी भाषण देने की जरूरत है कि राजनीतिक बन्दियों के साथ किस प्रकार का सद्व्यवहार होना चाहिए? लोकतन्त्र के अन्दर अगर आप विरोधी दलों का विश्वास अपने अन्दर चाहते हैं, यह चाहते हैं कि वह आपके साथ सहयोग पूर्वक खड़े हों,

तो आप कहीं तो प्रामाणिकता दिखाइए। जब आप राजनीतिक बन्दी थे उस समय के आपके भाषण रखे हुए हैं, आप चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, कितनों ने अपनी जानें दे दीं ताकि यह सिद्धान्त मुल्क में स्थापित हो कि राजनीतिक बन्दियों के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो कि एक सज्जन और त्यागी पुरुष के साथ होता है। लेकिन आप उसे नहीं मान रहे हैं। सुपीरियर क्लास, इन्फीरियर क्लास और जेल मैनुअल के तमाम बहाने जो बनाये जाते हैं क्या आप उनको दूर नहीं कर सकते? लेकिन आप करना नहीं चाहते और कहते हैं कि हमारी इच्छा है सब कुछ करने की। तो या तो हम अब आलोचना करना बन्द कर दें और हम चाहते हैं कि आलोचना हमें न करनी पड़े, लेकिन कहीं से आप की सद्भावना, आपकी दृढ़ता का कुछ प्रमाण तो मिले, जिससे हम भी यह कह सकें कि आपने एक अच्छा रुख अपनाया है। अभी माननीय सदस्य विधान सभा के पकड़े गये और उनके साथ कितने और राजनैतिक कैदी पकड़े गये। आप कहते हैं कि आप तो गुड़ के चोर हैं, भले ही हंसी में कहते हों, लेकिन कितने क्षुद्र भाव हैं। आप उनका मोटिव पकड़ते हैं। उनके साथ सद्भावना कर ही नहीं सकते अगर ऐसे लोगों के लिए जो प्रान्त के लिए, एक सिद्धान्त के लिए जेल गये और आज भी कितने ही १५० आदमी पकड़े गये हैं, जैसा मैंने अभी कहा, क्या आप की पुलिस उनके साथ यह भी सद्व्यवहार नहीं कर सकती कि उनसे कहें कि आप मोटर में बैठें, आप जनता के लिए जेल जा रहे हैं? उसकी जगह वह उन्हें धक्का देती है और अपमानित करती है और उसमें आपको आनन्द आता है। क्या मतलब है इसका? आप अपने हृदय को टटोल कर देखें, आप कहां जा रहे हैं? विरोधी दलों के प्रति तो आप की सद्भावना क्या होगी आप अपने अन्दर ही एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव उत्पन्न करके इस प्रान्त को कहां ले जा रहे हैं? क्या यह भी कोई हमारी ऐसी मांग है जो दलगत मांग हो? क्या ऐसी कोई बात है जिस पर आप गम्भीरता से विचार न कर सकें? अगर इस देश के लिए अपने सिद्धान्तों के लिए, अपने उन विचारों के लिए जिनको कोई प्रान्त के लिए लाभदायक समझता है, और उसके लिए कदम दृढ़ता के साथ उठाता है और आपको उससे मतभेद है, आप उसे ले जाकर जेल में रखते हैं तो एक मनुष्यता के नाते, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के नाते, क्या आप उसके साथ मनुष्य का सा व्यवहार नहीं कर सकते? और आप बात करते हैं कि विरोधी दलों और जनता के सभी लोगों के साथ आप "वसुधैव कुटुम्बकम्" का व्यवहार करते हैं।

हमारी मुख्य मंत्री जी ने जब से भार सम्हाला है तब से कई बार कहा है कि वे हम लोगों की बातें सुनने के लिये तैयार हैं लेकिन कहां है उस आश्वासन का व्यावहारिक रूप। कहां है वह घोषणा कि राजनीतिक बन्दी, उनकी चाहे जो आप परिभाषा करें, कि राजनीतिक बन्दी के साथ आपका अच्छा और उचित व्यवहार होगा। कहां है वह घोषणा कि आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे सारे उत्तर प्रदेश के लोग समझें कि सरकार दलगत स्वार्थों और क्षुद्र व्यवहार से ऊपर उठ कर कोई व्यवहार कर रही है। हर साल यह बात आती है तो आप उसे हंस कर टाल देते हैं। बाहर मिलते हैं तो स्वीकार करते हैं कि हम और आप एक हैं, राजनीतिक पीड़ित हम भी रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार न हो लेकिन जब यहां बैठते हैं तो हंस कर उस बात को टाल देते हैं। आखिर आपकी बात की कोई प्रामाणिकता तो होनी चाहिये। मुझे बड़ा दुख है कि जब हम यहां पर विचार करते हैं तो एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ कर निर्णय क्यों नहीं लेते? मैं अगर यह कहूंगा कि जेलों में भ्रष्टाचार है तो आप कहेंगे कि आप विरोधी दल के हैं और गलत बात कहते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, वहां सतयुग है। हम कहेंगे कि राजनीतिक बन्दियों के साथ उचित व्यवहार आपका नहीं हो रहा है तो आप घुमा फिरा कर कुछ उत्तर दे देंगे तो फिर आप कैसे चाहते हैं कि विरोधी दलों का आप के साथ सहयोग हो।

मैं चाहता हूं कि आप देखें कि आज जनता का विश्वास आप क्यों खोते चले जा रहे हैं। आप की सरकार कहां जा रही है वह देखें। मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रामाणिकता दें और अपनी बात को व्यावहारिकता में परिणत करें जिससे लोग कह सकें कि आप कोई नया अध्याय आरम्भ करने जा रहे हैं।

सदन के परिसर में कुष्ठ रोग से पीड़ित पुलिस अधिकारी की उपस्थिति पर आपत्ति

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमें अफसोस है कि यहां एक पुलिस अधिकारी श्री सुभाष मुकर्जी हैं, काफी लम्बे गोरे आदमी हैं। उनका तमाम जिस्म कोढ़ से फटा हुआ है। वह कोढ़ के कारण सारे जिस्म को खुजला रहे हैं। क्या ऐसे अधिकारी को इस विधान सभा में रहने का आदेश आपने दिया है और क्या उसका यहां उपस्थित रहना ठीक है? उसको छूत की बीमारी है। उसको यहां से हटा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी इन्क्वायरी होगी और अगर कोई ऐसा आफिसर है तो वह यहां नहीं रहेगा।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

जिसको छूत का रोग है वह यहां रह नहीं सकता। किसने उसको यहां आने की इजाजत दी?

श्री उपाध्यक्ष—

बिना जाने हुये कैसे कहा जा सकता है कि उनको कैसे इजाजत हो गयी। एनक्वायरी करने के बाद ही कार्यवाही होगी।

श्री बसन्तसिंह—

वह यहां बैठा खुजला रहा है . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जहां तक मेरे विशेषाधिकार का प्रश्न है आप उसकी नोटिस ले लें। उनके नाम हैं श्री सुभाष मुकर्जी, श्री वाई० एम० सक्सेना।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिये।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय सदन ने ऐसे सज्जन के बारे में विचार किया है। जब माननीय सत्यनारायण पांडेय ने सदन में सूचना दी तो उनकी सूचना पर तुरन्त विचार किया गया। अब आप क्यों कहते हैं कि लिख कर सूचना दीजिये? इसके लिये क्या कोई नया नियम बनेगा?

श्री उपाध्यक्ष—

आप सूचना दे दीजिये तो कार्यवाही हो जायगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जब एक माननीय सदस्य यह कहता है कि एक पुलिस का अधिकारी उनको डंडे दिखाता है तो उसको आप हटा दीजिये, आप उसको क्यों नहीं यहां से हटाते हैं?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

हम इसकी इन्क्वायरी करेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

इसकी कौन इन्क्वायरी करेगा।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

आप तो जजों को गिरफ्तार करके लाने वाले हैं। क्या ये सरकार के रिश्तेदार हैं जो उनको यहां से नहीं हटाया जाता है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

एक आदमी बोलिये, सब नहीं।

(शोर)

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

माननीय उपाध्यक्ष, जो प्रश्न आपके सम्मुख पेश किया गया है उसके विषय में मेरा निवेदन यह है कि एक माननीय सदस्य ने सदन के यह कहा कि एक पुलिस का अधिकारी हम को डंडे दिखाता है और आप कहते हैं कि इन्क्वायरी होगी...

श्री उपाध्यक्ष---

आप ने कोढ़ के बारे में कहा तो मैंने कहा कि इन्क्वायरी होगी।

(व्यवधान)

श्री शारदाभक्तसिंह---

अगर एक माननीय सदस्य यह कहता है और प्रामाणिकता के साथ कहता है कि उसने डंडा दिखाया और आप उसके लिये इन्क्वायरी की बात कहते हैं तो क्या उससे उस सदस्य का अपमान नहीं है? इस तरह से काम नहीं चलेगा। जब आप सुनना नहीं चाहते हैं तो सदन का काम भी नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

जो शिकायत की गई है उसको मैं देख लूंगा।

श्री उग्रसेन---

जब सुचेता जी मिर्जापुर गई थीं तो यहां पर जजों को बांधकर लाने का प्रस्ताव पास कर लिया गया। अब क्या ये सुचेता जी के रिश्तेदार हैं जो उनको नहीं बाहर किया जाता है?

श्री उपाध्यक्ष---

उस आदमी के कोढ़ की बात कही गई। उसके लिये कहा गया कि इन्क्वायरी करने की व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

उस आदमी ने माननीय सुखलाल के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। आप बहाना करके इनकी हरकतों को तरजीह देते हैं इसी वजह से वह ऐसा व्यवहार करता है। आप अगर चाहें तो जनसंघ के सदस्य सदन में आयें ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

माननीय सदस्य बेकार उपाध्यक्ष जी से कहते हैं इनको तो कोई अधिकार ही नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप सदन के परिसर से उसको बाहर कर सकते हैं यह आपको अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

दो प्रश्न थे। एक तो यह कहा गया कि एक साहब को कोढ़ की बीमारी है। उसके बारे में मैंने कहा कि इन्क्वायरी करके व्यवस्था हो जायगी। दूसरे सवाल के बारे में मैंने यह नहीं कहा। (व्यवधान)

(शोर)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरी बात का अगर प्रमाण देखना हो तो उसके लिये डाक्टर को बुला लिया जाय और वह देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि डाक्टर आये और वह उसको देखे तो सदन की कार्यवाही चले। मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि आप लिख कर दे दीजिये तो उसकी इन्क्वायरी कर लेंगे। (शोर)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

आप को इतना अधिकार है कि उससे यह कह सकते हैं कि वह इस सदन के परिसर में नहीं आयेगा। जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं मैं उसकी बात कहता हूं और वह आप कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुनिये। अगर वह प्रिविलेज का सवाल है तो वह कमेटी को भेजा जा सकता है या फिर आप प्रस्ताव ले आइये।

श्री शारदाभक्तसिंह—

जिस इन्क्वायरी का आश्वासन मुख्य मंत्री जी ने दिया है वह तो होगी ही नहीं। वहां तो निश्चित अन्याय होगा हम लोगों के साथ। लेकिन सदन की सीमा के अन्दर क्या मुख्य मंत्री जी को अधिकार है कि जनसंघ दल के सदस्यों के साथ जैसा चाहे दुर्व्यवहार उनके अधिकारी कर सकते हैं? अगर करें तो दूसरी बात है। और इसीलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस विधान सभा की सीमा के अन्दर हमारे साथ अगर ऐसा कार्य हो रहा है तो उसके लिये आप हमें संरक्षण दें, उसके लिये मुख्य मंत्री जी की कृपा न चाहें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या विधान सभा ने इस अधिकारी को डयूटी पर बुलाया है? क्या आपने उसे काल किया है? अगर आपने उसे नहीं बुलाया है तो वह यहां क्यों है? क्या जरूरत है पुलिस को सदन के परिसर में आने की? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर बुलाया गया है तो उसके लिये यहां कोई सूचना नहीं है। सदन के सामने तो यह बात हुई नहीं है, सदन के बाहर हुई है... (व्यवधान) सब लोग एक साथ खड़े होकर अपनी बात न कहें।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—

यह प्रश्न अपनी जगह पर ठीक है। एक तो उन्होंने डंडा दिखाया और दूसरे उनको कुष्ट का रोग है। तो मान्यवर, वे सदस्य तो उन लोगों में से हैं कि जो वारन्ट पर दस्तखत करके जजों को यहां बुलाते हैं। मैं मख्य मंत्री और दूसरे सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे जरूर इनका साथ दें अगर उनका साथ न दिया तो नहीं मालूम कि हम लोगों की क्या दशा होगी

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, इसमें सीधा चार्ज एक पुलिस अधिकारी पर कुष्ट का रोगी होने का लगाया गया है। तो आप इसके लिये आदेश दे दें कि नेता विरोधी दल और मुख्य मंत्री जी जाकर उस अधिकारी को यहां उपस्थित कर दें और देख लिया जाय कि उसका कुष्ट रोग घातक है अथवा नहीं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्रात्मक राज्य में हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। हमारे जनसंघ दल के सदस्य यदि बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और उसने यहां के सदस्यों को डंडा दिखाया, जैसा कि मुकर्जी महोदय ने दिखाया है, ठीक नहीं है और इसके लिये कार्यवाही होनी चाहिये और सदन में हमारे मुख्य मंत्री को आश्वासन देना चाहिए कि इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर यह जारी रहा तो लोकतंत्र की शृङ्खलाएं टूट जायंगी।

श्री उग्रसेन—

विधान सभा की कार्यवाही स्थगित कर दीजिये, राष्ट्रपति को लिख दीजिये कि दूसरा चुनाव हो, यहां का वर्तमान मंत्रिमंडल सरकार चला नहीं सकता। आप लोग यह शासन नहीं चला सकते।

श्री शारदाभक्तसिंह—

हम चाहते थे कि कोई रास्ता निकले, लेकिन मुख्य मंत्री कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं, कोई सुनने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

दो प्रश्न उठाये गये, एक पुलिस का आदमी है, उसको कहा गया कि यह कुष्ट का रोगी है..

श्री उग्रसेन—

यह नाटक समाप्त कीजिये। दशहरे की रामलीला में रावण जल गया।

श्री उपाध्यक्ष—

दो प्रश्न हमारे सामने आये। एक को कुष्ट का रोगी बताया गया कि उसको फौरन निकाल दीजिये। मैंने कहा कि उसकी जांच करके व्यवस्था हो जायगी। कुष्ट के बारे में न मैं कह सकता हूं और न दूसरा। जब तक डाक्टरी जांच नहीं हो जायगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर रोग होगा तो नहीं आयेंगे। दूसरा डंडा दिखाने की बात...

श्री उग्रसेन—

यह अवमान सदन के समक्ष हुआ है या सदन के बाहर ?

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक मेरा विचार है सदन के समक्ष डंडा नहीं दिखाया..

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

परिसर.... (व्यवधान और शोर)

श्री उग्रसेन—

जब हमको यहां से निकालते हैं तो ये मित्तल साहब, आपके सेक्रेटरी हमको हमारे आफिस में भी नहीं आने देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये, आप तो अनुशासन मानिये। आप कोई अनुशासन नहीं मानना चाहते। आफिसर यहां नहीं आ सकता और न आया है।

अनेक सदस्य—

झूठ है, झूठ है। आया है।

श्री दीपनारायणसिंह—

आपके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, माननीय टम्बेश्वर प्रसाद ने कह दिया कि आप झूठ बोलते हैं?

श्री उग्रसेन—

सदन की कार्यवाही बन्द की जाय।

(घोर शोर के बीच)

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन्, आपके लिये माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने यह कहा कि आप झूठ बोलते हैं। अगर यह सही है तो आप कुर्सी छोड़ें, नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन लें (व्यवधान)

श्री शारदाभक्तसिंह—

इस तरह से यह सदन नहीं चल सकेगा (व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह—

आप पहले मेरे सवाल का उत्तर दें .....

श्री उपाध्यक्ष—

इतने आदमी एक साथ बोलते हैं, इस तरह से शोर मचाने से कुछ फायदा नहीं .....

श्री उग्रसेन—

यह सदन संविधान भंगी है..... संविधान की अवहेलना की है..... जजों के खिलाफ कार्यवाही की है..... (व्यवधान)

श्री हरीशकुमार मंगवार—

मैंने प्रश्न उठाया था.....

श्री उपाध्यक्ष—

सदन में बहुत शोर हो रहा है, इसलिये १० मिनट के लिये सदन स्थगित किया जाता है।

(इस समय ३ बजकर ३५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ३ बजकर ४५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे एक नम्र निवेदन करना है । मैं चाहता हूं कि सब काम शान्ति से हो और किसी प्रकार की उत्तेजना न हो । दो प्रश्न उठाये गये थे । कोढ़ी वाली बात के लिये मैंने कह दिया कि जांच कर के उसकी व्यवस्था कर दी जायगी । दूसरी बात के बारे में मैंने जानकारी कर ली है कि वह कान्स्टेबिल जिसके बारे में .....

अनेक सदस्य---

वह कान्स्टेबिल नहीं था ।

श्री उपाध्यक्ष---

अच्छा तो वह कोई पुलिस अधिकारी था । वह सदन में हरगिज नहीं आया, परिसर में आया हो, मैं जानता नहीं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

श्रीमन्, गंगवार जी नीचे दूसरी मंजिल पर आ रहे थे जो सदन के परिसर में है, जहां मिस्टर मुखर्जी ने उनको डंडा दिखाया । उनसे आप स्वयं पूछ लीजिये कि उनके साथ क्या घटना हुई । क्या सदन के परिसर में इस प्रकार की घटना होना, सदन का अपमान नहीं है ? इसके अतिरिक्त सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा, स्त्रियों के साथ पुलिस ने मिस-बिहेव किया है । क्या स्त्रियों को हाथ पैर पकड़ कर फेंकना सद्व्यवहार माना जाय माननीय मुख्य मंत्री जी बता दें ....।

*श्री दीपनारायणसिंह---

श्रीमन्, मैंने व्यवस्था का प्रश्न १० मिनट पहले उठाया था । कान्स्टीट्यूशन और अपनी नियमावली के अनुसार अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है तो अध्यक्ष को उस पर व्यवस्था देनी चाहिये । एसेम्बली एडजर्न होने के पहले माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने आपको कहा कि आप झूठ बोलने वाले हैं । उसका अर्थ यह हुआ कि आप जो इस सदन की चेअर को आक्यूपाई करते हैं, ऐसी हस्ती अगर झूठ बोलने वाली है तो यह सदन उसको बरदाश्त नहीं कर सकता । या तो आप इस कथन को एक्सेप्ट कर लीजिये या उन्होंने अगर गलत कहा है तो उन्होंने सदन का अपमान किया है । उनके खिलाफ ऐक्शन होना चाहिये । इस सदन ने तो अपनी इज्जत के लिये २ जजेज बुलाने का आदेश दिया है । इसके लिये आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि श्री मुखर्जी सदन के परिसर में आये और उस वक्त उपस्थित थे । सारी बात उस वक्त परिसर के बारे में ही हो रही थी लेकिन आपने कहा कि नहीं आये ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने सदन के लिये कहा था ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैंने परिसर के लिये कहा था ।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, तो बात खत्म हुई ।
(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं आपसे एक बात यह कह रहा था कि मुझे बाद में पता लगा है कि उन दो आफिसरों में से एक का नाम श्री सुभाष मुकर्जी हैं जो लम्बे और गोरे से हैं, वे एडीशनल एस० पी० हैं और दूसरे श्री वी० एम० सक्सेना, डी० वाई० एस० पी०, हैं जिनको लोग कोतवाल कह रहे थे, वे उनके साथ चल रहे थे । इनमें से श्री सुभाष मुकर्जी जो लम्बे और गोरे से थे, उनके तमाम जिस्म पर फोड़े फुन्सी व कुष्ठ विराजमान थे । तो मैंने कहा कि क्या ऐसा व्यक्ति इस विधान भवन के अन्दर आ सकता है । इस पर मैंने आपको व्यवस्था देने की बात कही थी । आपने कहा कि वे विधान सभा में नहीं आये । लेकिन मेरा कहना है कि वे विधान भवन के अन्दर आये, मैं उनके साथ नीचे रहा और शायद अभी भी वे नीचे मौजूद होंगे ।

दूसरी बात यह है कि जब मैंने उनसे नाम पूछे तो उन्होंने मुझे डंडा दिखलाया और मुझे डांटा भी तथा इस तरह से दांत भी पीसा । तीसरी बात यह कि जहां तक विशेषाधिकार के नोटिस देने की बात है, आपको मैंने उसका नोटिस दे दिया है और अब लिख कर भी दे दूंगा ।

चौथी बात यह है कि ये दोनों पुलिस आफिसर, एडीशनल एस० पी० व डी० वाई० एस० पी० बिना इजाजत के विधान भवन के अन्दर कैसे आये और कौन सी ड्यूटी के लिये आये । इस पर आपकी व्यवस्था देने के लिये ये बातें मैंने आपके सामने रखीं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक आपने इन दोनों आफिसरों के आने की बात कही, इसकी मैं इन्क्वायरी की व्यवस्था कर रहा हूं और अगर सम्बन्धित आफिसर को कोढ़ होगा तो वे नहीं आयेंगे ।

दूसरी बात यह कि ब्रीच आफ प्रिविलेज का नियम यह है कि अगर कोई चीज एक्चुअल ब्रीच आफ दि हाउस हो तो कोई जरूरत नहीं होगी इन्क्वायरी की, अदरवाइज उसे रेफर किया जायगा और रेफर करने के बाद उसकी इन्क्वायरी होगी और इन्क्वायरी के बाद उसकी जो रिपोर्ट होगी वह हाउस में पेश होगी और हाउस उस के बारे में तय करेगा । चूंकि हाउस के अन्दर यह चीज नहीं हुई इसलिये उसे ऐक्चुअल ब्रीच आफ दि हाउस होना नहीं कह सकते । विशेषाधिकार का नोटिस आपने दे दिया है, उसे लिख कर और दे देंगे । उसके ऊपर कार्यवाही की जायगी ।

श्री दीपनारायणसिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं । (व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त—

श्रीमन्, आपसे मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आपने जो हाउस शब्द का प्रयोग किया, उससे आपका क्या अर्थ है ? क्या आपका मतलब इस सदन तथा पूरी चहारदीवारी से है, या क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा मतलब सदन से है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

केवल इसके कमरे से मतलब है या इसके परिसर से भी है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन जहां कि हम बैठते हैं । यहां अगर कोई चीज हो जाय तो उसे ऐक्चुअल ब्यू आफ दी हाउस होना कहते हैं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

इसमें तो ऊपर की स्टोरी व गैलरी आदि सभी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

परिसर में लाइब्रेरी वगैरह सभी शामिल हैं । लेकिन हाउस वह है जहां सब मेम्बर्स बैठते हैं, मेरा मतलब इस मंडप से है जिसके नीचे सभी सदस्य बैठे हैं । ऐक्चुअल ब्यू आफ दि हाउस उसे कहेंगे जब कि यहां कोई चीज हो जाय । जहां तक विशेषाधिकार के प्रश्न की बात है, उसे आप लिख कर देदेंगे तो उसकी इनक्वायरी होगी ।

श्री दीपनारायणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ जो व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा था उसकी सफाई आपके मुखारबिन्द से चाहता हूं । आप हमारी इज्जत के मूर्त रूप हैं और आपको झूठ बोलने वाला कहा गया है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

उस वक्त कुछ कहा होगा तो.....

श्री दीपनारायणसिंह—

कहा होगा का सवाल नहीं है, क्या आप कहते हैं कि ऐसा नहीं कहा गया ..... (व्यवधान)

[* * *]

इसलिये मैं सदन से वाक आउट करता हूं ।

(श्री दीपनारायणसिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री यादवेन्द्रदत्त—

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब भूमिकर और लगान के बारे में यहां विचार चल रहा था तो माननीय अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था दी थी कि सदन के चारों ओर एक मील की दूरी तक सदन का परिसर माना जायगा और आपने आज दूसरी व्यवस्था दे दी । तो दोनों में से कौन सी व्यवस्था ठीक है ? इन दोनों में तो विरोधाभास है ।

श्री उग्रसेन—

आप सफाई से बतायें कि यहां यह नाटक ही होता रहेगा या अनुदान पर भी विचार होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

सुनिये, अब कारागार के अनुदान पर विचार होगा ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि करीब-करीब दस हजार रुपया प्रति दिन इस सदन पर व्यय होता है और जो रुपया सरकार का न होकर, किसी दल का न होकर, जनता का पैसा है । तो मैं

[* * *] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार हटा दिया गया ।

[श्री लखपतराम शर्मा]

आप की व्यवस्था चाहता हूं कि जब कोई माननीय सदस्य किसी विषय से सम्बन्धित शिकायत किया करें तो उस समय यदि मुख्य मंत्री सदन में रहती हैं तो उन का निर्णय उसी समय वह सुन लिया करें, इससे सदन का काफी समय बच जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

आप मुख्य मंत्री जी से पूछ कर उसी समय निर्णय करा दिया करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—
अनुदान संख्या १३—कारागार—(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री कल्पनाथ सिंह का यह आखिरी भाषण होगा । वह जल्दी समाप्त करें ।

*श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सत्य नारायण पांडेय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह एक ऐसा अनुदान है जिस पर बहुत से माननीय सदस्यों को बहस में हिस्सा लेने की जरूरत महसूस होती होगी । जो लोग जेल में बन्द होते हैं उनके जीवन की सारी जिम्मेदारी जेल में बन्द करने वाले लोगों की हो जाती है । (व्यवधान) श्रीमन्, हल्ला इतना हो रहा है, क्या-क्या बोलें ?

श्री उपाध्यक्ष—

जरा शान्त रहें ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

यह जेलर, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर और क्रिमिनल्स में से जो अफसर बनाये जाते हैं और उनके वा व एण्ड वार्ड का जो रिश्ता है उसकी ओर ध्यान सरकार दे । पुलिस और जेल के सिपाहियों में कोई विशेष ड्यूटी के सम्बन्ध में अन्तर नहीं है, उनकी ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन एकसा हैं । लेकिन अन्तर है उनकी तनख्वाहों में, अन्तर है उनके रहन सहन के स्तर में और जब जेल का सिपाही देखता है कि पुलिसवाला नाजायज पैसा पैदा करता है तो वह भी कोशिश करता है; चाहे उसमें से हिस्सा जेलर, डिप्टी जेलर आदि को चला जाय तब भी मिलाई का पैसा जरूर मिलना चाहिये । मंत्री जी इसकी जांच करा लें और जो यह मिलाई का पैसा लिया जाता है इस दस्तूर को खत्म करायें, पर्सनल जानकारी करा के । अगर ऐसा करेंगे तो जेल में रहने वाले कैदियों के साथ और अभिभावकों के साथ न्याय होगा ।

दूसरी तरफ जेल में रहने वाले लोगों का राशन कट जाता है । मुझे रहने का मौका मिला है; रात भर तसला बजाते बजाते नींद हराम हो जाती थी क्योंकि पेट नहीं भरता था । सारा राशन खा जायं अधिकारी, आज भी सबजी की लूट की जाती है, सारे गोडाउन्स में यकायक चेकिंग करा दी जाय तो पता लगेगा कितनी स्टाक की कमी है । इस समय स्टाक कम रखा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

जायगा,जब स्टोर किया जायगा। और जब सावन भादोंमें गल्ला मोयस्चर हो जायगा उसका भरोसा किया जायगा। और अगर कम हो गया तो कैदियों के राशन से कटौती होती है। जो फैक्टरीज हैं उनसे कम दाम पर अच्छा सामान अफसरों के घर जाता है और अच्छे दाम का इनफीरियर सामान बाजारों में भेजा जाता है। हां, कुछ नुमाइश के लिये दूसरे तरह के सामान रखे हुये हैं जो उचित कीमत वाले होते हैं। तो नुमाइशी काम बन्द करके अफसरों का अगर भ्रष्टाचार बन्द करना है तो मंत्री जी को इन त्रुटियों की तरफ ध्यान देना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जेल में जो लोग जाते हैं उनको सरकार यह भी चाहती है कि वे सुधरें। सरकार चाहती है कुछ दस्तकारी सीख लें। लेकिन ऐसा होता नहीं। वहां क्या होता है कि लोगों को अपनी इच्छा के मुताबिक सीखने का कोई धंधा नहीं है। गोरखपुर जेल में मैंने मुआयना किया तो देखा कि अम्बर चरखा चल रहा है। क्या इसको जेल से निकला हुआ नौजवान बाहर चलायेगा? जब गांधी जी के चेले नहीं चलाते हैं तो वह क्या चलायेगा? वहां आप मजबूरी में उससे चाहे कुछ करा लें, चाहे पानी भरवायें, चाहे झाड़ू लगवायें और चाहे रस्सी बटवायें। वे हुनर जो कुछ वहां सीखेंगे वह वहीं का वहीं रह जायगा। आप, लोगों की इच्छा के मुताबिक, उनको जेल से निकलने के बाद सहायता देकर क्रिमिनल माइंडेड होने से बचाइये।

अगर वार्डरों की तनख्वाह न बढ़ी तो चाहे एक नहीं एक लाख बार कोशिश कीजिये, यह सरकार जेल के भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकती है। श्रीमन्, मैं यह भी सरकार को बताना चाहता हूं कि ६ बजे शाम को उनकी जेलें बन्द होती हैं और आखिरी वक्त पर वार्डर जाते हैं और फिर वे निकलते हैं सुबह ६ बजे। १२ घंटे की कैद उस को क्यों दी जाती है? ड्यूटी के सिलसिले में १८-१८ घंटे तक की ड्यूटी हो जाती है उन वार्डर्स की। वे ठीक उसी प्रकार के क्रिमिनल हो जाते हैं जैसे दूसरे लोग। मैं माननीय मंत्री और इस सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विवेक–शून्य अधिकारी हो जाते हैं उसी प्रकार से इस सरकार को भी नहीं होना चाहिये। इस सरकार को ऊंचे दिल से विचार करना चाहिये और सोच विचार करके जेलों में जो सुधार की अपेक्षा है, उनमें सुधार करने चाहियें। जो हमारी आउट आफ डेट जेल मैनुअल है उसको मंत्रीजी की रद्दी की टोकरी में फेंक दें। जेल मैनुअल कितने लोग जानते हैं? सरकार को चाहिये कि जेल मैनुअल के संबंधित उद्धरणों को छपवाकर कैदियों के सूचनार्थ जेल की बैरकों में टंगवा दिये जायं जिससे कैदी भी समझ लें कि उनके क्या-क्या अधिकार हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा ऐसी नहीं कि जेलों में सुधार हो।

श्री उग्रसेन––

जितना समय जेल ग्रान्ट के लिये था, उसमें समय बाकी है। तो अगर बोलने का मौका दिया जाय तो आपको क्या एतराज होगा?

श्री उपाध्यक्ष––

२ १/२ घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। १५–१६ मिनट हल्ले गुल्ले में भी चला जाय तो भी नहीं हो सकता।

श्री सत्यनारायण पांडेय––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव है उस पर जो बहस हुई है उस पर मुझे बहुत कुछ उत्तर नहीं देना है क्योंकि जो बातें मैंने कहीं थीं, उनका समर्थन सभी ने किया है। श्रीपत जी ने यह बात कही कि जेल में ऐसा लगना चाहिये कि जेल नरक बनी रहे। समाजवादी विचार के लोग अगर ऐसी बात करते हैं या कांग्रेस में इस विचारधारा के लोग हैं तो मुझे उन पर दया ही आती है। और जो हमारे साथियों ने बात कही है उसको दोहराने से लाभ नहीं होगा।

[श्री सत्यनारायण पाण्डेय]

एक बाल सुधार जेल, लखनऊ, की बात आयी है । उस पर ८० हजार रुपये व्यय किये जायेंगे, पर उसमें केवल ३० बाल कैदी हैं । मेरा अनुरोध है कि इस बाल सुधार जेल को तोड़ कर किशोर सदन बरेली में मर्ज कर दें तो अच्छा होगा ।

श्री उग्रसेन—

कल अध्यक्ष पर अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर दें, यह हमने तय कर दिया है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

यह बात सही है कि लोगों को रोटियां नहीं मिलती हैं । इसीलिये सरकार ने कुछ जेलों में यह कहा है कि वहां भरपेट रोटी मिलेगी । उत्तर प्रदेश की ४, ५ जेलें ऐसी हैं जहां प्रयोगात्मक रूप में यह निर्णय लिया गया है कि उनको पूरी रोटी मिलेगी । लेकिन माननीय मंत्री इसके साथ दाल, साग तथा ईंधन भी बढ़ावें जो बहुत कम मिलती हैं, तभी इसका फायदा हो सकेगा । पोलीटिकल कैदियों को हमेशा सुपीरियर क्लास दिया जाय और उनके साथ उच्चतर व्यवहार होना चाहिये ।

डिस्ट्रिक्ट प्रिजनर्स एन्ड सोसाइटी है वह डिफंक्ट हैं । इलाहाबाद में कुछ जमीन इस सोसाइटी को दी गयी थी लेकिन उसे लोगों ने हड़प लिया है । उन्हें सक्रिय बनाइये धार्मिक शिक्षा के लिये पेड आदमियों को रखिये जो कैदियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर सकें और उनको नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकें । जेल विजिटर्स पार्टी के लोगों के स्थान पर मनोवैज्ञानिक, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को बनाइये । दूसरे लोग बीच में दलाली करते हैं । आप १ महीने में ४ दिन का रेमिशन देते हैं कैदियों को । मेरा निवेदन है कि एक महीने में उनको रेमिशन एक हफ्ते का दिया जाय ताकि वे ज्यादा सदाचारी बन सकें । बांकेलाल जो जेल गये तो उनको सी क्लास में रखा गया । असेम्बली में प्रश्न आया तो शिवप्रसाद जी ने उत्तर दिया उस समय मैजिस्ट्रेट नहीं थे और मैजिस्ट्रेट ही क्लासिफिकेशन तय कर सकते थे । मैं तो जेल मैनुअल के अनुसार आपको बतलाना चाहता हूं कि अवोक्षक के लिये पहले से प्राविजन है और मंत्री महोदय ने उस दिन उसे छिपाया । और वह उस पर विचार करें जो उनके कर्मचारियों ने उन्हें बताया । जेल मैनुअल प्रावीजनल क्लासिफिकेशन आई सुपरिटेंडेंट दिया है । वह इस प्रकार है —

Provisional classification by Superintendent.

"In the absence of an order by the convicting court regarding the classification of a prisoner, in so far as the court is concerned, the Superintendent shall make a reference to the court concerned and shall classify the prisoner himself pending the result of such reference.."

जब तक निर्णय न हो जाय प्रावीजनल क्लासीफिकेशन का उन्हें तब तक अधिकार है कि वह कैदी को जिस क्लास में चाहे रख लें । लेकिन यह सुविधा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य तक को नहीं दी गयी ।

इसके अतिरिक्त यह है कि जेल अधिकारियों को शिकायत कैदी किस तरह से आप तक पहुंचायें । अगर वह लिखकर देते हैं तो उनकी तनहाई और डंडा बेड़ी है । मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने जिले के जेल का निरीक्षण महीने में एक आध बार किया करें जिससे कैदी लोग अपनी बात आपको बात सकें और फिर सरकार के कानों तक वे बातें पहुंच सकें । कैदियों में गंदगी बहुत रहती है । सज्जी की जगह साबुन देना शुरू किया है लेकिन इतना कम दिया जाता है कि महीने में एक बार भी वे कपड़े साफ नहीं कर पाते हैं । आप मिश्रा जी को थ्योरी को न अपनायें । कारागार किसी देश की सभ्यता का दर्पण है । अगर किसी देश को सभ्यता जानना है तो उसके कारागार देखें जायं । इसलिये नवीनतम थ्योरी को काम में लाइये और राजबंदियों के लिये उच्च क्लास की व्यवस्था की जाय । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे कैदियों की दशा सुधारने का प्रयत्न करें ।

[स्वायत्त शासन मन्त्री श्री चतुर्भुज शर्मा—]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का और खासकर पांडेय जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बातें कहीं हैं । जहाँ तक जेल के सुधार का ताल्लुक है, जो सुझाव आये हैं उन पर विचार ही नहीं किया जायगा बल्कि जो अमल में लाने के लायक होंगे उन पर अमल किया जायगा । यहां पर दो तरह की बातें आईं । एक तो आम तौर पर जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि दो चीजें हैं, एक तो भ्रष्टाचार और दूसरे राजनीतिक कैदियों की बात। मैं या कोई मंत्री भी इस बात का दावा नहीं करेगा कि उसके विभाग में कोई भ्रष्टाचार नहीं है । एक दलील उन्होंने दी थी कि यह चीज ऐसी हैं कि जेल समाज से अलग रहते हैं और आप चाहें तो वहां दुनिया बना सकते हैं । दलील अपनी जगह पर ठीक है । लेकिन माननीय नेता विरोधी दल इस बात को तस्लीम करेंगे कि वहां जो दुनिया अलग है वह ऐसे लोगों की नहीं है जिनमें भ्रष्टाचार न हो। वह तो इत्तफाक से समाज के ऐसे लोग हैं जो किन्हीं परिस्थितियोंवश या जैसे हो, जिनके लिये कहा जा सकता है कि उनका चरित्र ऊंचे दरजे का नहीं है । जो हमारे समाज की हालत है उसको हमें बराबर देखना होगा । जो लोग दंडित होते हैं उनका आचरण समाज के लिये बहुत महत्व का सवाल है । उससे ज्यादा महत्व का सवाल यह है कि हमारे समाज में कौन से ऐसे तत्व बढ़ रहे हैं जिनके कारण हमारे यहां जुर्म बढ़ रहे हैं । मैं कुछ आंकड़े उत्तर प्रदेश के दे रहा हूं । मुझे अफसोस हुआ उनको देख कर और माननीय सदस्यों को भी होगा । माननीय विरोधी दल ने कहा कि गरीबी के कारण लोग जेल जाते हैं । लेकिन चोरी वगैरह की ज्यादा संख्या नहीं बढ़ी है । जो हीनस क्राइम्स हैं, डकैती, मर्डर, राबरी, इनकी संख्या ज्यादा बढ़ी हैं। १९३९ में इनकी संख्या ३ हजार ८५४ थी, १९५१ में ६ हजार ८९८ और १९६१ में ८ हजार २२२ । १९३९ से १९६१ तक करीब दूने से ज्यादा हीनस क्राइम्स बढ़े हैं, गरीबी के कारण नहीं । मर्डर डकैती यह क्राइम्स बढ़े हैं । समाज का यह दर्पण है । चोरियों को फीगर्स में नहीं देना चाहता । उनमें पांच या दस परसेंट का इधर उधर फर्क पड़ा है । बड़े-बड़े क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। यह सही बात है कि दंडित लोगों को सुधारने की बात करनी है ताकि वह जुर्म न करें । इस तरह की मनोवृत्ति पैदा करनी है लेकिन जिन लोगों के ऊपर जुर्म होते हैं, जिनके आदमी मारे जाते हैं, जिन पर डकैतियां होती हैं, वह समाज के अच्छे अंग हैं। उनकी ओर भी ध्यान रखना पड़ेगा । हमारा दृष्टिकोण दंड देने का नहीं है, उनको सुधारने का है। उसी नीति के अनुसार काम कर रहे हैं । हमारे यहां जो ओपिन जेल्स की स्कीम चली है, आपको भी गर्व होना चाहिये, वह हिन्दुस्तान में ही नहीं, बाहर के लोगों ने भी उसकी तारीफ की है । वह इस बात का सबूत है कि हमने ओपेन जेल्स की जो योजना बनायी है जो इस आधार पर बनी है कि मनुष्य स्वभाव पर विश्वास करो, जुर्म करने वाला भी आखिर आदमी है, वह अपने ढंग की एक चीज है। अभी हाल में दिसम्बर, १९६३ में मिस्टर ए० डब्ल्यू० पीटरसन, चेयरमैन, प्रिजन्स डिपार्टमेंट, होम आफिस, यू० के० पधारे थे । उन्होंने कैम्स, सेंट्रल प्रिजन आगरा और जुवेनाइल जेल, बरेली देखा ।

He immensely appreciated the work of carpet factory in Central Prison, Agra, and the educational arrangements made at the above institutions. यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह कहा गया कि इंडस्ट्री में सब वेस्ट हो रहा है। हो सकता है कहीं पर वेस्ट हो रहा हो लेकिन आगरे के कारपेट इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने यह कहा। सम्पूर्णानन्द जेल सितारगंज के बारे में उन्होंने कहा—

"I am very glad that I had the opportunity of visiting this remarkable institution in the early stages of its development. This camp is in my experience unique in its size and the remarkable freedom and responsibility which is entrusted to the inmates. As a result, the general atmosphere is very good and I am sure that these methods will bear valuable results the rehabilitation of inmates.

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसका हिन्दी अनुवाद करदूं, वरना वह समझ तो गये ही होंगे। (व्यवधान)। इसी तरह श्री वी० एन० पिल्लै यूनाइटेड नेशनल सीनियर ऐडवाइजर आन सोशल डिफेंस ने यह रिमार्क किये थे--

"The Superintendent (Sampurnanand Agricultural-cum-Industrial Camp, Sitarganj, Naini Tal) and staff are to be congratulated on their efforts in organizing and operating an institution of this size and effectiveness. The attitude of both the staff and the inmates, impressed me as being constructive and forward looking. Its close and practical integration with the agricultural economy of the country is one of the most important aspects of the correctional work that is being done here. I have no hesitation in saying that this is the type of institution which the centre of corrections looks forward to not only in India but also in the Asian region."

इस तरह से उन्होंने तारीफ की है।

एक चीज यह कही गयी कि जेलों का सुधार करने की बात तो कही जाती है और हैबिचुअल क्रिमिनल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। यह बात सही है कि यह एक मापदंड उसका है। लेकिन जो आंकड़े मेरे पास हैं उन्हें आप देखें तो उल्टी तस्वीर है। हीनियस क्राइम्स, जैसा मैंने कहा वह तो बढ़े हैं, उसके लिये जिम्मेदार सोसाइटी है। लेकिन जेलों में जो काम हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप हैबिचुअल प्रिजनर्स की तादाद कम हुई है। वह इस प्रकार है कि ४० में १५ प्रतिशत लोग दोबारा तिबारा आते थे। सन् ६० में उनका प्रतिशत १०.६४ हो गया और ६१ में वह और भी कम हो गया, ३.०९ या सर्थिंग लाइक दैट। तो जहां तक जेलों में दोबारा और तिबारा लोगों के जाने का सवाल है और उनके सुधार का सवाल है उसमें यह हालत है जो मैंने अर्ज की।

अब मैं एक चीज माननीय विरोधी दल के नेता से अर्ज करना चाहता हूं और सब विरोधी दलों के सदस्यों और नेताओं से बाअदब कहना चाहता हूं कि यह कोई बड़े गर्व की बात नहीं होनी चाहिये जैसे कि अभी बार-बार कहा गया कि आज हम जेल जाते हैं, कल को आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। मैं आप से यह कहूं कि मुझे जब जेल जाना पड़ेगा तो मैं उसे शर्म की बात मानूंगा गर्व की बात नहीं मानूंगा। इसलिये शर्म मानूंगा कि प्रजातंत्र में हमें जनता को समझाने की जरूरत है, हमारी जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वह गलत कामों को न समझे, तो हम तो जनता को समझाने की कोशिश करेंगे जो कि डेमोक्रेटिक तरीका है और उसके बजाय कोई अनडेमोक्रेटिक तरीका नहीं लाने देंगे। राजनीतिक बन्दी को कोई नहीं मानता, मैं कभी नहीं मानता कि वह क्रिमिनल्स है, उनकी कोई दूषित मनोवृत्ति है। लेकिन यह मैं मानता हूं और मैं प्रार्थना करूंगा कि पद्धति को चाहे वह हमारे पुराने ट्रेडीशंस के ही कारण हो, पुरानी हिस्ट्री के ही कारण, राजनीतिक काम के लिये जेल जाना एक अच्छी चीज मानी जाती है, लेकिन हमें उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि वाकई में क्या जेल जाना प्रजातंत्र में कोई गर्व की बात है। और राजनीतिक बन्दियों के साथ सद्व्यवहार हो यह हम भी चाहते हैं। हम जेल गये हों या न गये हों, लेकिन एक साधारण राजनीतिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले हर व्यक्ति का यह फर्ज हो जाता है कि अगर कोई आदमी अपने से विरोध विचार रखता हो, तो उसका सम्मान वह अपने अनुसार करे, तभी यह चीज चल सकती है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि आज राजनीतिक कारणों से आप जेलें भर दें यह क्या कोई कांस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होगा? (व्यवधान)। आपने मांग की कि सब राजनीतिक बन्दियों को सुपीरियर क्लास दे दिया जाय। मैं तो यह चाहता हूं कि अगर सुपीरियर क्लास से ऊपर कोई क्लास हो तो वह उनको दी जाय लेकिन आप इस बात पर भी सोचें, विचार करें ..... (व्यवधान) आप यह बात सोचें कि एक मामूली कैदी पर ६२ नये पैसे खर्च होता है और एक सुपीरियर क्लास के कैदी पर २ रुपये ९९ पैसे खर्च होते हैं। जो राजनीतिक बन्दी आज जाता है वह अगर पढ़ा लिखा और स्टेटस का होता है तो वह सुपीरियर

क्लास में रखा जाता है। आप क्या यह चाहते हैं कि जो हमारे बजट हैं जो कि आप पास कर रहे हैं, इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाय, कि वह सारा का सारा पैसा इन्हीं पर खर्च हो जाय ?

अगर सबको सुपीरियर क्लास में रख दिया जाय और जिस तरह से आज आन्दोलन चलते हैं तो क्या संभव है कि इस बजट में हम ३ रुपये फी आदमी खर्च कर सकेंगे ? फिर एक बात यह भी है कि जो सुविधायें हम राजनीतिक बन्दियों को देते हैं वह काफी है और अभी तक जो भी विजिटर्स गये हैं उन्होंने उसकी तारीफ की है। मेरी समझमें नहीं आता कि कैसे लोग कह देते हैं कि अंग्रेजों के जमाने की जो जेलें थीं आज ही जैसी थीं। हमने भी २०–२२, ३०, ३२ और ४२ की जेलें देखी हैं। कहां तक कहें, जाड़े में कैदियों को पाखाने पर बैठाला जाता था। आदमियत नहीं थी। उस जमाने में जो लोहे के तसले और कटोरियां थीं आज वह पीतल की हो गयी हैं। तो यह क्या सब परिवर्तन नहीं हैं ?

ड्रेस के लिये पांडेय जी ने कहा। हमने माडल जिला जेल में साधारण ड्रेस जो लोग पहनते हैं वह कर दिया है। हम विचार कर रहे हैं कि और जेलों में भी वही ड्रेस हो सके।

खाने की बाबत आपने कहा कि जहां रोटी बढ़ाई गई है वहां दाल को भी बढ़ाना चाहिये। हम विचार कर रहे हैं और बहुत शीघ्र हम आर्डर्स निकालेंगे कि दाल की मात्रा बढ़ाई जाय। सब्जी कम दी जाती है आपने कहा। सब्जी तो काफी दी जाती है। यह बात दूसरी है कि अच्छी सब्जी अच्छी तरह से पका दी जाय लेकिन सब्जी कम नहीं दी जाती। हां, दाल की मात्रा बढ़ाने के आर्डर्स जरूर जल्द निकलेंगे।

श्री सत्यनारायण पांडेय——

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सुपीरियर क्लास न रख कर मिडिल क्लास जिसमें १ रुपये डेढ रुपये का औसत आवे बना दिया जाय और उसमें राजनीतिक बन्दियों को रखा जाय, इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——

एक बात और कह कर अपनी बात खत्म करूंगा। भ्रष्टाचार की बात कही गयी है। मैं इसको छिपाना नहीं चाहता, यह सही बात है कि जैसा समाज में है वह भी भ्रष्टाचार है। उसको रोकने की कोशिश बराबर की जा रही है और की जायगी और जो सजेशन आप देंगे, यह नहीं है कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों की तरफ से सुझाव आयें तो उस पर काम न हो, अभी फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल के बारे में जनसंघ के सदस्य हैं उन्होंने लिख कर भेजा था हमने ऐक्शन लिया। सी० आई० डी० से एन्क्वायरी करायी। लोगों के ट्रांसफर्स किये। जो ऐक्शन हमने ६२–६३ में लिये हैं उनमें २२ आफिसर्स को हमने डिसमिस किया है, ३३ के स्केल्स रिड्यूस किये हैं और इसी तरह से सजायें दी हैं। यह बात नहीं कि हम रोकना नहीं चाहते हैं लेकिन वह है जैसा लोग कराते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह है, उसे खत्म होना चाहिये और अगर आप सबका सहयोग हो तो मुझे विश्वास है कि भ्रष्टाचार जरूर खत्म होगा और मैं सबसे ज्यादा कोशिश करूंगा कि मेरे पास जितने मुहकमें हैं उनमें सब में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं पांडेय जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री सत्यनारायण पांडेय——

एक निवेदन मुझे मंत्री जी से करना है कि आखिर उनको इसमें क्या कठिनाई है कि सभी राजनीतिक बन्दियों को चाहे वे सुपीरियर क्लास के हों और चाहे लोअर क्लास के हों सबको एक लाक में रहने देने में क्या कठिनाई है ? जो कुछ मिले उसको आपस में बांट कर खा लें, इसमें आपको क्या आपत्ति है ?

श्री उग्रसेन---

मैं इस तृतीय वाचन के अवसर पर एक मिनट बोलना चाहता हूं। इसलिये मुझे मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय नहीं है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३---कारागार के अन्तर्गत २,००,९९,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१११,

विपक्ष में---६१।)

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

यह आश्वासन दिया गया था कि साढ़े चार बजे वह प्रश्न लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय अध्यक्ष आते होंगे। तभी वह लिया जायगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, मैं एक सूचना चाहता हूं। सुबह माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि २० तारीख के निर्णय पर इस समय विचार किया जायगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय अध्यक्ष ने सदन में जिनको मुलजिम बनाया है उनके वारंट पर हस्ताक्षर कर दिये हैं या नहीं। दूसरे, क्या मार्शल को माननीय अध्यक्ष ने ६ घंटे बीत जाने पर मुलजिमों को तलाश करने के लिये भेजा या नहीं ?.....(व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष---

स्पीकर साहब यहां आ रहे हैं। वे आकर इसकी सूचना देंगे।

१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ३८--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८---सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान---के अन्तर्गत १,७७,२३,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

इस पर इस समय मुझे कुछ अर्ज नहीं करना है। जो माननीय सदस्य अपनी बात कह लेंगे उनके बाद मैं अपनी बात निवेदन करूंगा।

(व्यवधान)

श्री शारदाभक्तसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, कटौती का प्रस्ताव पेश करने से पहले क्या आप उस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं देंगे ? आपने आश्वासन दिया था और साढ़े चार बज गया है। मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जो अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है, उसके लिये वह आ रहे हैं। आप कटौती का प्रस्ताव पेश तो करें।

क्या आप नहीं मूव करना चाहते हैं ?

श्री शारदाभक्तसिंह—

मैं मूव करता हूं .....

श्री उग्रसेन—

इस पर एक दिन का विवाद है। अगर गुस्से में आप आयेंगे तो उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे, ऐसी संसदीय परम्परा में लिखा हुआ है।

श्री शारदाभक्तसिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय .....

श्री उग्रसेन—

व्यवस्था का प्रश्न है। एजेन्डा में जो अनुदान दी है उसमें हमने भी सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने कटौती के प्रस्ताव दिये थे, वह छपे ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तलाश करके बताया जायगा।

श्री शारदाभक्तसिंह—

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री ने जो मांग रखी है उसमें मुझे यह निवेदन करना है कि स्वायत्त शासन के अधीन नगरपालिका, ग्राम पालिका पालिक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ये सभी संस्थायें स्थानीय संस्थायें हैं। यह भी हमें पता है कि आज जो स्थानीय निकाय हैं वे वित्तीय शासन के अभाव में सरकार के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। इस सम्बन्ध में कई बार यह बात कही जा चुकी है और लोगों की राय भी रही है कि नगर-पालिकाओं का वित्तीय शासन बढ़ाया जाय।

सार्वजनिक रूप से कहा गया कि मकानों पर टैक्स लगाने का अधिकार होना चाहिये। आज हमारी स्थानीय निकायों ने जो अधिकार प्राप्त किये थे कि भूमि और भवन नगरपालिकाओं में जो थे ये उन पर टैक्स स्वयं लगायें, उससे अपने वित्तीय साधन बढ़ायें और जो शोचनीय दशा नगरपालिकाओं और महानगरपालिकाओं की हो रही है उस से वह निकलें, लेकिन सरकार ने इस सम्बन्ध में जो भूमि-भवन कर पास करके एक समस्या प्रान्त के सामने प्रस्तुत कर दी है उससे नगरपालिकाओं के अधिकारों पर सीधा कुठाराघात होता है। आज जो भूमि और भवन शहरों में हैं उन पर पहले से ही इनकम टैक्स आदि लगे हुये हैं वाटर टैक्स भी, जहां उसकी व्यवस्था है, लगे हुये हैं, फिर सरकार ने यह कर लगा कर उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया है।

श्रीमन्, जो निम्न वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोग हैं वे वैसे ही मंहगाई से पीड़ित हैं। अब और कर देने की उनमें क्षमता नहीं रह गई है। इस सम्बन्ध में आपको यह विदित है कि हमारी पार्टी ने प्रदेश भर में इसके विरोध में १८ तारीख से २२ तारीख तक सांकेतिक हड़ताल की है और प्रदेश की जनता का सहयोग प्राप्त हुआ है। जितने भी नगरपालिकाओं के केन्द्र हैं वहां

[श्री शारदाभक्तसिंह]

पर ५ दिन की भूख हड़ताल करके जनता के बीच, सार्वजनिक सभा में, भूमि तथा भवन कर के विरोध में प्रस्ताव भी पास हुये हैं। ५ दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल के बाद जैसा कि आपको विदित है, हम २२ तारीख को विधान सभा के सामने भूख हड़ताल करना चाहते थे। हमने निश्चय किया था कि इसके द्वारा हम जनता की मांगों को, निम्न तथा मध्यम वर्ग की मांगों को, सरकार के सामने रखें, उसके बहरे कानों तक पहुंचायें। लेकिन सरकार की तरफ से जिस प्रकार का बर्ताव हो रहा है उस को देख करके इस प्रदेश के नागरिक का सर लज्जा से झुक जाता है। हम लोगों की शान्ति पूर्वक भूख हड़ताल के लिये जिस प्रकार का रवैया इस सरकार ने अख्तियार किया है वह इस प्रदेश के लिये कलंक की बात है। भूमि एवं भवन कर के विरोध में हमने केवल सांकेतिक भूख हड़ताल की घोषणा की थी। इस सम्बन्ध में पूर्वान्चल जनसंघ के मंत्री नानाजी देशमुख ने माननीय मुख्य मंत्री को एक पत्र भी लिखा था और उन्होंने इस बात की प्रार्थना की थी कि उनको शान्ति पूर्वक इस हड़ताल को करने की अनुज्ञा दी जाय। इसके पूर्व भी पिछले दिनों में ऐसे कई प्रदर्शन भी हुये जिनको करने की सरकार ने आज्ञा दी। आज जबकि पंचमांगी अपने प्रदेश में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के जासूस भी हमारे प्रदेश में काम कर रहे हैं, चीन के समर्थक हमारे सर पर डटे हैं, ऐसी स्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इस सरकार का अजीब रवैया रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी को अपना प्रदर्शन करने की अनुज्ञा दे कर सरकार ने इस प्रदेश में एक विचित्र वातावरण पैदा कर दिया है। आपने एक राजनीतिक दल को एक प्रकार का समर्थन दे कर, उसे अपनी मांगें रखने की आज्ञा देकर, अभी कुछ दिन पहले इस बात का परिचय दिया है कि कांग्रेस आज एक ऐसे चक्कर में फंसती चली जा रही है कि जो राष्ट्र के लिये बड़ा घातक होगा। शान्ति प्रपन्न शर्मा जी को पता है कि मिल के कुछ लोगों ने, विद्यार्थियों ने, यहां आकर भूख हड़ताल की। हम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, नगरपालिकाओं के हित में भी हमने सरकार को पत्र लिखा और इस बात की सूचना दी कि हम शान्ति पूर्वक जनता के विरोध को मंत्रियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मुख्य मंत्री ने हमें आज्ञा देना तो अलग रहा, उस पत्र का उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं समझी। उत्तर प्रदेश की सरकार का एक विचित्र सा रवैया होता चला जा रहा है। सरकार कहा करती है कि हमें लिख कर कोई बात दी जाय, हम उस पर विचार करेंगे और उसके बाद आपको जवाब देंगे। आज जो विचित्र घटना हुई उसे देख कर ऐसा पता चलता है कि जो षडयंत्र इस प्रान्त में एक पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है उसकी सरकार शिकार होती जा रही है। कांग्रेस के भी कुछ लोग उस पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं और उनके द्वारा मिलीजुली बातें करके कम्युनिस्टों को समर्थन दे कर एक दूषित वातावरण यह सरकार बना रही है। हम समझते थे कि सरकार एक कड़ा कदम उठायेगी और राष्ट्र पोषक लोगों को एकत्रित करके एक मोर्चा बनावेगी। लेकिन आज पता यह चलता है—निर्दलीय लोगों को तो छोड़ दें—कम्युनिस्ट पार्टी को यह सरकार खुला मौका देती है, उन्हें इजाजत देती है, उन्हें भूख हड़तालों का प्रोत्साहन देती है, सरकार के सदस्य जा कर उनके पास बैठते हैं, यदि आवश्यकता हो तो कुछ मिनिस्टर हार भी पहना देते हैं ताकि भविष्य में हमको भी मुख्य मंत्री बनने का मौका मिल जाय, यह सारी स्थिति आज हमारे सामने हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अभी और बोलेंगे ?

श्री शारदाभक्तसिंह—

जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—

तो कल बोलिये।

नियम ३०१ के अन्तर्गत उठाये गये विषय के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं एक सूचना दे दूं। एक सवाल जो नेता विरोधी दल वगैरह ने उठाया था, अध्यक्ष जी ने उसके बारे में यह व्यवस्था दी है जो मैं पढ़ता हूं। आज जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर बहस करने के लिये समय मांगा था। उन्होंने लिखा है कि नियम ३०१ के अधीन जो प्रार्थना की गई है कि पत्रोल्लिखित विषय पर विवाद करने की अनुज्ञा दी जाय, स्वीकार नहीं की जा सकती। माननीय सदस्य केवल कोई विषय सदन की जानकारी के लिये सदन के समक्ष निवेदन कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जिस विषय का उल्लेख सूचना में किया गया है उसका उल्लेख वह सदन में कर चुके हैं। श्री हरीश कुमार गंगवार भी कर चुके हैं। अब उन बातों के अतिरिक्त कुछ कहना हो, तो अनुदानों पर मतदान होने के बाद माननीय सदस्य कह सकेंगे।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२३ मार्च, १९६४।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१३ पर)

१५०० मी० टन में से जिलों को प्रति मास दी गई अतिरिक्त मात्रा

१—कानपुर ..	..	५०	२८—बहराइच	..	२०
२—इलाहाबाद ..	..	५०	२९—बाराबंकी ..	..	२०
३—झांसी ..	..	३०	३०—बिजनौर ..	..	२०
४—लखनऊ ..	..	५०	३१—पीलीभीत ..	..	२०
५—बरेली ..	..	५०	३२—फतेहपुर ..	..	२०
६—वाराणसी	..	५०	३३—जालौन ..	..	२०
७—गोरखपुर ..	..	३०	३४—हमीरपुर ..	..	२०
८—मिर्जापुर ..	..	२०	३५—बांदा ..	..	२०
९—आगरा ..	..	५०	३६—गाजीपुर ..	..	२०
१०—सहारनपुर	..	५०	३७—बलिया ..	..	२०
११—मेरठ ..	..	५०	३८—देवरिया ..	..	२०
१२—देहरादून ..	..	५०	३९—नैनीताल ..	..	५०
१३—अलीगढ़ ..	..	३०	४०—अलमोड़ा ..	..	३०
१४—मथुरा ..	..	३०	४१—पिथौरागढ़ ..	..	२०
१५—मुरादाबाद ..	..	३०	४२—गढ़वाल ..	..	३०
१६—रामपुर ..	..	२०	४३—चमौली ..	..	२०
१७—शाहजहांपुर	..	२०	४४—टेहरी गढ़वाल	..	२०
१८—मुजफ्फरनगर	..	२०	४५—उत्तरकारी ..	..	२०
१९—बदायूं ..	..	२०	४६—उन्नाव ..	..	२०
२०—फर्रुखाबाद ..	..	२०	४७—राय बरेली ..	..	२०
२१—इटावा ..	..	२०	४८—हरदोई ..	..	२०
२२—जौनपुर ..	..	२०	४९—खेरी ..	..	२०
२३—सीतापुर ..	..	२०	५०—सुलतानपुर ..	..	२०
२४—फैजाबाद ..	..	३०	५१—प्रतापगढ़ ..	..	२०
२५—बस्ती ..	..	२०	५२—मैनपुरी ..	..	२०
२६—आजमगढ़ ..	..	२०	५३—एटा ..	..	२०
२७—गोंडा ..	..	२०			

क्रम-संख्या	मासिक/पाक्षिक एलाटमेन्ट	मात्रा
		टन
१	अगस्त ६३	२००
२	सितम्बर ६३	२३०
३	१-१०-६३ से २१-१०-६३	१३६
४	२२-१०-६३ से ३१-१०-६३	१३०
५	१-११-६३ से २१-११-६३	१००
६	२२-११-६३ से २२-१२-६३	११७
७	२३-१२-६३ से २२-१-६४	१६२
८	२३-१-६४ से २२-२-६४ तक	१६२

क्रम-संख्या	मास	ग्रा० क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	हलवाई	स्पेशल
१	अगस्त ६३	१,३२१	७८३	३४७	६५
२	सितम्बर ६३	१,०४२	६३८	२८६	७४
३	अक्टूबर ६३	८१८	६७२	५०६	१४४
४	नवम्बर ६३	४५१	७०६	५१६	११८
५	दिसम्बर ६३	७५०	६३३	२८७	२१६
६	जनवरी ६४	६०२	६६४	३७७	१०६
	योग ..	४,६८४	४,१२६	२,३२८	७५५

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१८ पर)

नत्थी 'क'

विज्ञप्ति संख्या जी ४६६/२९-ख-२/३०-एम०-१९६३, दिनांक १ फरवरी, १९६४ में नियुक्त "स्वर्णकारों के पुनर्वासन के लिये राज्य परामर्शदात्री समिति" के सदस्यों के नाम:—

१—श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, एम० एल० ए०, सभापति

२—श्री वीर सेन, एम० एल० ए०, उप सभापति ।

३—श्री धर्मसिंह, एम० एल० ए०, सदस्य

४—श्री गनेशी लाल, एम० एल० ए०, सदस्य

५—श्रीमती रानी टंडन, एम० एल० सी०, सदस्य

६—श्री बलवान सिंह, एम० एल० ए०, सदस्य

७—श्री टुंडामल, फिरोजाबाद, सदस्य

८—श्री घनश्याम दास, वाराणसी, सदस्य

९—श्री रामचन्द्र सहाय, सहारनपुर, सदस्य

१०—श्री कामता प्रसाद, लखनऊ सदस्य

११—खाद्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन सदस्य

१२—वित्त सचिव, पदेन सदस्य

१३—उद्योग सचिव, पदेन सदस्य

१४—असिस्टेन्ट कलेक्टर सेन्ट्रल एक्साइज, लखनऊ, पदेन सदस्य ।

१५—स्वर्ण नियंत्रण अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, पदेन सदस्य, सचिव ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१८ पर)

नत्थी "ख"

विज्ञप्ति संख्या जी० ४६६/२९-ख-२—३०-एम-१९६३, दिनांक १ फरवरी, १९६४ में निर्धारित स्वर्णकारों के पुनर्वासन के लिये राज्य परामर्शदात्री समिति के कार्य

१—विस्थापित स्वर्णकारों के पुनर्वासन को लागू करने से सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना ।

२—उन प्रस्तावों पर विचार करना जिनसे स्वर्णकार नये पेशों, उद्योग व्यवसाय आदि को अपना सकें ।

३—भूतपूर्व स्वर्णकारों की प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था के प्रस्तावों पर विचार करना ।

४—भूतपूर्व स्वर्णकारों के बच्चों की शिक्षा की सुविधाओं के प्रस्तावों पर विचार करना ।

५—ऐसे अन्य सहायता सम्बन्धी उपायों पर विचार करना, जो आवश्यक समझे जायं और उनके सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देना ।

६—शासन को प्राविधिक सहायता के प्रकार के बारे में परामर्श देना, जैसे ऋण, इत्यादि, जो भूतपूर्व स्वर्णकारों को दिया जाय ।

७—ऐसे अन्य कार्य सम्पन्न करना जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर समिति को सौंपे जायं ।

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२५ पर)

G.O. no. 2052B/XI-KH—3262-57

FROM

SRI P. D. CHATURVEDI,
ANU SACHIV,
UTTAR PRADESH SHASAN,

To

THE DISTRICT MAGISTRATE,
GORAKHPUR,

Dated Lucknow, November 15, 1962.

Subject : **Nazul land bungalows for the residence of Government Officers**

AGARPALIKA
.H.) VIBHAG

SIR,

With reference to the correspondence resting with your letter no. 2409/XXV—3(54-55), dated July 28, 1961, on the subject noted above, I am directed to say that after a careful consideration of the circumstances in which and the terms on which leases of extensive areas of nazul land in village Arazi Chhaoni, Gorakhpur were given free of rent to the owners of bungalows after the abolition of Cantonment and of the growing tendency on the part of the lessees to transfer these bungalows and the portions of their compounds to private persons for residence or for constructing buildings for their residence, the Governor is pleased to lay down the following policy to be adhered to in connection with the future management of the said Nazul :

(1) The existing bungalows should, according to the term of the lease, be reserved for the residence of Government Officers on rent to be fixed by the Collector and non-officials should not be allowed to reside in them.

(2) Lessees should not be permitted to construct additional houses and to sub-divide the land and such cases should individually be referred to Govenment for orders.

(3) No future acquisition of land either for the University or for any educational or other institution in this area be permitted in future.

I am to add that from the details given by you in respect of each bungalow and nazul plots, it appears that in fairly large number of cases a departure has been made from the original purpose either under the permission of the Collector or without even his permission and private individuals are using the bungalows in contravention of the terms on which the nazul land was given to them. I am to request that all such cases may kindly be examined in consultation with the District Government Counsel and a report submitted to Government along with Government Counsel's opinion in each case.

Yours faithfully,
(Sd.) P. D. CHATURVEDI,
Anu Sachiv.

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२६ पर)

डूडी फार्म नियुक्त फार्म अधीक्षकों के नाम, उनके कार्यकाल , वार्षिक लाभ-हानि तथा प्रति एकड़ उपज का विवरण ।

क्रम-संख्या	वर्ष	अधीक्षक का नाम व कार्यकाल	प्रति एकड़ पैदावार	वार्षिक लाभ अथवा हानि
१	१९५९–६०	श्री बलदेव सिंह .. (१–६–५९ से ३१–५–६० तक)	६.७३ मन	१,४४७ हानि
२	१९६०–६१	१—श्री उदय प्रताप सिंह .. (१–६–६० से ३–१०–६० तक) २—श्री रघुवीर सिंह .. (४–१०–६० से १३–१०–६० तक) ३—श्री शम्भू बक्स सिंह (१४–१०–६० से ३१–५–६१ तक)	२०.९५ मन	३,३०८ लाभ
३	१९६१–६२	१—श्री शम्भू बक्स सिंह .. (१–६–६१ से १५–८–६१ तक) २—श्री जय नारायण मिश्र (१६–८–६१ से ७–१०–६१ तक) ३—श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी (८–१०–६१ से ३१–५–६३)	२५.७० मन	५,९७४ हानि
४	१९६२–६३	श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी (१–६–६२ से ३१–५–६२)	२०.८२ मन	६,४७२ हानि
५	१९६३–६४	श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी (१–६–६३ से अब तक) ,	चूंकि कृषि वर्ष ३१–५–६४ को समाप्त होगा अतः १९६३–६४ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।	

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ २४७ पर)

प्रश्न	उत्तर
१२—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया, गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ जनपदों में, जो कि बाढ़ पीड़ित जिले हैं, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को क्यों समाप्त किया जा रहा है तथा सम्बंधित कर्मचारी क्यों निकाले जा रहे हैं जबकि देवरिया जनपद में गल्ले की निकासी की मात्रा मार्च, अप्रैल, १९६२ की अपेक्षा मार्च-अप्रैल, १९६३ में कहीं ज्यादा है ?	१२—उक्त जिलों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को समाप्त नहीं किया जा रहा है। परन्तु वहां निर्धारित भाव से कम पर गल्ला वितरण करने की योजना (Scheme of subsidized sale of foodgrains) को वहां अभाव की स्थिति न रहने के कारण समाप्त किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप १४ कर्मचारी निकाले गये।
१३—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जो नोटिसें जिला पूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों को दी गई हैं उसे राज्य सरकार ने जारी किया है या जिला अधिकारियों ने ?	१३—जिला पूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों की छटनी की नोटिसें जिला अधिकारियों ने राज्य सरकार के आदेशानुसार दी थी।
१४—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जिला पूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों की छटनी किस आधार पर की जा रही है ? इस छटनी में निकाले गये व्यक्तियों के क्या नाम हैं और उनकी जगह पर जो दूसरे व्यक्ति रखे गये हैं क्या वे इस स्थानों के लिये उचित योग्यता रखते हैं ? यदि हां, तो वह योग्यता क्या है ?	१४—छटनी करने का आधार यह है कि जो कर्मचारी डिवीजन भर में सबसे जूनियर होता है, उसकी छटनी पहले होती है । इस छटनी में निकाले गये कर्मचारियों के नाम तथा उनके स्थान पर रखे गये व्यक्तियों का ब्योरा तथा उनकी नियुक्ति का आधार माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई सूची में अंकित है।

क्रम संख्या	छटनी किये गये कर्मचारियों के नाम	पद जिस पर थे	जिला जहां थे	उनके स्थान पर रखे गये व्यक्तियों के नाम तथा पद	संबंधित पद पर रखने का आधार
१	२	३	४	५	६
१	श्री यदुवंशमनी त्रिपाठी ..	कलर्क ..	देवरिया ..	श्री दीप नारायण सिंह, सर्किल इंस्पेक्टर	डिवीजन भर में ज्येष्ठ होने के कारण ।
२	श्री हरी शंकर शर्मा ..	सीनियर एकाउन्ट्स क्लर्क ..	,,	श्री बद्री नारायन, एकाउन्टेन्ट ..	,, ,,
३	श्री आशा राम	क्लर्क ..	गोरखपुर	श्री रामचन्द्र सिंह, सीनियर एकाउन्ट्स कलर्क ।	,, ,,
४	श्री मोहम्मद यहिया ..	सर्किल इंस्पेक्टर ..	,,	उस समय कोई नहीं रखा गया	,, ,,
५	श्री राम भजन सिंह ..	सर्किल इंस्पेक्टर	,,	,, ,,	,, ,,
६	श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव ..	आशुलिपिक	बस्ती ..	श्रीरामजी लाल श्रीवास्तव हेड क्लर्क ।	योग्यता तथा डिवीजन भर में ज्येष्ठता के आधार पर शैक्षिक योग्यता बी० ए०, टंकन गति ४० शब्द प्रति मिनट, आशुलिपिक गति १०३ शब्द प्रति मिनट ।
७	श्री त्रिलोकी नाथ ..	सर्किल इंस्पेक्टर	बस्ती ..	उस समय कोई नहीं रखा गया ..	,, ,,
८	श्री एस० के० भौमिक ..	क्लर्क ..	बस्ती ..	श्री जे० बी० एस० चौहान, सर्किल इंस्पेक्टर	डिवीजन भर में ज्येष्ठ होने के कारण
९	श्री रामा शंकर सिंह ..	,,	आजमगढ़	श्री० मु० इस्लाम, सीनियर एकाउन्टस क्लर्क ।	,, ,,
१०	श्री नियाज अहमद ..	,,	,,	श्री फूल चन्द, सर्किल इंस्पेक्टर	,, ,,
११	श्री निसार अहमद जैदी ..	,,	,,	श्री बनवारी लाल, क्लर्क ..	,, ,,
१२	श्री मारखन्डे प्रसाद ..	,,	,,	श्री पदुमा नाथ राठौर, सर्किल इंस्पेक्टर ..	,, ,,
१३	श्री महमूदल हसन ..	सर्किल इंस्पेक्टर	,,	उस समय कोई नहीं रखा गया ..	,, ,,
१४	श्री पी० एम० सिंह ..	,,	,,		,, ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा